खण्ड-259, अंक-3
बुधवार, 3 भाद्रपद, शक संवत् 1887
(25 अगस्त, 1965 ई0)

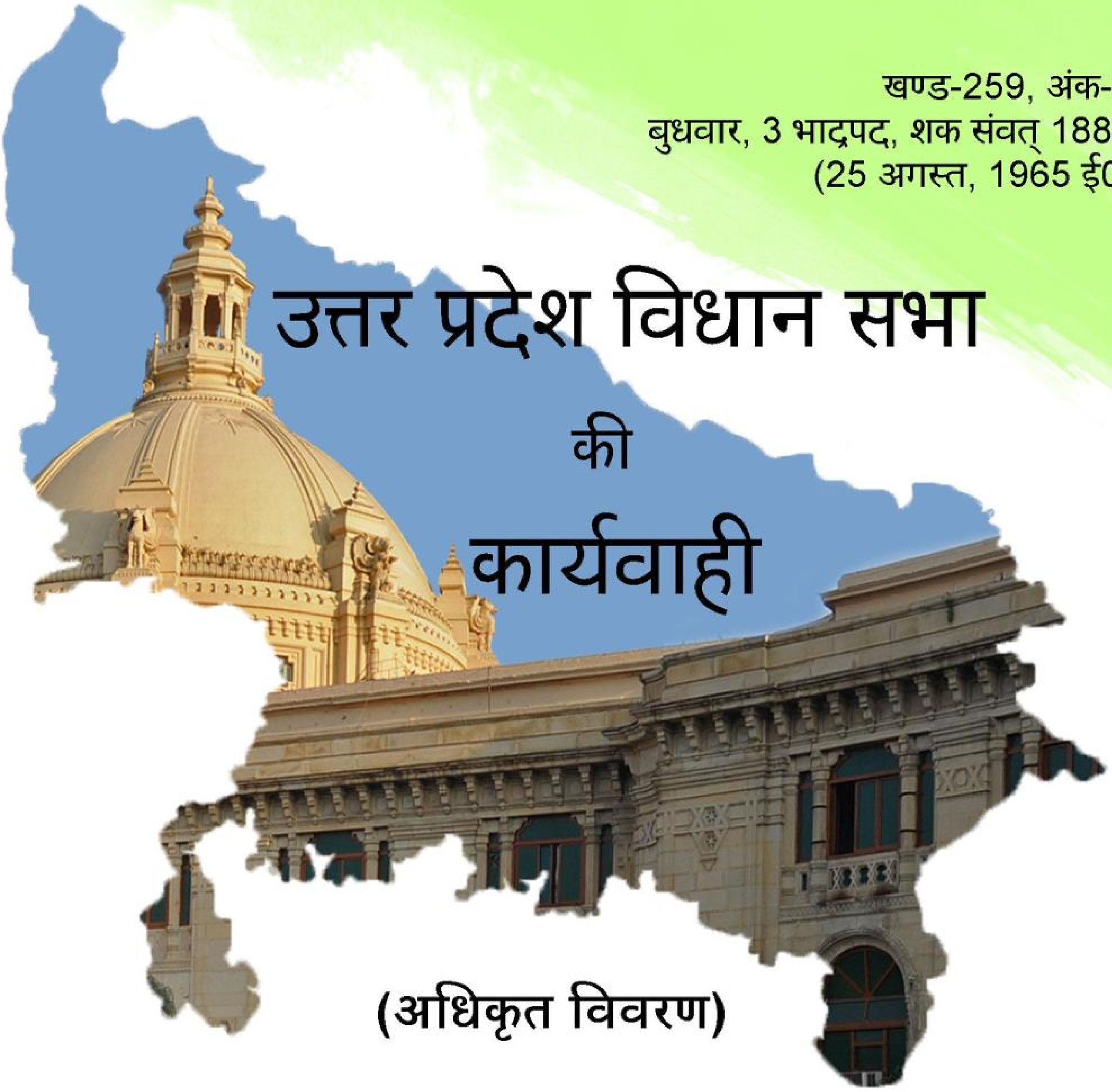

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 259 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	१९५–१९९
प्रश्नोत्तर	१९९–२२२
"पायोनियर" समाचार-पत्र के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	२२२
सिंचाई मंत्री द्वारा प्रश्न के उत्तर में कथित गलतबयानी करने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	२२२–२२
गोरखपुर के राजकीय उर्वरक कारखाने के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ व ५३ के अन्तर्गत सूचनायें (जारी)	२२३–२२९
प्रदेश के इंजीनियरों द्वारा त्याग-पत्र देने का निर्णय तथा काले बैज लगाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना ..	२२९–२३०
नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें ..	२३०
देवरिया जिले में सहकारिता विभाग द्वारा रासायनिक खाद न दिये जाने के संबंध में वक्तव्य	२३०–२३४
वेतन अभिनवीकरण समिति द्वारा विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन क्रमों को सरकारी सचिवालय के समान न रखने के संबंध में वक्तव्य	२३४–२३७
प्रदेश की खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से हुई मुख्य मंत्री की बातचीत के संबंध में जानकारी की मांग	२३७–२३८
कतिपय विषय	२३८–२३९
नियम समिति के (१९६४–६५) के प्रतिवेदन में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में प्रस्ताव (स्वीकृत)	२३९–२४४
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक १९६४, (विधेयक पर जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है) विचार किया जाय (जारी) ..	२४०–२७०
गोरखपुर के राजकीय उर्वरक कारखाने के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ व ५३ के अन्तर्गत सूचनायें	२७०–२७१
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४ विधेयक पर जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति संशोधित हुआ है, विचार किया जाय (स्वीकृत) ..	२७१–२७९
नत्थियां	२८०–२९१

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २५ अगस्त, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३७३

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुरपाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पाण्डेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री

गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पाण्डेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डे राय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव सिंह, श्री
नरसिंह नारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
पंचमदास, श्री
परमाई लाल, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टुन्नू सिंह)
वंशीधर पाण्डेय, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधरकुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री

रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराव, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीनकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पाण्डेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवसंपत्ति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्री निवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री

सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पाण्डेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २५ अगस्त, १९६५

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८, के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

वार्ड नं० ५, कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, मुरादाबाद के पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायत

*१—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया यह बतायग कि वार्ड नं० ५ कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, मुरादाबाद, के पदाधिकारियों के विरुद्ध उसके सदस्यों की ओर से बार-बार दिनांक १० जुलाई, १९६४, ५ फरवरी, १९६५, को जो शिकायती दरख्वास्तें रजिस्ट्रार, असिस्टेन्ट रजिस्टार कन्ज्यूमर्स, लखनऊ व डिप्टी रजिस्ट्रार बरेली को लिखी गईं, उन पर क्या कार्यवाही की गई और उनमें क्या-क्या खास इल्जामात थे ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

वार्ड नं० ५ कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी मुरादाबाद के सभापति के विरुद्ध दिनांक १० जुलाई, १९६४ को दो शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं। एक शिकायती पत्र उक्त सोसाइटी के तत्कालीन मंत्री श्री अब्दुल माजिद तथा दूसरा सोसाइटी के सदस्य श्री अब्दुल मोईद का है।

५ फरवरी, १९६५ का कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

१० जुलाई, १९६४ के उक्त दो शिकायती पत्र उप-निबन्धक बरेली ने सहायक निबन्धक मुरादाबाद को मूल रूप में रजिस्टर्ड पार्सल द्वारा आवश्यक जांच करने व रिपोर्ट देने के लिये ११-८-६४ को भेजा था परन्तु सहायक निबन्धक मुरादाबाद का कहना है कि ये शिकायती पत्र उनके कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए। अतः शिकायती पत्रों पर अभी कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। पोस्ट मास्टर, हेड पोस्ट आफिस बरेली को २६-६-६५ को उक्त रजिस्टर्ड पार्सल की जांच के लिये लिखा गया है परन्तु अभी उनकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

*२—श्री रियासत हुसैन—

क्या सहकारिता मंत्री यह बतायेंगे कि जिस समय सोसाइटी के सदस्यों की संख्या २९५ थी, उनमें से १६७ सदस्यों ने एक दरख्वास्त मौजूदा बोर्ड आफ-डाइरेटर्स और पदाधिकारियों के विरुद्ध दी और बाद में एतमाद की दी और नये एलेक्शन की मांग रजिस्ट्रार लखनऊ को भेजी, उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बनारसीदास—

ऐसी कोई दरख्वास्तें निबन्धक, संबंधित क्षेत्रीय उप-निबन्धक तथा सहायक निबंधक, मुरादाबाद के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई हैं। अतः उन पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

*३—श्री रियासत हुसैन—

क्या सहकारिता मंत्री को मालूम है कि उपरोक्त सोसाइटी के डायरेक्टरों और मेम्बरों की ओर से गत १० जुलाई को यह दरख्वास्त रजिस्ट्रार से की गई कि सोसाइटी का कोई झगड़ा कोर्ट में न भेजा जाय फिर भी सदर सोसाइटी वार्ड नं० ५, मुरादाबाद ने भूतपूर्व कन्ज्यूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी पर झूठा गबन का मुकदमा अदालत में दायर किया, इससे कितना माली नुकसान सोसाइटी को हुआ ?

श्री बनारसीदास—

उक्त सोसाइटी का कोई झगड़ा कोर्ट में न भेजे जाने के संबंध में गत १० जुलाई, १९६५ को कोई दरख्वास्त प्राप्त नहीं हुई। सोसाइटी के भूतपूर्व मंत्री के विरुद्ध गबन का एक मामला अदालत में १८-५-६४ को ही दायर हो चुका था जो अभी अदालत के विचाराधीन है। इस केस के संबंध में सोसाइटी ने १०७ रु० खर्च किये हैं।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मंत्री जी ने जवाब में यह कहा कि वह दरख्वास्तें रजिस्टर्ड पार्सल के जरिये ११-८-६४ को मुरादाबाद ए० आर० के पास भेजी गई थीं जो उनके कहने के मुताबिक वहां नहीं पहुंची; तो मेरा सवाल यह है कि जब ११-८-६४ को रजिस्टर्ड कवर में दरख्वास्त भेजी गई और वह नहीं पहुंची तो मेरे इस सवाल के करने से पहले कोई इस बीच में दूसरा रिमाइन्डर उनको क्यों नहीं भेजा गया या इसकी एन्क्वायरी क्यों नहीं हुई ?

श्री बनारसीदास—

इसके बाद १८-२-६५ को उपनिबन्धक बरेली ने याद दिलायी और उस पर ए० आर० ने यह लिखा कि यह कागजात वहां नहीं पहुंचे हैं।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि ए० आर० मुरादाबाद और इस सोसाइटी के जो सभापति और सेक्रेटरी हैं ये दोनों बाप बेटे हैं, मुमताज और फैयाज, और इन लोगों ने मिलकर के ऐसी कार्यवाही की है कि जो भी दरख्वास्तें भेजी जायं उनकी कोई जांच या उन पर कोई कार्यवाही न हो सके ?

श्री बनारसीदास—

अब इसका पता तो मुझे कैसे हो सकता है कि ए० आर० और सभापति जी का क्या संबंध है, कौन इसके पीछे है ?

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी को २२-८-६५ की वह दरख्वास्त मिली है जिसमें कि पचास साठ मेम्बरों के दस्तखत हैं और उन्होंने फिर सोसाइटी के सारे मामलात की जांच करने की मांग की है और क्या माननीय मंत्री जी इस दरख्वास्त के आधार पर किसी आदमी की नियुक्ति करेंगे जो सारे मामले की जांच करे और उन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करे जो कि इसके लिये जिम्मेदार हैं ?

श्री बनारसीदास—

जी हां, जो आपने अभी ध्यान आकर्षण किया है उसमें मैं बरेली के उपनिबन्धक को इसकी जांच करने का आदेश दूंगा और यदि आप चाहें तो डी० पी० ओ० को भी सुपुर्द किया जा सकता है।

सहारनपुर जिले में शीरे से बीमारी फैलने की शिकायत

*४—श्रीमती शकुन्तला देवी (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि प्रान्तीय स्तर पर शुगर मिलों के द्वारा शीरा फेंके जाने से जो आस-पास के मोहल्लों व ग्रामों में बीमारी फैल जाती है उसको कहीं दूर पर फेंकने का प्रबन्ध सरकार कर रही है ?

श्री बनारसीदास—

शीरा नियंत्रित पदार्थ है और डिस्टिलरियों व अन्य उद्योगों द्वारा काम में लाया जाता है। चीनी मिलों को उसी शीरे को बेचने की इजाजत दी जाती है जो डिस्टिलरियों व अन्य औद्योगिक कार्यों के योग्य नहीं होता है। चीनी मिलों को उनकी प्रार्थना पर शीरा फेंकने की भी इजाजत दे दी जाती है। यह शीरा उत्प्रवाह के रूप में होता है और इसके फेंके जाने के स्थान से हटाकर दूर फेंकने से कोई लाभ न होगा क्योंकि वह खराब उत्प्रवाह जहां पर भी फेंका जायगा हानिकारक होगा। इसीलिये इस कार्य के लिये गठित इन्फ्लुएंट बोर्ड ने सभी शुगर मिलों को अपने कारखाने से निकलने वाले उत्प्रवाह को सुधारने व उसे उचित स्तर पर लाकर ही नदी, नाला, व खेत आदि पर डालने के सुझाव दिये थे और उत्प्रवाह सुधारने के लिये अन्तरिम प्रबन्ध करने को भी कहा था। साथ ही साथ बोर्ड ने दो ट्रीटमेन्ट प्लान्ट्स का परीक्षण हिन्दुस्तान शुगर मिल, गोला व प्रतापपुर शुगर कम्पनी भैरवा में कराया। इन प्लान्ट्स के द्वारा सुधारे हुए शीरे की जांच रिपोर्ट संतोषजनक बताई गई और इसी आधार पर सभी चीनी मिलों से ऐसे प्लान्ट्स लगाने को कहा जा रहा है। इन प्लान्ट्स की सहायता से सुधारा हुआ उत्प्रवाह हानिकारक न होना चाहिये, चाहे वह किसी स्थान पर फेंका जाय।

*५—श्रीमती शकुन्तला देवी—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि जिला सहारनपुर में माणकमऊ इत्यादि-इत्यादि के शीरे के सड़ने से बीमारी फैल जाती है, उसका क्या प्रबन्ध हो रहा है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बनारसीदास—

कथित ग्राम या उसके आस-पास कोई शीरा नहीं सड़ रहा है और न इससे सम्बन्धित कोई बीमारी ही फैल रही है। न ही कुछ वर्ष पहले भी कोई बीमारी फैली थी। अस्तु, शेष प्रश्न का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती शकुन्तला देवी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गत वर्ष में वहां शीरे के सड़ने से माणकमऊ के आसपास बहुत बीमारी फैली और बहुत से पशु भी मर गये और क्या मिल मालिकों को आदेश दिया गया है कि शीरे के लिये विशेष स्थान रखा जाय ?

श्री बनारसीदास—

मेरे पास जो सूचना है, वहां कोई बीमारी नहीं हुई । यह जरूर है कि माणकमऊ होकर एक नाला जाता है जो पक्का है और दक्षिण जमुना कनाल में उसे डाल दिया गया है । एफ्लुएंट बोर्ड की सिफारिश के मुताबिक ट्रीटमेंण्ट प्लान्ट के लिये परीक्षण किया गया है जो गोलागोकरण में कामयाब हो गया है और दूसरी जगहों में भी उसके परीक्षण का इन्तजार किया जा रहा है और उसके बाद सब चीनी मिलों में इस तरह के ट्रीटमेंट प्लान्ट लगाने के आदेश दिये जा रहे हैं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

सारे सूबे में ७० चीनी मिलें हैं और सब जगह शीरे की बदबू की यह समस्या है । क्या मंत्री जी मिल मालिकों को आदेश देंगे कि इस सड़े हुये पानी को ढकी हुई नाली से ले जाकर कहीं दूर डालें ?

श्री बनारसीदास—

एफ्लुएंट बोर्ड के मेम्बर डाइरेक्टर आफ हैल्थ व मैडिकल तथा चीफ इंस्पेक्टर आफ फैक्टरीज हैं । ट्रीटमेंन्ट प्लान्ट सफल होने पर वह लगवायेंगे ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

शीरे के पदार्थ पूर्वी जनपद के खाने के काम आते हैं, तो क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि शीरे को मिल-मालिक बन्द तालाबों में रखें ?

श्री बनारसीदास—

हर जगह आदेश हैं कि वे लोग अपने स्टोरेज ठीक बनावें ।

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

जब एक्सपेरीमेंट ट्रीटमेंट प्लान्ट का सफल हो गया है तो सरकार को क्या कठिनाई है कि सब चीनी मिलों में उसे निश्चित अवधि में लगवायें ?

श्री बनारसीदास—

दो तरह के प्लान्ट का परीक्षण हुआ है । सब मिल वालों को कहा है कि दोनों में से जो पसन्द हो वह लगवा लें ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

आदेश होने पर भी किसी मिल ने आज तक ट्रीटमेंन्ट प्लान्ट नहीं लगाया है । मिलों के आसपास की हजारों एकड़ धरती अनउपजाऊ हो जाती है । रेल में सफर करने वाले दूर से बदबू के कारण जान जाते हैं कि चीनी मिल पास है । जो तालाब मछलियां पालने के लिये हैं उनमें यह पानी पहुंचने से मछलियां मर जाती हैं । प्लान्ट लगने से एलकोहल की बचत हो सकती है । तो सरकार क्यों नहीं जल्द निश्चित अवधि में प्लान्ट लगवा देती है ?

श्री बनारसीदास—

एफ्लुएंट बोर्ड की २६-६-६५ की मीटिंग में रिपोर्ट मंजूर हुई है । उसके आधार पर आदेश दिये जा चुके हैं । हम देखेंगे कि सब जगह ये प्लान्ट लग जावें ।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

गन्दगी धरती माता की खूराक है, इसलिये नालियां बनवाकर उनके द्वारा इस शीरे को खेतों में पहुंचवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बनारसीदास—

उसके हानिकारक तत्व निकाल कर पानी को काम में लाने की कोशिश कर रहे हैं ।

विकास खंड राही में कुओं के लिये अनुदान

*६—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला रायबरेली के अन्तर्गत विकास खंड राही में मार्च, १९६५ ई० से १६ जून तक कितने कुओं के लिये रुपया प्रान्ट किया गया है, आज तक कितने कुयें बन कर तैयार हुये हैं और कितने अभी तक नहीं बने और क्यों ?

मुख्य मंत्रीके सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गांव पंचायत ऐती के प्रधान के विरुद्ध आरोप

*७—श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गांव पंचायत ऐती, परगना व जिला कानपुर, के प्रधान के विरुद्ध पंचायत के धन के गबन तथा पंचायत का जाली लेखा बनाने तथा अनेक प्रकार की अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के आरोप पाये गये हैं ? यदि हां, तो वह आरोप क्या हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय—

अप्रैल, १९६५ में माननीय सदस्य द्वारा गांव पंचायत ऐती, परगना व जिला कानपुर, में प्रधान के विरुद्ध पंचायत के धन के गबन आदि की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनके सम्बन्ध में प्रधान का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा चुका है और मामला परगनाधीश कानपुर के विचाराधीन है ।

श्री शारदानन्द—

माननीय मंत्री जी बतावेंगे कि यह स्पष्टीकरण कब लिया गया और किन-किन शिकायतों के विषय में है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इसमें ८ जून, १९६५ के आरोपों का स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है और यह मामला वहां के एस० डी० ओ० के विचाराधीन है ।

श्री बिपिन बिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो आरोप ग्राम पंचायत ऐती के ऊपर लगाये गये हैं वे गबन के हैं और अनियमितताओं के हैं, तो कितने रुपये के गबन का आरोप है और अन्य अनियमितताओं के आरोप क्या-क्या हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

उनका पत्र मैं पढ़ दूं, सब आरोप सुन लीजिये। शारदानन्द जी ने ५ अप्रैल, १९६५ को ४ पृष्ठ की चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा है कि गांव सभा ऐती, परगना व जिला कानपुर, के प्रधान ने.....

श्री बिपिन बिहारी तिवारी—

श्रीमन्, मेरा प्रश्न यह नहीं है। मेरा प्रश्न यह था कि ग्राम प्रधान पर जो आरोप लगाये गये हैं वे गबन के हैं और कुछ अनियमितताओं के हैं, मैं जानना चाहता हूं कि कितने रुपये का गबन का आरोप है और अन्य अनियमितताओं के आरोप क्या हैं ।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

४५५ रुपये कुछ पैसे के गबन की बात है और अनियमितताओं के आरोप यह ह कि भूमि प्रबन्धक कमेटी नहीं बनाई, गांव समाज की जमीनों पर दूसरों का कब्जा करा दिया है और ऐसे लोगों को बजाय इसके कि वह बेदखल करें उनकी मदद करते हैं ।

श्री राजनारायण मिश्र—

क्या इस सम्बन्ध में ग्राम सभा प्रधान का स्पष्टीकरण आ गया है और क्या उसके आधार पर प्रधान क खिलाफ प्राइमा फेसी केस बनता है ? यदि बनता है, तो क्या उनको सस्पेंड किया गया और नहीं किया गया, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—

जो हमारा ऐक्ट है कि उसके अनुसार प्रधान के लिये परगनाधीश ही सब कुछ कर सकते हैं, सस्पेंशन या रिमूवल वह कर सकते हैं जब उनके नोटिस में मामला आता है ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

जब माननीय सदस्य द्वारा खुले रूप से गबन का आरोप लगाया गया तो जांच अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में सरकारी कागजात भी गिरफ्तार या सील किये गये या नहीं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह तो जांच अधिकारी का विवेक है और जितनी भी उसके अन्दर चीजें आवश्यक होंगी वह जरूर सील की होंगी और वह निश्चय ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, जब हाईपोथिटिकल प्रश्न नहीं किये जा सकते तो क्या हाईपोथिटिकल उत्तर दिये जा सकते हैं ?

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि नियम यह है कि मंत्रिगण उत्तर निश्चित देंगे लेकिन जब यह कहा जाता है कि 'किये होंगे' तो यह अनियमितता है । उनके उत्तर निश्चित होने चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

आप ठीक कहते हैं, बजाय इसके कि 'किये होंगे' या 'होंगे' कहा जाय, यह कहना उचित होगा कि सूचना की आवश्यकता है। वह ज्यादा अच्छा है ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि अधिनियम में परगनाधीश को अधिकार है कि वे ग्राम प्रधान को मोअत्तल कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या परगनाधीश स्थानीय प्रभाव में पड़कर कभी-कभी अनुचित कार्यवाही नहीं कर देते हैं, निरपराध को फंसा देते हैं और अपराधी को छोड़ देते हैं ? तो क्या माननीय मंत्री जी नियमों में कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि कोई ऐसी कमेटी बने जिला स्तर पर या प्रान्त के स्तर पर जो प्रधानों के मामले पर निर्णय किया करें ?

श्री राममूर्ति—

माननीय नेता विरोधी दल ने गौर फरमाया होगा कि यह कितना हाईपोथिटिकल सवाल है। जब ऐसे सवाल किये जाते हैं तो जवाब क्या हो सकता है ? मैंने शुरू में ही कहा था कि जो अधिनियम बना हुआ है, उसके अन्दर परगनाधीश को अधिकार है कि वह प्रधान को सस्पेंड करें, डिसमिस करें या उसके खिलाफ और कार्यवाही करें। सरकार तो केवल इतना करती है कि जब उसके पास कोई शिकायत आती है तो वह जिला मैजिस्ट्रेट को सूचित कर देती है। ला डिपार्टमेंट की यह राय है कि सरकार उनको इंस्ट्रक्शन भी नहीं दे सकती है। ऐसी हालत में हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं।

श्री मैनेजरसिंह—

मेरा प्रश्न यह नहीं कि आप कार्यवाही कर सकते हैं या नहीं। मेरा प्रश्न केवल इतना है कि जो अधिनियम में अधिकार दिये हुये हैं अगर उनका ईमानदारी से इस्तेमाल न हो रहा हो तो क्या आप अधिनियम में कोई ऐसी व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि जिससे प्रधान के स्वत्व की रक्षा हो सके ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपको भी अधिकार है कि अधिनियम में संशोधन का आप प्रस्ताव ला सकें।

श्री रामअवार कनौजिया (जिला बहराइच)—

मैं जानना चाहता हूं कि जिस जांच अधिकारी ने जांच की है क्या उसने कोई निश्चित मत दिया है और यह गबन हुआ है और यदि हुआ है तो प्रधान को एस० डी० ओ० ने क्यों सस्पेंन्ड नहीं किया ?

श्री राममूर्ति—

प्रधान का स्पष्टीकरण ले लिया है। अब उसके बारे में वे विचार कर रहे हैं कि क्या कार्यवाही की जाय।

श्री शारदानन्द—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान ने स्पष्टीकरण क्या दिया है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह तो एस० डी० ओ० के पास होगा। अतः सूचना की आवश्यकता है।

[२५ अगस्त, १९६५, के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

विकास क्षेत्र अधिकारी दहगवां के विरुद्ध शिकायत

*१—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

क्या प्रश्नकर्त्ता द्वारा पूछे गये विधान सभा के प्रथम सत्र १९६४ के सातवें बुधवार (२५ मार्च, १९६४) के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न सं० २४, २५, २६ के उत्तर से सम्बन्धित सरकार बिल का पता लगा कर बतायेगी कि आपत्ति क्या लगाई गई थी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

प्रश्नकर्त्ता द्वारा पूछे गये विधान सभा के प्रथम सत्र १९६४ के सातवें बुधवार (२५-३-६४) के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या २४, २५ तथा २६ में उल्लिखित बिल पर निम्नलिखित आपत्ति लगाई गई थी—

1. Sanction awaited. Not signed by the Drawing Officer.
2. Grand Total wrong of column No. 14.
3. Total of item No.2 not noted.

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष जी, ये अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जो लिखा है उसको पढ़ रहा हूं ।

श्री उग्रसेन—

यह कोई सुप्रीम कोर्ट तो नहीं है जो अंग्रेजी में पढ़ा जाय ?

श्री अध्यक्ष—

ये मूल को पढ़ रहे ।

*२—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उक्त विकास खंड कार्यालय बन्द रहने के सम्बन्ध में कोई शिकायत उक्त ब्लाक कर्मचारियों की ओर से जिला नियोजन अधिकारी को मिली ? यदि हां, तो शिकायत क्या है तथा उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जिला बदायूं के अन्तर्गत विकास खंड दहगवां के कार्यालय बन्द रहने के कारण ब्लाक कर्मचारियों की ओर से एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें निम्नलिखित आरोप लगाये गये थ—

(१) क्षेत्र विकास अधिकारी ने स्टाफ को माह मार्च का वेतन दिनांक २ अप्रैल तक नहीं दिलाया, न बिल के ऊपर अनुमोदन (इंडोर्समेंट) किया ।

(२) क्षेत्र विकास अधिकारी दिनांक ८ अप्रैल, १९६३, को प्रातः बदायूं चले गये और कार्यालय की चाभियां भी लेते गये जिससे कार्यालय बन्द रहा ।

(३) क्षेत्र विकास अधिकारी दिन में सोते हैं और रात में ब्लाक कर्मचारियों से काम लेते हैं ।

जांच के उपरांत यह पाया गया कि ब्लाक के कर्मचारियों ने शिकायती-पत्र क्षेत्र विकास अधिकारी को नीचा दिखाने के आशय से दिया था । इसलिये शिकायत करने वाले कर्मचारियों में से दोषी व्यक्तियों को निम्नलिखित दंड दिया गया—

सर्वश्री—

कुंवर पालसिंह, ब्लाक आंकिक	चरित्र पुस्तिका में विरुद्ध कार्यवाही तथा ब्लाक से स्थानांतरण कर दिया गया ।
हर स्वरूपसिंह, स० वि० अ० (सह०)	चरित्र पुस्तिका में विरुद्ध कार्यवाही की गई ।
सुरेशचन्द्र सक्सेना, कनिष्ठ लिपिक	सेवायें समाप्त कर दी गईं ।
श्यामसिंह, (कृषि निरीक्षक)	स्थानान्तरण कर दिया गया ।

राजकुमार शर्मा स्थानान्तरण कर दिया गया ।
त्रिलोक चपरासी " " "

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या माननीय मंत्री जी इसकी पुनः जांच करायेंगे कि उनके पास ऐसी कोई सूचना आई है कि बी० डी० ओ० महोदय के नाजायज दबाव के कारण यह रिपोर्ट आई है, इसलिये किसी उच्चाधिकारी के द्वारा जांच की जाय ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस प्रकार की कोई सूचना हमारे पास नहीं है ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

बी० डी० ओ० के खिलाफ जब शिकायत की गई तो उसके खिलाफ जांच का कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिये था न कि यह होना चाहिये था कि जितने लोग वहां थे उन सबको दंडित कर दिया गया, इसका क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—

जांच नियोजन अधिकारी के जरिये कराई गई थी और वे इस नतीजे पर आये कि जो बी० डी० ओ० के नीचे के लोग थे उन्होंने पार्टीबन्दी करके जो एक प्रेस्क्राइब्ड तरीका है उसको इस्तेमाल न करके, शिकायत की, जिसकी वजह से उनको भी दंडित किया गया और बी० डी० ओ० की गलती समझी गयी इसलिये उनको भी दंडित किया गया ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

उत्तर में यह नहीं बतलाया गया कि बी० डी० ओ० के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई, क्या वह बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जिला नियोजन अधिकारी ने जांच की थी । इस जांच में बी० डी० ओ० के खिलाफ जिन चीजों के लिये आरोप लगाया गया वे सही नहीं पायी गयीं । मालूम यह हुआ कि जितने अधिकारी थे उन्होंने बी० डी० ओ० के खिलाफ पार्टी बन्दी बना कर उसके आर्डर्स की डिसओबिडियेंस की, जो उनका कार्यक्रम था उस पर वे नहीं चले और प्रापर चेनल से अर्जी न देकर डायरेक्ट जिलाधीश तथा डेवलपमेंट कमिश्नर को अर्जी भेज दी, इस कारण जो सजा ऐसे मामले में उनको दी जा सकती थी वह उनको दी गयी ।

श्री जगदीशप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—

जबकि दोष सबका समान था और एक ही प्रकार का था तो फिर सजा सबको भिन्न-भिन्न क्यों दी गयी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

बी० डी० ओ० को भी वार्न किया गया । जहां तक एक दरख्वास्त पर अलग-अलग सजा देने का सवाल है, डी० पी० ओ० ने यह देखा कि दरख्वास्त समान थी लेकिन काम अलग-अलग थे, काम उनके समान नहीं थे ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिनको दण्ड दिया गया है उनमें किसी का स्थानान्तरण किया गया है, किसी को वार्निंग दी गई है लेकिन सक्सेना को बर्खास्त किया गया है, उसके खिलाफ कौन से गंभीर आरोप थे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मान्यवर, इसके लिए तो विस्तृत सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मान्यवर, पार्टीबन्दी से प्रभावित होकर यह फैसला किया गया है ।

दहगवां ब्लाक में सब्जी प्रतियोगिता

*३—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बदायूं जिले के विकास खण्ड दहगवां में दिनांक १३, १४ तथा १५ मार्च, १९६४, को आयोजित युवक मण्डल दल सब्जी प्रतियोगिता के संबंध में (१)—प्रतियोगिता पर कुल कितना व्यय किस-किस मद में हुआ तथा वह किस फण्ड से खर्च किया गया, और

(२) पुरस्कार किस-किस व्यक्ति को दिए गए ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस प्रतियोगिता पर कुल ३५१.०३ रुपए व्यय हुए और यह व्यय कृषि के अनावर्तक प्रासंगिक व्यय की मद से किया गया था । व्यय की मदों का विवरण संलग्न है ।

पुरस्कार युवक मंडल सब्जी प्रतियोगिता के विजयी युवक मंडल दलों तथा उनके सदस्यों और अच्छी सब्जी पैदा करने वालों को दिए गए थे । व्यक्तियों के नाम की सूची इस समय उपलब्ध नहीं है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २८० पर ।)

श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जवाब किस कागज के आधार पर दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

जो सूचना उनको मिली है उसके ऊपर है ।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सारे कागजात खो गए, इसलिए यह सूचना जबानी दी गई है; क्या यह सत्य है ?

(उत्तर के लिए मंत्री को नहीं बुलाया गया ।)

श्री मैनेजरसिंह—

श्रीमन्, मंत्री जी ने खर्च का ब्योरा तो दिया है लेकिन यह सूचना नहीं दी कि यह किसको दिया गया । इसलिए क्या मंत्री जी जांच करायेंगे कि गबन तो नहीं किया गया है ?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है । जो इंचार्ज थे वह छुट्टी पर चले गए हैं । इसलिए उनके यहां से लिस्ट नहीं आ सकी । अगर आप चाहते हों तो जैसे ही उनकी छुट्टी खत्म होगी लिस्ट मंगाकर प्रस्तुत कर दी जायगी ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा है कि सूची उपलब्ध नहीं है लेकिन जवाब में उपलब्ध है । तो क्या यह सूची फर्जी है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, यह तो सामान की सूची है कि कहां से सामान खरीदा गया और क्या सामान खरीदा गया।

*४–६—श्री रघुबीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

[हटा दिए गए।]

चेचक

*७—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, १९६५, से ३१ मई, १९६५, तक प्रदेश में कितने व्यक्तियों की मृत्यु चेचक के कारण हुई ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

प्रदेश में इस अवधि में ५३९ व्यक्तियों की मृत्यु चेचक से हुई।

*८—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या यह सही है कि चेचक का प्रकोप उन जिलों में भी काफी हुआ जहां चेचक-उन्मूलन योजना के अन्तर्गत टीके लगाए गए थे ? यदि हां, तो इन जिलों में मृत्यु की संख्या क्या रही ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

चेचक का प्रकोप केवल चार जिलों में काफी रहा जहां उन्मूलन योजना के अन्तर्गत टीके लगाए गए थे जो रोग के उन्मूलन के लिए पर्याप्त नहीं थे। इन जिलों में मृत्यु की संख्या ३१६ थी।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि वे चार जिले कौन-कौन से हैं और इनको इस योजना के अन्तर्गत कब लिया गया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

श्रीमन्, मेरठ में १०८, बुलन्दशहर में १०५, सहारनपुर में ५९ और सुल्तानपुर में ४४ मृत्यु चेचक से हुईं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इनमें टीके भी लगाये गए और चेचक का प्रकोप भी अधिक रहा, इनमें कितने टीके लगाने का प्रबंध किया गया था और ये जिले इस योजना के अन्तर्गत कब लिए गए ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

श्रीमन्, इन जिलों में ८० प्रतिशत टीके लग सके और तमाम देशों में देखा गया है कि ये काफी नहीं है। मेरठ और बुलन्दशहर की रिपोर्ट यह है कि वहां नवजात शिशुओं के टीके लगवाने में ज्यादा सहयोग नहीं दिया और प्रारंभिक टीके नहीं लग पाये इसलिए ज्यादा प्रकोप हुआ है। मैं अर्ज कर दूं कि जो कार्यक्रम ८० प्रतिशत टीके लगने का बना है उसको १०० प्रतिशत टीके लगाने की योजना बनाई गई है और यह कार्य सब जिलों में चालू है ताकि १०० प्रतिशत टीका लगाने के कार्यक्रम को पूरा कर सकें।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

मैं जानना चाहता हूं कि यह चारों जिले चेचक उन्मूलन योजना के अन्तर्गत कब लाए गए, किस तारीख को आए ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

तारीख का पता नहीं है कि किस जिले में कब से योजना लागू हुई। लेकिन मैंने अर्ज कर दिया कि ८० प्रतिशत टीके लग पाए थे। प्रारंभिक टीके लगाने में सहयोग प्राप्त नहीं हुआ इसलिए यहां पर ज्यादा प्रकोप हुआ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार मलेरिया इरैडिकेशन स्कीम सरकार ने बनाई है क्या उसी प्रकार चेचक उन्मूलन योजना भी बनायी है? यदि हां, तो उसकी निश्चित अवधि क्या है ताकि सारा चेचक का प्रकोप दूर हो सके?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

चेचक और मलेरिया में इतना अन्तर है कि मलेरिया उन्मूलन में छिड़काव हुआ था दवाओं का, ताकि मच्छरों को खास अवधि के अन्दर कंट्रोल कर सकें। लोगों ने छिड़काव करवाने में ज्यादा सहयोग दिया। लेकिन चेचक उन्मूलन के लिए जरूरी है जितने व्यक्ति हैं सब टीके लगवाएं और नये बच्चों के समय के अन्दर टीके लगवा दें। लेकिन चूंकि सहयोग नहीं प्राप्त होता है और जबरदस्ती वेक्सीनेटर टीके नहीं लगा सकता है, इसलिए दिक्कत आती है। लेकिन इस बात की कोशिश की जायगी कि १०० प्रतिशत टीके हर जगह लगाएं। इस मामले में अगर सबका सहयोग मिलेगा, सब लोग टीके लगवायेंगे, तभी काबू पा सकेंगे वरना मुश्किलात पैदा होंगी।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार बतायेगी कि इन जिलों में चेचक संक्रामक रूप से फैलने का क्या कारण था और उसको रोकने के लिए क्या विशेष प्रयत्न किया गया?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

चूंकि यहां पर प्रारंभिक टीके कम लगे, इसलिए इन जिलों में ज्यादा प्रकोप हुआ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल—

संक्रामक रूप से चेचक जो फैली उसको रोकने का क्या प्रयास किया गया?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

संक्रामक रूप से नहीं फैली। चेचक पहले के मुकाबले में कम होती जा रही है। चेचक के टीके कम लग पाये, इसलिए यह चीज हुई। इसके लिए खासतौर से कोशिश की जा रही है कि परिवारों को समझाया जाय ताकि उनसे सहयोग मिले।

श्री उग्रसेन—

क्या यह सही है कि जो अभी नयी दवा आयी है, किसी रूसी पत्ती से बनती है, वहां से उसका घोल बनकर नहीं आता है, घोल यहां बनाया जाता है, और कर्मचारी लगाना जानते नहीं, उनको तीन दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, तो इस नयी दवा के प्रयोग से सुई लगाते ही अमूमन बच्चे मर जाते हैं, माताएं इसीलिए टीका नहीं लगवा रही हैं?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार इस वक्त तक ६ करोड़ ५० लाख टीके लग चुके हैं और उसमें ७६ लाख बच्चे हैं। अगर माननीय सदस्य की सूचना सही है कि टीके लगाने से बच्चे मर जाते हैं तो ७६ लाख यह मर जाना चाहिएं। तो मैं इससे इत्तफाक करता नहीं हूं।

श्री उग्रसेन—

यदि मैं यह पूछ लूं कि कितने लगे और कितने मरे, तो इसका जवाब उनके पास नहीं है। राज्य में ७६ लाख बच्चे ही नहीं हैं।

श्री बैजनाथसिंह बैस (जिला सुल्तानपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि बीमारी के पहले बीमारी रोकने के लिए तो चेचक का टीका लगवाना जरूरी है और उससे बीमारी रुक भी जाती है, लेकिन चेचक की बीमारी होने के बाद भी कोई औषधि निकली है जिसका प्रयोग हो रहा हो, जिसके कारण मृत्यु आदि न हों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इसकी कोई खास औषधि नहीं है, लेकिन ऐंटी-बायटिक का प्रयोग किया जाता है।

श्री झारखण्डे राय (जिला आजमगढ़)—

जिन चार जिलों से चेचक से मृत्यु की खबर सरकार को मिली है, क्या यह वे जिले हैं जहां पर नीचे के कर्मचारी गांव-गांव में नहीं गए, उन्होंने ग्रामवासियों पर कोई नैतिक दबाव डालने का प्रयत्न नहीं किया और जिसकी शिकायत सरकार को मिली और उसके फलस्वरूप सरकार ने बहुत से कर्मचारियों को नौकरी से निकाला या मुअत्तल किया ? क्या इसी वजह से यह बीमारी इन जिलों में फैली है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

ऐसी बात नहीं है कि कर्मचारियों ने अपने काम में वहां पर कोई कोताही की हो। मुख्य बात यही है कि वहां पर उन्हें जनता का सहयोग नहीं प्राप्त हुआ जो कि बहुत जरूरी था। जब तक सहयोग नहीं होगा तब तक यह काम नहीं चल सकता। कर्मचारी किसी के घर में जबरदस्ती घुसकर तो टीका लगा नहीं सकते हैं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी—

इस चीज को देखते हुए कि इस पूरी योजना की सफलता जनसंपर्क पर ही निर्भर है, क्या सरकार विचार करेगी कि कम्पलसरी वैक्सीनेशन की भी कोई योजना बनाई जाए ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

अभी तो देश में यही तरीका प्रचलित है कि हम हन्ड्रेड परसेंट के लगायें, लेकिन कानूनी तौर पर कोई जरूरी हो सके, ऐसा नियम नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिनकी मृत्युएं हुई हैं उनमें ऐसे भी व्यक्ति थे जिनके चेचक के टीके लग चुके थे और उस पर भी उनकी मृत्यु हुई है ?

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न का महत्व क्या है ? हो सकता है दवाई हुई हो, लेकिन फिर भी मर जाएं। दवाई करना इनका फर्ज है सो किया गया। खैर, यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो मंत्री जी उत्तर दे दें।

श्री दाऊदयाल खन्ना—

यह जो चेचक का वैक्सीनेशन है उसका काम तो यही है कि वह चेचक को रोके, लेकिन अक्सर यह होता है कि जिनके चेचक के टीके लग भी जाते हैं उनके भी बीमारी होती है और वे बाद में अच्छे हो जाते हैं और ऐसी दशा में बीमारी का जोर कम रहता है और बहुत कम लोगों की ही मौतें होती हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार--

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि चेचक फरवरी मास में होली के बाद जब मौसम बदलता है तब ही होती है ? आपकी जो वैक्सीन होती है उसे कोल्ड स्टोरेज में रखा जाना चाहिए, लेकिन आपके कर्मचारी उसको ठंढी जगह में न रख कर गरम जगह में एक्सपोज्ट रखते हैं जिससे वैक्सीन का असर समाप्त हो जाता है और इसकी जानकारी आपको है कि इसी वजह से यह सफल नहीं हो पा रहा है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

मैं यह नहीं मानता कि यह सफल नहीं हो पा रहा है, यह सफल हो रहा है। यह ज्यादातर अब तो अपने प्रदेश में बन रहा है। वह खराब नहीं होता है। उसमें इस बात की कोशिश की जाती है कि जहां पर भी यह काम में लाया जाय, फ्रेश स्टाक वहां पर जाता रहे।

शोहरतगढ़ में जनाना अस्पताल बनाने की प्रार्थना

*९--श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

क्या यह सत्य है कि बस्ती जिले के कस्बा शोहरतगढ़ में जनाना अस्पताल बनाने की कोई योजना सरकार के सामने विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से तथा कब पूर्ण होगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

जी हां। शोहरतगढ़, जिला बस्ती में जनाना अस्पताल के भवन निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। दान स्वरूप जो भूमि इस कार्य के लिए मिली थी उसको सार्वजनिक निर्माण विभाग ने भवन निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं पाया, इस कारण निर्माण कार्य आरंभ न हो सका। राष्ट्रीय संकटकालीन काल के कारण इस कार्य को स्थगित कर दिया गया है, फिर भी उपयुक्त भूमि प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। भूमि उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य को पुनः जीवित किया जा सकेगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

यह जो भूमि दानस्वरूप मिली थी उसको किन कारणों से निर्माण विभाग ने उपयुक्त नहीं पाया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

इस जमीन में बहुत गहरा गड्ढा है और उसमें भराव पाया गया तो हमारे पी० डब्ल्यू० डी० ने कहा कि जहां इतना गहरा गड्ढा रहा हो या भराव रहा हो उस पर सरकार को अपनी इमारत नहीं बनानी चाहिए।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

क्या सरकार मेरी सूचना को आधार मान कर कि यह बात सही नहीं है फिर से जांच करायेगी।

श्री दाऊदयाल खन्ना--

मैं फिर से इसकी जांच करा लूंगा।

पंचायती राज अध्ययन दल

*१०--श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में पंचायतीराज के अध्ययन के लिए सामुदायिक विकास मंत्री, श्री राममूर्ति की अध्यक्षता में जो समिति बनी थी उसने अपनी रिपोर्ट-

सरकार को दे दी ? यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ? क्या रिपोर्ट की एक प्रति सदन की मेज पर सरकार रखने की कृपा करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

प्रदेश में पंचायती राज के अध्ययन के लिए सामुदायिक विकास मंत्री की अध्यक्षता में शासन द्वारा किसी समिति का गठन नहीं किया गया है ।

*११—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त रिपोर्ट के अनुसार किन-किन बातों को सरकार लागू करने का विचार कर रही है ? और कब तक ?

श्री बंशीधर पांडेय—

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या कोई समिति आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और सौराष्ट्र में सामुदायिक विकास कार्य का अध्ययन करने के लिये गयी थी और उसने वहां अध्ययन करके यह रिपोर्ट दी है कि पंचायतराज निदेशालय को तोड़ दिया जाय और पंचायतराज मंत्री और ग्राम सेवक के पदों को मर्ज कर दिया जाय ? क्या ऐसी रिपोर्ट सरकार को मिली है ? यदि हां, तो उसने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री बंशीधर पांडेय—

विकास मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय विकास मंत्री के सुझाव पर एक अध्ययन दल, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, इन चारों राज्यों में गया था और उसने एक विस्तृत रिपोर्ट भी शासन को दी है और उसके द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार हो रहा है लेकिन पंचायत राज निदेशालय को या पंचायत राज को तोड़ दिया जा रहा है । वह एक उच्चाधिकारी जो एडीशनल डेवलपमेंट कमिश्नर, डेवलपमेंट सेक्रेटरी और पंचायत राज का डाइरेक्टर इन तीनों पदों पर एक ही आदमी होगा और यह खर्च को कम करने की दृष्टि से ही है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या उस रिपोर्ट में यह भी सिफारिश है कि पंचायत मंत्रियों के पद को समाप्त करके ग्राम सेवक के पद को उसमें मर्ज कर दिया जाय और जिला परिषदों का मुख्याधिकारी कोई वरिष्ट आई० सी० एस० रखा जाय और उसके द्वारा ही उसका कार्य संचालन हो ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां, उसके सामने ऐसी बात आयी थी जब वह महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और सौराष्ट्र के दौरे पर गयी थी । कहीं पर पंचायत मंत्री पार्ट टाइम हैं, कहीं होल टाइम हैं, यह सारी बातें उनके सामने आयीं । सरकार ने उन पर विचार करना शुरू किया है लेकिन यह नहीं है कि पंचायत मंत्रियों के पोस्ट को खत्म कर दिया जाय। अभी यह सब बातें शासन के विचाराधीन हैं ।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या उस अध्ययन दल ने यह रिपोर्ट की है कि उत्तर प्रदेश में दो सौ के करीब ब्लाक्स को कम कर दिया जाय ? यदि हां, तो सरकार का उस पर क्या निर्णय हुआ ?

श्री बंशीधर पांडेय—

अध्ययन दल ने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की है ।

श्री मैनेजरसिंह—

क्या इस प्रदेश में उस अध्ययन दल के सुझाव के अनुसार पंचायत मंत्री का पद समाप्त करने का निर्णय हुआ है ? यदि हां, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब ग्रामस्तर पर पंचायत मंत्री और ग्राम सेवक आदि के पद अलग-अलग हैं तो क्या सरकार इन पदों को अलग-अलग रखने के लिये तैयार है ? पंचायतराज निदेशालय में उपनिदेशक पद तो रहेगा ही तो फिर इन पदों को निकालने का क्या औचित्य है ? क्या आप इस पर भी विचार करेंगे कि पंचायत मंत्रियों और ग्राम स्तर पर भी सारे पदों को एक में मिला दिया जाय ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह पैटर्न सारे भारत का है कि बी० एल० डब्लू० कृषि से सम्बन्धित कार्य देखेंगे और पंचायत का सेक्रेटरी तो संस्थागत कर्मचारी है । यहां तो एडीशनल डेवलपमेंट कमिश्नर, पंचायत राज डाइरेक्टर और डेवलपमेंट सेक्रेटरी के पदों को एक कर दिया गया है जिस से दो तीन स्थानों का काम एक उच्चाधिकारी कर ले और निर्णय जल्दी से हो सके । लेकिन ग्राम स्तर पर ऐसा करने में संभवतः कोई कठिनाई हो, इसलिये अभी ऐसा करने का विचार नहीं है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस अध्ययन दल के कौन-कौन सदस्य हैं और उसका टर्म्स आफ रिफरेन्स क्या है जिसके आधार पर उन्होंने सारे प्रदेश का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट सबमिट की ?

श्री राममूर्ति—

इसमें टर्म्स आफ रिफरेन्स का सवाल नहीं था । इन लोगों के ये सुझाव थे कि किस तरीके से पंचायतराज का वर्किंग है और प्रदेशों में उसको देखना चाहिये और उससे लाभान्वित हो सकते हैं और उस से फायदा उठाया जाय । उसमें मैं था, पंचायतराज के डिप्टी सेक्रेटरी थे, डिप्टी सेक्रेटरी के अलावा ज्वाइंट सेक्रेटरी थे । एक हमारे और डिप्टी सेक्रेटरी गये थे । एक दफा तीन गये थे और दूसरी दफा भी तीन गये थे ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि इस कमेटी ने इस प्रकार की कोई सिफारिश की है कि इस समय जो पंचायतों के क्षेत्र हैं उनको बढ़ा दिया जाय और ब्लाकों के क्षेत्र को भी बढ़ाया जाय या यह बात सरकार के विचाराधीन है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

पंचायतों के क्षेत्र को बड़ा करने के लिये इस कमेटी ने लिखा है, ब्लाकों के नहीं ।

*१२-१३—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

[स्थगित किये गये ।]

होम्योपैथिक चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन

*१४—श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में रजिस्टर्ड चिकित्सकों के अभाव को ध्यान में रखते हुये ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिस प्रकार धारा ५० के अधीन आयुर्वेदिक एवं यूनानी पद्धति से चिकित्सा करने वाले अनुभवी चिकित्सकों को पंजीकृत किया गया है उसी प्रकार होम्योपैथिक पद्धति द्वारा चिकित्सा करने वाले अनुभवी चिकित्सकों को भी पंजीबद्ध कर दिया जाय ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

विषय विचाराधीन है ।

श्री रक्षपालसिंह—

यह प्रसन्नता की बात है कि इस प्रदेश में होम्योपैथिक डाक्टरों से लाभ उठाने के लिये माननीय मंत्री जी ने विचार करना स्वीकार किया है परन्तु क्या माननीय मंत्री जी से मैं जान सकता हूं कि वे कब तक इस पर निर्णय ले लेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

यह बताना मुश्किल है कि उसमें कितना समय लगेगा ।

*१५–१६—श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

[६वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*१७–१८—श्री रामचरण शाह (जिला लखीमपुर खीरी)—

[हटा दिये गये ।]

*१९—श्री जुगलकिशोर (जिला बदायूं)—

[स्थानान्तरित किये गये ।]

मुरादाबाद में श्री एस० एस० टंडन की पत्नी को गलत इंजेक्शन देने की शिकायत

*२०—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को इसकी जानकारी है कि मुरादाबाद में दिनांक २३ मई, १९६५ को डा० जे० एस० कोठीवाल द्वारा श्री एस० एस० टंडन की धर्मपत्नी को गलत ढंग से पसलीन का इन्जेक्शन दिलाये जाने से इंजेक्शन लगाते ही ५–४५ पर तत्काल रोगी की मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुये कि चिकित्सक की स्पष्ट लापरवाही एवं पेंसलीन के गलत उपयोग से एक महिला की मृत्यु हो गई है इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी नहीं, ऐसी कोई शिकायत शासन को प्राप्त नहीं हुई है ।

दौलतपुर बांध

*२१—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले के "दौलतपुर-सौरहा राजपुर बांध", जो जनशक्ति योजना के अन्तर्गत बनने वाला था वह मामला कब से केन्द्रीय टेक्निकल कमेटी के सामने है तथा कार्य इस बांध पर कब से चालू होने की संभावना है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

गोरखपुर जिले के बृजमनगंज विकास क्षेत्र में ग्रामीण जनशक्ति उपयोग योजना की तृतीय शृंखला के अन्तर्गत स्वीकृत दौलतपुर बांध का संशोधित प्राक्कलन राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की प्राविधिक समिति के विचारार्थ नहीं रखा जा सका है, क्योंकि इस बांध के साथ ही साथ रेलवे पुल को भी ऊंचा किया जाना आवश्यक है, जिसकी लागत का प्राक्कलन रेलवे विभाग से मांगा गया है, जो कि अभी प्राप्त नहीं हुआ है ।

रेलवे विभाग से उक्त पुल के ऊंचा करने के लिये प्राक्कलन प्राप्त हो जाने के पश्चात् राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की प्राविधिक समिति के समक्ष दौलतपुर बांध का संशोधित प्राक्कलन विचारार्थ रक्खा जायेगा जिसकी स्वीकृति मिलने पर ही आगे की कार्यवाही की जा सकेगी ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या विकास मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे को परिपत्र भेज दिया गया है ताकि वह अपना प्राक्कलन दे सके ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यहां से बहुत पहले रेलवे को भेज दिया गया है परन्तु आज तक उसका उत्तर हमको प्राप्त नहीं हो सका है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

जनशक्ति योजना के अन्तर्गत यह बात कब से सरकार के विचाराधीन है और इस पर कब तक अन्तिम निर्णय हो जायगा ?

श्री राममूर्ति—

सन् १९६२ में पहली मर्तबा इसका प्राक्कलन तैयार किया गया था । उसके बाद से यह सब कार्यवाही की जा रही है ।

बलरामपुर में राजकीय महिला चिकित्सालय न होना

*२२—सरदार बलदेवसिंह तथा श्री सूरजलाल गुप्त (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला गोंडा मे बलरामपुर प्रमुख स्थान होते हुये भी वहां पर कोई सरकारी जनाना अस्पताल नहीं है ? यदि हां, तो वहां की स्थिति को देखते हुये क्या सरकार वहां पर एक जनाना अस्पताल बनवाने की निकट भविष्य में कृपा करेगी ? यदि नहीं तो, वहां पर उसी अस्पताल में (मर्दाना) में ही, एक लेडी डाक्टर की नियुक्ति करने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब से ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां । बलरामपुर, जिला गोंडा में कोई भी राजकीय महिला चिकित्सालय नहीं है । किन्तु वहां पर एक महिला चिकित्सालय बलरामपुर ट्रस्ट द्वारा सुचारु रूप से चल रहा है । अतः निकट भविष्य में महिला चिकित्सालय खोलना अथवा लेडी डाक्टर की नियुक्ति करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है ।

श्रमिक महासंघ

*२३—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश में श्रमिक महासंघ (फेडरेशन) कितने हैं ?

श्री बनारसीदास—

इस समय प्रदेश में २३ महासंघ हैं ।

*२४—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या श्रम मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जो श्रमिक महासंघ है उनमें से मान्यता प्राप्त कितने हैं ? प्रत्येक महासंघ से सम्बन्धित यूनियन तथा उनकी सदस्य संख्या क्या है ?

श्री बनारसीदास—

इन २३ महासंघों में १४ महासंघ उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा नियम, १९५७ के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हैं, जिन्हें सम्बन्धित यूनियन तथा सदस्य संख्या तालिका में दे दी गयी हैं जिसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २८१ पर)

कानपुर में प्री-मेडिकल परीक्षा

*२५—श्री विपिनबिहारी तिवारी—

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि प्री-मेडिकल परीक्षा, जो कि कानपुर में दिनांक २३ जून, १९६५ को हुई, वह करीब १ घंटे विलम्ब से आरंभ हुई ? यदि हां, तो क्यों ? तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

यह बात बिलकुल निराधार है कि कानपुर मेडिकल कालेज में दिनांक २३ जून, १९६५ को प्री-मेडिकल परीक्षा विलम्ब से प्रारंभ हुई । अतः किसी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

जब यह परीक्षा प्रारंभ हुई तब क्या परीक्षाध्यक्ष ने परीक्षा के प्रारंभ तथा जब समाप्त हुई उस समय को नोट किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे बताने की कृपा करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

७ बजे से परीक्षा आरंभ हुई थी ।

गुलावठी में किशनलाल जयप्रकाश फर्म पर बकाया

*२६—श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सहकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, गुलावठी, जिला बुलन्दशहर का १९६४–६५ का कुछ व्यापारियों पर ५०,००० रुपये (पचास हजार) से अधिक बकाया है ?

श्री बनारसीदास—

जी हां । केवल एक व्यापारी पर ६१,१५७ रु० ३५ पैसा बकाया है ?

*२७—श्री जगबीरसिंह—

यदि हां, तो ऐसे कितने और कौन-कौन व्यापारी हैं और सरकार की ओर से उस धन की वसूली के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री बनारसीदास—

उक्त बकाया किशनलाल जयप्रकाश फर्म पर है। इस फर्म के विरुद्ध सालसी कार्यवाही द्वारा डिग्री ले ली गयी है और बकाया की वसूली हो रही है।

श्री जगबीरसिंह—

क्या मंत्री जी ने इस तरह के आदेश दिए हैं कि भविष्य में जब तक सब बकाया वसूल न हो जाय तब तक माल उनको सोसाइटी से न दिया जाय ?

श्री बनारसीदास—

इस संबंध में यह आदेश दिए गए हैं कि जो वहां पर इन्सपेक्टर्स थे जिन्होंने इस बकाया को रखा उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय और इस रकम को तुरन्त वसूल किया जाय। डिग्री प्राप्त हो गयी है। कुछ रुपया वसूल हो गया है। ४८,००० रुपया अभी बाकी है और इस बात के आदेश दिए जायेंगे कि जब तक पूरा रुपया व वसूल हो इस फर्म के साथ किसी किस्म का कोई व्यापार न किया जाय।

श्री जगबीरसिंह—

जो डिग्री बनी है उसमें सूद की कितनी रकम है और किस परसेंटेज से सूद लगाया गया?

श्री बनारसीदास—

उस कुल रकम में सूद भी शामिल है। कुल ५७,४१८.३३ रुपये की रकम है। बाकी रकम इसके अन्दर सूद की है।

*२८—श्री नरसिंह नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

[हटा दिया गया]।

मगरौरा विकास में गबन

*२९—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला प्रतापगढ़ में लोक मंगरौरा में नवम्बर, सन् १९६२ ई० में कितने सौ रुपए का गबन है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

७,२०० रुपये का गबन है।

*३०—श्री रामकिंकर—

क्या यह सही है कि संबंधित ब्लाक के कैशियर द्वारा ६ फाइलें गायब कर दी गई हैं, जिनमें ४,८०० रुपये के गबन की धनराशि का जिक्र है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

४,८०० रुपये के गबन से संबंधित ६ फाइलों का गायब होना सही है। इन फाइलों के गायब होने की जिम्मेदारी श्री एस० पी० सिंह, क्षेत्र विकास अधिकारी पर ठहराई गई है।

*३१—श्री रामकिंकर—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जनवरी, १९६४ के लगभग कार्यवाहक, जिला नियोजन अधिकारी (श्री अयूब अली), प्रतापगढ़ (जांच अधिकारी) ने गबन की जांच संबंधी

कोई अंतिम रिपोर्ट कृषि उत्पादन एवं ग्राम विकास कमिश्नर, लखनऊ के पास भेजी थी ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट की मोटी-मोटी सिफारिशें क्या थीं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बंशीधर पांडेय--

श्री अयूब अली, कार्यवाहक जिला नियोजन अधिकारी, प्रतापगढ़ ने मंगरौरा विकास क्षेत्र में हुए गबन के बारे में अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट जनवरी, १९६४ में भेजी थी, जो अपूर्ण थी। आवश्यक कार्यवाही करने के उपरांत अब क्षेत्र विकास अधिकारी की सेवा समाप्त कर दी गई है।

श्री रामकिंकर--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि अंतिम रिपोर्ट में क्या-क्या सुझाव अयूब अली ने दिए थे ?

श्री बंशीधर पांडेय--

यह तो १५, २० पन्ने की लम्बी लिस्ट है, कहिए तो पढ़ दूं ?

श्री अध्यक्ष--

नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है।

स्वास्थ्य सेवा संबंधी आदेश

*३२--श्री रामकिशोर त्रिपाठी--

क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि दिनांक २ नवम्बर, १९६४ का उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा (क-२) विभाग का स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के नाम प्रेषित आदेश सं० यू०-१२१२-ए/११-बी-२५६६-६३, श्रम विभाग में कार्य करने वाले अधिकारियों पर अभी तक क्यों लागू नहीं किया गया है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

यह शासकीय आदेश केवल पी० एम० एस० (प्रथम) तथा पी० एम० एस० (द्वितीय) चिकित्साधिकारियों के लिए हैं। अतः इस आदेश का श्रम विभाग के चिकित्साधिकारियों पर लागू किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा जिला अस्पताल में डाक्टर

*३३--श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिला अस्पताल में कितने डाक्टर हैं तथा उन्हें यहां कार्य करते कितना-कितना समय हो गया है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना--

मथुरा जिला अस्पताल में इस समय निम्नलिखित चार डाक्टर हैं तथा उनके सामने दी हुई तारीख से वे वहां पर कार्य कर रहे हैं।

(१)	डा० ओ० पी० जैन	.. १२ जुलाई, १९६३
(२)	डा० हरी मोहन लाल	.. २० जुलाई, १९६२
(३)	डा० महेश प्रसाद माथुर	.. १४ मार्च, १९६३
(४)	डा० डी० एन० निगम	.. १ जुलाई, १९६४।

नोट--तारांकित प्रश्न ३१ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*३४—श्री लखीसिंह—

क्या यह भी सत्य है कि डी० सी० एस० तथा डाक्टर अस्पताल टाइम में मरीज देखने की फीस लेते हैं ? और बिना फीस लिए दवा नहीं मिलती ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी नहीं।

*३५-३६—श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

[२३ अगस्त, १९६५ को उत्तर दिया गया।]

सेठिया टेक्सटाइल मैन्यूफैक्चर्स, आगरा के मजदूरों का फंड

*३७—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनेजर, सेठिया टेक्सटाइल मैन्यूफैक्चर्स, आगरा ने जोन्स मिल नं० ३ के मजदूरों में से ५७-५८ व ५९ में कितना रुपया प्राविडेंट फण्ड के रूप में काटा था ? और उस रुपये को मजदूरों को लौटाया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—

वर्ष १९५६ में चालू होने के बाद से इस मिल के प्रबंधकों तथा प्राविडेंट फण्ड अधिकारियों के मध्य विभिन्न मुकदमें वर्ष १९६४ के अन्त तक चलते रहने और इस से संबंधित पत्रादि न्यायालयों में दाखिल रहने के कारण, इस विषय में पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है। मुकदमों का निपटारा हो जाने के पश्चात् अधिनियम के अधीन उचित कार्यवाही की गई है।

श्रमिकों तथा प्रबंधकों का कोई पैसा प्रबंधकों द्वारा भविष्य निधि के खाते में जमा न करने के कारण फण्ड के रुपये श्रमिकों को लौटाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*३८—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

[हटा दिया गया।]

जिला परिषदों के उच्चतर शिक्षा देने का अधिकार

*३९—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषदों को यह अधिकार तथा सुविधा दी गई है कि वे शनैः-शनैः सीनियर बेसिक स्कूलों तथा जूनियर हाई स्कूलों को हायर सेकेन्डरी स्कूलों में परिवर्तित करें ?

श्री राममूर्ति—

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ की अनुसूची २ के भाग "क" के खण्ड ४ के अन्तर्गत जिला परिषदों को यह अधिकार है कि वे अपने क्षेत्र में प्राइमरी-स्तर से ऊपर की शिक्षा की व्यवस्था करें। जिला परिषदों की आर्थिक कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए शासन द्वारा यह आदेश जारी किए गए हैं कि जिला परिषद् माध्यमिक तथा उच्चस्तर शिक्षा पर संबंधित आयुक्त की स्वीकृत से व्यय करें।

अतारांकित प्रश्न

सिंधोरा सहकारी संघ को बकायेदार

१—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़) तथा श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंधोरा सहकारी संघ ब्लाक, पिंडरा, जिला वाराणसी का कितना रुपया किन-किन लोगों पर बकाया पड़ा है ? क्या उनमें से श्री

शारदा पांडेय, अंबिका पांडेय आदि सरांय शेष लाड भी हैं जिनके यहां ८ हजार रुपया मुद्दत से बकाया है ? यदि हां, तो अब तक मय सूद के वसूल न करने का कारण क्या है ?

श्री बनारसीदास—

सिधोरा सहकारी संघ, ब्लाक पिंडारा, जिला वाराणसी के बकायेदारों की उनके खिलाफ बकाया रकम सहित एक सूची संलग्न है । गांव सरांय शेष लाड के सर्वश्री राधेश्याम पांडेय, शारदा पांडेय, जानअली तथा पूरनसिंह के खिलाफ जितना रुपया बकाया है वह भी उक्त सूची में दिखाया गया है । इन व्यक्तियों पर कुल १०३५ रु० २० पैसे बकाया है न कि ८ हजार रुपये । श्री अंबिका पांडेय पर कुछ भी बकाया नहीं है । श्री शारदा पांडेय के खिलाफ ३१ दिसम्बर, १९६१ को डिग्रीएवार्ड ले ली गयी है और उसकी वसूलयाबी के लिए दिनांक १६ अप्रैल, १९६५ को इजरा में भेज दिया गया है और वसूलयाबी की कार्यवाही हो रही है । अन्य तीन व्यक्तियों के खिलाफ भी ३१ दिसम्बर, १९६१ को डिग्री ले ली गई है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ २८२ पर)

पिंडरा ब्लाक में सिंचाई कूप के लिये तकावी

२—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिंडरा ब्लाक, जिला वाराणसी सन् १९६४–६५ में सिंचाई कूप निर्माण हेतु किन-किन व्यक्तियों को तकावी दी गई और उसमें कितने लोगों को पूरा रुपया दिया गया, कितनों को आधा और कितने-कितने कूपों का निर्माण हो गया और कितनों का नहीं ?

श्री राममूर्ति—

पिंडरा ब्लाक जिला वाराणसी में वित्तीय वर्ष १९६४–६५ में सिंचाई कूप निर्माण हेतु कुल ३१ व्यक्तियों को तकावी दी गई है । व्यक्तियों की सूची निम्न प्रकार है । इन सभी व्यक्तियों को पूरा रुपया दिया गया है । सूची में उल्लिखित नाम क्रमांक ४, ५, ७, ११, १५, २०, २१, तथा २४ को छोड़ सभी व्यक्तियों के कूप बनकर तैयार हो गए हैं ।

			रु०
१—श्री सीताराम पांडेय	..	ग्राम थाना	१,२००
२—श्री सूरज	..	रामपुर	१,२००
३—श्री अयोध्या	..	रामपुर	४००
४—श्री भगोती	..	रामपुर	४००
५—श्रीमती गुजराती	..	रामपुर	१,२००
६—श्री नन्हकू	..	सिन्वोरा	८००
७—श्री रामखेलावन आदि	..	चुप्पेपुर	१,१४७
८—श्री विभूतिनारायण सिंह	..	पिंडरा	१,२००
९—श्री जंगा	..	महिवा	१,२००
१०—श्री बेनी राम	..	चुप्पेपुर	१,२००
११—श्री राम सूरत आदि	..	चुप्पेपुर	४००
१२—श्री नरोत्तम	..	महगांव	६५०
१३—श्री कामता पांडेय	..	चारा	१,०००

१४—श्री हरिमूरत पांडे	.. ..	चारा	.. १,०००
१५—श्री धनेश्वर पांडे	.. ..	मंझवा	.. ६००
१६—श्री बाबा कुर्मी	.. ..	रमईपुर	.. ६००
१७—श्री राम नायक	.. ..	समगरा	.. १,२००
१८—श्री राम लखन	.. ..	पिंडरा	.. १,२००
१९—श्री राम देवान	.. ..	गढ़खरा	.. १,०००
२०—श्री रमाशंकर सिंह	.. ..	ऊंदर	.. ६००
२१—श्री रूप नारायन	.. ..	रमईपेटी	.. ४००
२२—श्री राम लखन	.. ..	परसरा	.. ६००
२३—श्री राजूकिशोर	.. ..	परसरा	.. ४००
२४—श्री सुखई हरिजन	.. ..	परसरा	.. ६००
२५—श्री विभूति नारायन सिंह	.. ..	पिंडरा	.. १,२००
२६—श्रीमती हिरावती	.. ..	सरैया	.. १,०००
२७—श्री शिवहरख	.. ..	चमरू	.. १,०००
२८—श्री रूपनाथ राम	.. ..	चकरमा	.. ६७८
२९—श्री गौरे पांडे	.. ..	भोपतपुर	.. १,०००
३०—श्रीमती सावरी	.. ..	रसूलपुर	.. १,०००
३१—श्री माता प्रसाद	.. ..	धरमनपुर	.. १,०००

"पायोनियर" समाचार-पत्र के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोद मैंने "पायोनियर" समाचार-पत्र के रिवद्ध सूचना दी थी उसके संबंध में मैं आपके आदेश जानना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय राजनारायण और काजी जलील अब्बासी ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है "पायोनियर" अखबार के विरुद्ध । उसका मैंने अभी अध्ययन नहीं किया है । इसका अध्ययन करके कल इस पर व्यवस्था दे सकूंगा ।

सिंचाई मंत्री द्वारा प्रश्न के उत्तर में कथित गलत बयानी करने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

एक विशेषाधिकार का हमारा १७ अगस्त का है ।

अध्यक्ष—

मैं आपकी ही सूचना को पढ़ रहा हूं। माननीय चन्द्रबली सिंह ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था माननीय सिंचाई मंत्री के विरुद्ध, और उसमें यह वाक्य था कि "जानबूझ कर देवरिया जिला में राप्ती के बांयें किनारे के नवनिर्मित बांध, तथा उसके बचाव हेतु लग रहे ठोकर और ठोकर के बह जाने की बात से इनकार किया है जब नव-निर्मित बांध भी है, ठोकर, भी लग रहा था। ठोकर बह भी गया था इसकी जानकारी सरकार तथा सिंचाई मंत्री को है।"

इस संबंध में माननीय मंत्री जी ने एक पूरा विवरण देते हुए यह लिखा है—"मुझे खेद है कि जिस दिन उत्तर दिया गया उस समय जो स्थिति ठोकरों की थी वह बतलाना संभव न हो सका क्योंकि उत्तर उपलब्ध पूर्व सूचना के आधार पर दिया गया था।"

अब उन्होंने खेद प्रकट कर लिया है, इसलिये यह समाप्त किया जाता है।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

आपने जो व्यवस्था दी है, जरा सुन लें। पिछली बार माननीय हरगोविन्द सिंह के संबंध में इलाहाबाद का सवाल था, आपने आश्वासन दे दिया सदन को कि यह विचारणीय प्रश्न है कि मंत्री अधिकारियों की राय से सदन को अवगत करा देता है तो जब मंत्री ने स्वीकार कर लिया कि अधिकारी ने गलत सूचना दी, तो इस संबंध में जो कि चन्द्रबली सिंह ने, उन्होंने सवाल उठाया है वह भी आप उसी में सम्बद्ध कर दें, इस पर विचार होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

सायंकाल मैंने सभी नेताओं को बुलाया है परामर्श के लिये कि इस संबंध में हम क्या कार्यवाही कर सकते हैं। उस संबंध में और भी बातें होंगी।

गोरखपुर के राजकीय उर्वरक कारखाने पर प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ व ५३ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

अब कार्य-स्थगन प्रस्ताव मेरे पास सभी दलों की ओर से, जो मुख्य हैं, आये हैं। एक तो माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी का है....

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। आपकी व्यवस्था है कि जो काम-रोको प्रस्ताव आयेंगे उनको आप क्रम से लेंगे। सब से पहले हमने काम-रोको प्रस्ताव रखा, उस पर नम्बर १ पड़ा हुआ है फिर भी आप वही रिपीट कर रहे हैं कि "श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी का ले रहे हैं।" तो आप क्रम और नियमों से कार्य कीजिये। जिसका पहले आया है, उसको पहले लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

मुझे तो नहीं मालूम कि किसका नम्बर १ पर है या २ पर है। लेकिन साधारण पद्धति यह है कि नेता विरोधी दल का अगर प्रस्ताव आ जाये तो मेरा कर्त्तव्य हो जाता है कि मैं उनको

[श्री अध्यक्ष]

प्राथमिकता दूं, यह मेरी मजबूरी है। हमारे नियम और हमारी परम्परायें भी यही रही हैं, इस कारण से मैंने उनका प्रस्ताव पहले लिया है। इसमें सर्व श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, टम्बेश्वरप्रसाद, विश्वनाथ प्रसाद, रक्षपाल सिंह, हरिनाथ तिवारी, दयाराम शाक्य, बिपिन-बिहारी तिवारी, सुखदेव प्रसाद, जगन्नाथ राव तथा मुकुट बिहारी लाल के हस्ताक्षर हैं। दूसरा जो प्रस्ताव है वह सर्वश्री नेकराम शर्मा, चन्द्रजीत यादव, ऊदल, सुरजन राम, रघुवीर राम, राम सुन्दर शास्त्री, ब्रह्मदत्त सायर, तथा बालो जी अग्रवाल का है। तीसरा सर्व श्री राम सुन्दर पाण्डेय, उग्रसेन, केशरी प्रसाद पान्डेय, गया प्रसाद, शिवनाथ सिंह, दौलत लाल तथा चन्द्र बलीसिंह का है। चौथा सर्व श्री झारखण्डे राय, रघुनाथ राम, सुरजन राम, तथा राम-सुन्दर शास्त्री का है। कुछ माननीय सदस्यों ने दो में हस्ताक्षर कर दिये हैं। एक कांग्रेस के सर्वश्री नरसिंहनारायण पांडेय, दुर्योधन, तथा सोहनलाल धूसिया का है। इसी संबंध में एक प्रस्ताव नियम ५३ के अन्तर्गत माननीय रघुनाथ सिंह ने तथा एक नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय रियासत हुसैन ने भी दिया है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, वहां पर पुलिस, इस वक्त जो इवीडेन्स है उसको डेस्ट्राय कर रही है, दीवार में जहां गोली के निशान लगे हैं उनको मिटा रही है। मेरे पास गोरखपुर के लोग आये हैं ——

श्री अध्यक्ष—

मैं तो उसको लेना चाहता हूं। पहले मैं यह पूछ लूं कि सरकार को क्या आपत्ति है।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

हमने अपने कामरोको प्रस्ताव में तो सरकार की जो नीति है उसके खिलाफ जो कार्य-वाही हो रही है उसको लिखा है। किसानों का १ लाख ३९ हजार रुपया मुआवजे का बाकी है। नियमों में यह है कि सरकार पहले मुआवजे का रुपया दे, फिर किसी स्थान पर कब्जा करे। किसानों ने क्या किया? वे अपने रुपये की मांग ही तो कर रहे थे। उस पर पुलिस ने गोली चला दी।

श्री अध्यक्ष—

मैं तो अभी सरकार से वजह पूछ रहा हूं कि वे बतायें कि क्यों न इसको लिया जाय? मैं तो उसको लेना चाहता हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, २२ राऊन्ड गोली चली है, औरतों को मारा गया, बच्चों को मारा गया, इतना बर्बर काण्ड तो कभी हुआ ही नहीं....

श्री अध्यक्ष—

अगर सरकार की तरफ से इनकार हो तब यह कहियेगा। माननीय गृह मंत्री, क्या वजह है, इसको क्यों न लिया जाय?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—

श्रीमन्, उन्होंने गोली चलाई,, यह बात सत्य है। हमारे पास जो इन्फार्मेशन है उसमें मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी भी आर्डर हो गई है। लिहाजा कोई कामरोको प्रस्ताव हमारे नियम के अनुकूल दफा ७ में नहीं आ सकता।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

श्रीमन्, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है ।

श्री अध्यक्ष—

देखिये, उनका कहना यह है कि चूंकि मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी भी आर्डर कर दी है—

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

पहिले कृपा करके मेरी बात सुन लीजिये । इनका कहना यह है कि सरकार की तरफ से कोई आपत्ति नहीं । केवल एकमात्र उसके सामने जो अवरोध प्रस्तुत किया जा रहा है वह यह है कि मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी हो रही है, सिर्फ इतना ही.....

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, इस पर, कई बार व्यवस्था हो चुकी है । अगर नीति संबंधी बात है तो ऐसी चीज का डिस्कशन नहीं करना चाहिये जो मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी का सब्जेक्ट है । अभी इलाहाबाद की घटना हुई उसमें पुलिस ने बर्बरतापूर्ण ढंग से गोली चलाई, भागते हुए लोगों की पीठ पर गोली चली, औरतों को लगी है, जो दूर बैठे थे उनको लगी है । जो अपने हित के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे उन पर गोली चलाई गई । यह नीति संबंधी बात है । यह फैक्ट्स से संबंधित नहीं रखता जो फैक्ट हो मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी का । आप भी इस बारे में व्यवस्था दे चुके हैं । आपकी व्यवस्था भी मौजूद है कि हम केवल इसकी नीति की आलोचना करेंगे जिन्होंने जनजीवन को पशु जीवन समझा है । इसलिये मैं समझता हूं कि आप एडजर्नमेन्ट मोशन एलाउ करेंगे ।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, यह न्यायिक जांच नहीं है, यह तो कलेक्टर की घरेलू जांच है । इसलिये आप इसको....

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय ने....

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

श्रीमन्, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर यह है कि इस सदन में व्यवस्था हो चुकी है, आपको याद होगा जिस समय गोरखपुर में २० अक्तूबर, १९६२ को गोली चली थी, उस समय आपने बड़ी कृपा की थी कि वहां पर जुडीशियल इन्क्वायरी का आर्डर करा दिया था । लेकिन चूंकि एडजर्नमेन्ट मोशन आया था तो उस समय आपने बड़ी कृपा करके व्यवस्था दी थी कि चूंकि इस संबंध में फैक्ट्स संबंधित हैं और जितना मामला जुडिशियल इन्क्वायरी से संबंध रखता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं । फैक्ट्स पर डिस्कशन हो सकता है । इस लिये मैं चाहता हूं कि इस मामले में डिस्कशन कराइये । श्रीमन्, मैजिस्टीरियल इन्क्वायरी का कोई मतलब नहीं । वहां पर तीन आदमियों की मौत हो गई और एक दर्जन आदमी अस्पताल में घायल हैं जिनमें तीन की हालत चिन्ताजनक है और जिस तरह से गोली चलाई गई....

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, चार की लाश गायब है ।

श्री अध्यक्ष—

एक महानुभाव बोल रहे हैं, आप बैठ जाइये ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि जैसी वहां स्थिति है, मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वहां पर पी० ए० सी० की बटालियन लगाई गई है। वह वहां पर निरीह किसानों को गिरफ्तार कर रही है और उनको मार पड़ रही है....

(शेम शेम की आवाजें)

श्री अध्यक्ष—

इससे कोई लाभ नहीं ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

वहां पर सभा सचिव, पुलिस की जेल में पीटे गये और यह स्थिति बिगड़ती जा रही है। इससे पहिले कि वहां स्थिति बिगड़े वहां का जो एस० पी० है उसको तत्काल हटाया जाय। श्रीमन्, उसको हटा भी दिया गया लेकिन उसको फिर वहां रख दिया गया। उसको वहां से हटाइये। अगर मुख्य मंत्री मुनासिब समझें तो स्वयं घटना स्थल पर जायं ।

श्री अध्यक्ष—

आप कामरोको प्रस्ताव पर बोल रहे हैं ? अपना भाषण कृपया समाप्त कर दें।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

अध्यक्ष महोदय, यह घटना एसी है कि हाउस के सभी मेम्बर इसके बारे में विचलित हैं और सब के साथ मैं भी चाहती हूं कि सम्पूर्ण स्थिति से मैं भी अवगत होऊं। मुझे कोई एतराज नहीं है अगर इस बारे में आप लोग बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन जब सारी इन्फारमेशन मिल जाय उसके बाद वे डिस्कशन करना चाहें तो कर लें ।

श्री अध्यक्ष—

तो वह इन्फारमेशन आज शाम तक मिल जायगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

शाम तक मैं बतला दूंगी कि मिल सकेगी या नहीं, लेकिन मेरी कोई मंशा देरी करने की नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

आज यदि नहीं हो तो कल तो जरूर ही इस पर बहस होगी ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जब तक पूरी सूचना न मिल जाय तब तक क्या बहस होगी ? मैं शाम तक बतलाऊंगी कि क्या स्थिति है ।

श्री अध्यक्ष—

बहस ४ बजे तक शुरू हो जानी चाहिये। अगर आज ४ बजे तक आप इन्फारमेशन मुहैया न कर सकें तो आप यह कह दें कि कल ४ बजे बहस होगी ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

ठीक है, यही कर दें ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, अगर ये इन्फारमेशन गैदर न कर सकें तब क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें ।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय—

श्रीमन्, मेरा एक सुझाव है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितने कामरोको प्रस्ताव आज आये हैं उन सबको आप माननीया मुख्य मंत्री के पास भेज दें ताकि ऐसा न हो जाय कि माननीय गृह मंत्री या माननीया मुख्य मंत्री कह दें कि हमारे पास इसकी सूचना नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, मैं सबको भेज दूंगा ।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, मेरा भी एक सुझाव है जिसे आप सुन लें । जब तक और सब काम न हो, वहां के पुलिस कप्तान और श्री खन्ना जो फर्टिलाइजर फैक्टरी के मैनेजर हैं, उनको वहां से तुरन्त ही हटा दिया जाय, क्योंकि वहां की स्थिति बड़ी भयंकर है ।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, आप बैठें । माननीय माधवप्रसाद त्रिपाठी जी, आप सदन से अनुज्ञा मांग लीजिये ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

अध्यक्ष महोदय, जब नियमावली के अनुसार किसी भी तरफ के लोग विरोध में न हों तो फिर अनुज्ञा लेने का क्या सवाल है ? यह तो सर्वसम्मत्ति से हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर सब की यह राय है । अब आप बैठ तो जायं, क्या परेशानी है ?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

परेशानी की बात नहीं है, नियम की बात है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसके लिये तैयार हूं, क्या सदन की यह राय है कि सर्वसम्मति से इसको लिया जाना चाहिये ।

(किसी के आपत्ति न करने पर)

श्री अध्यक्ष—

तो ठीक है, सर्व सम्मति से अनुज्ञा दी गयी, कल ४ बजे से इसके ऊपर विचार होगा ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, माननीया मुख्य मंत्री से मेरा निवेदन यह है कि "पूर्वी टाइम्स" में यह लिखा हुआ है कि पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने के दीवारों पर जो सबूत हैं, उनको पुलिस

[श्री नेकराम शर्मा]

मिटा रही है, इसलिये आपके द्वारा माननीया मुख्य मंत्री से मेरी प्रार्थना है कि वे यहां से आदेश दे दें कि जो सबूत हैं उनको बिगाड़ा न जाय और पुलिस आफिसर वहां के कम से कम सस्पेन्ड करने में डरते हों तो उनको तुरन्त ही वहां से हटा दें।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठ जायं। मैं माननीय नेता विरोधी दल के प्रस्ताव को पढ़ देता हूं, शेष को माननीया मुख्य मंत्री के पास भेज दूंगा।

श्री उग्रसेन—

अगर आप पढ़ते ही हैं तो हम सबका पढ़ दें, मेरा यह सुझाव है, इसमें आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

"गोरखपुर नगर से पांच मील दूर राजकीय उर्वरक कारखाने के पश्चिमी फाटक पर कल शान्त प्रदर्शनकारियों के ऊपर पुलिस द्वारा बिना कोई पूर्व सूचना दिये बड़ी निर्दयता पूर्वक गोली वर्षा की गई, जिसके परिणाम स्वरूप ४ व्यक्ति घटनास्थल पर ही मर गये तथा २५ से अधिक व्यक्ति घायल हुए, जिनमें से अनेक की हालत अत्यन्त चिन्ताजनक है। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगा रहे थे। पुलिस ने निशाना बना-बनाकर गोलियां चलाई। दूर खेत में काम करते हुए एक महिला को गोली मारी गई।

पुलिस के इस अमानुषिक अत्याचार में जनता में घोर उत्तेजना व्याप्त होकर शान्ति एवं व्यवस्था के लिये संकट की दशा व्याप्त है। अस्तु, लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर विचार करने के लिये हम प्रस्ताव करते हैं कि आज सदन अपना कार्य स्थगित करता है।"

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

अध्यक्ष जी, मैं एक सुझाव देना चाहता था कि माननीय नेता विरोधी दल का आपने पढ़ दिया है, अच्छा है, लेकिन औरों के लिये आप कह दें कि सब पढ़े हुए माने जायं।

(अन्य कार्य-स्थगन प्रस्तावों, नियम ५२ तथा नियम ५३ की सूचनाओं के लिये देखिये नत्थी "घ, ङ, च, छ, ज, झ तक")

श्री अध्यक्ष—

हां, सब पढ़ हुए माने जायेंगे, अगर इसमें आपको संतोष है।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

एक सेकेन्ड में मैं आपके जरिये इस बात का आग्रह करना चाहता हूं कि पुलिस अधिकारियों को आप हटावें न हटावें, उसके ऊपर काफी लोगों ने कह दिया है, लेकिन चूंकि घटना उन गांवों के लोगों क ऊपर की गई है जिनकी जमीन ली गई है और जो नौकरी चाहते हैं, काम चाहते हैं, रोटी चाहते हैं इसके लिये जो वहां गये थे, उनके ऊपर जो पुलिस गांवों में घुसकर मारपीट और आतंकित कर रही है, उनके बर्तन, भाड़े इत्यादि तोड़-फोड़कर तमाम बेइज्जती कर रही है, इस आतंकपूर्ण कार्यवाही को बन्द करवा दें, यह मेरा विशेष आग्रह है और इसको माननीय मुख्य मंत्री जी स्वीकार कर लें।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। यह प्रसन्नता की बात है कि इस सवाल पर सारा सदन गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहता है। मैं समझता हूं कि जब कल ४ बजे इस प्रस्ताव को आप यहां लें तो कृपया करके ऐसी व्यवस्था करें कि माननीय गृह मंत्री जी उस विवाद में भाग न लें क्योंकि वे जाने, अनजाने ऐसी बात कह देते हैं जिससे सदन का वातावरण खराब हो जाता है।

श्री अध्यक्ष—

आप विश्वास रखिए ..... (व्यवधान) आप बैठ जाइए।

प्रदेश के इंजीनियरों द्वारा त्याग-पत्र देने का निर्णय तथा काले बैज लगाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत मैंने माननीय नेकराम शर्मा, माननीय ऊदल, माननीय ब्रह्मदत्त मायर, माननीय बालोजी अग्रवाल, माननीय झारखंडे राय और माननीय शिवदान सिंह की सूचना को स्वीकार किया है। वह मैं पढ़ कर सुना देता हूं।

"आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया के नियम ५२ के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को उठाना चाहते हैं।

"प्रदेश के हजारों इंजीनियर्स ने यह निर्णय किया है कि यदि उनका वेतन न बढ़ाया गया तो प्रदेश के समस्त इंजीनियर सरकार को अपना इस्तीफा दे देंगे। निर्णय के फल-स्वरूप प्रदेश के समस्त इंजीनियर्स आजकल अपनी बांई भुजा पर काला बैज लगाकर अपने दफ्तरों एवं बाजारों में ही नहीं वरन विधान सभा की गैलरियों में आकर बैठते हैं। इंजी-नियरों के इस निर्णय और काले बैज लगाने से आज प्रदेश में एक घोर असन्तोष उत्पन्न हो गया है। इनके इस्तीफा देने से हमारी पंच वर्षीय योजनायें और सारे विकास के कार्य रुक जाएंगे। काले बैज के दर्शन के कारण अन्य सरकारी कर्मचारियों में भी विद्रोह की भावना जाग्रत हो गई है क्योंकि वेतन अभिनवीकरण कमेटी की रिपोर्ट से उनमें भी व्यापक असन्तोष है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार का वक्तव्य तुरन्त दिलाने की कृपा करें।"

मंत्री जी इसके ऊपर कब वक्तव्य देंगे ?

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

सोमवार या मंगलवार रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

सोमवार को वक्तव्य दीजियेगा।

श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो अभी आपने पढ़ा है इंजीनियरों का....

(व्यवधान)

प्रश्न यह है कि आज जैसी स्थिति देश की है उस स्थिति में जब सरकारी कर्मचारी इस प्रकार की धमकी देते हैं तो उनके खिलाफ डी० आई० आर० यूज होना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री उग्रसेन—

फिर तो यह उन साहब पर पहले लागू होगा जिन्होंने कहा उद्घाटन किया था ।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

अब अनावृष्टि और सूखा के परिणामस्वरूप जो परिस्थिति विभिन्न जिलों में उत्पन्न हो गयी है, उसके संबंध में मेरे पास नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें आयी हैं। नियम ५२ के अधीन एक ले लेने के बाद और कोई ली नहीं जा सकती। माननीय राम चन्द्र विकल, श्री उग्रसेन, श्री चन्द्रबली सिंह और माननीय शिव नाथ सिंह तथा श्री लखपतराम शर्मा और माननीय सुखदेव प्रसाद की सूचनाएं महत्वपूर्ण हैं । इन सबको मैं माननीय राजस्व मंत्री जी के पास विशेष ध्यान के लिये भेज रहा हूं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, हमारी तो एक विशेष घटना है, उस घटना की जांच माननीय गृह मंत्री अथवा माननीय खाद्य मंत्री जी करा दें ।

श्री अध्यक्ष—

आप गृह मंत्री जी से मिल लीजिये ।

नियम ५२ के संबंध में मैंने यह सुविधा दी है कि जिनको मैं स्वीकार नहीं करता उनको भी मैं माननीय मंत्री जी के पास विशेष ध्यान के लिये भेज देता हूं, आप और क्या चाहते हैं? आप उनसे मिल लीजिये ।

देवरिया जिले में सहकारिता विभाग द्वारा रासायनिक खाद न दिये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

माननीय सहकारिता मंत्री ?

सहकारिकता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

अध्यक्ष महोदय, प्राप्त सूचना के आधार पर अप्रैल, १९६५ से जून, १९६५ तक ९७,९६,५०२ रुपये का अल्पकालीन ऋण सहकारी बैंक, देवरिया द्वारा दिया गया । जिसमें से ११ ७४,०२२ रुपये का ऋण खाद के रूप में था। उर्वरक ऋण किसानों को उत्पादन योजना व क्षेत्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए स्वीकार किया जाता है जो कि कहीं १० प्रतिशत से कम भी हो सकता है और कहीं पर अधिक भी हो सकता है। उक्त धनराशि में से ५,९७,९५८ रुपये की खाद जून मास के अन्त तक उठ चुकी थी तथा ५,७६,०६४ रुपया ऐसा था जिसकी खाद उठानी बाकी थी । ३० जून, १९६५ को देवरिया जिले में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर ५,१५,२३० रुपये के मूल्य का स्टाक मौजूद था । इस प्रकार ३० जून, १९६५ तक के उर्वरक वितरणहेतु उपलब्ध कटौती धन के विरुद्ध ६०,८३४ रुपये के मूल्य के स्टाक की कमी थी।

जुलाई व अगस्त, १९६५ में कितने रुपये का सहकारी ऋण खाद के रूप में दिया गया, इसकी पूरी सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई है, परन्तु अनुमानतः यह रकम दो लाख रुपये है। इस प्रकार खाद की कुल कमी लगभग २,६०,००० रुपये की है। इसको पूरा करने के लिए कृषि विभाग से खाद प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया जिसके फलस्वरूप स्थानीय कृषि विभाग ने लगभग २ लाख रुपये का खाद नकद दाम पर देना स्वीकार किया है। १८ अगस्त, १९६५ को पी० सी० एफ० ने सहायक निबन्धक देवरिया के अनुरोध पर २ लाख रुपये के उर्वरक स्टाक को कृषि विभाग देवरिया से खरीदने की अनुमति प्रदान कर दी है तथा उसके लिए दो लाख रुपया नकद उनको दिलवा दिया गया है। यह खाद प्राप्त हो जाने पर आशा की जाती है कि देवरिया जिलें में खाद की कमी का तात्कालिक हल संभव हो सकेगा।

देवरिया जिला सहकारी संघ को अप्रैल से सितम्बर तक २,७९८ टन खाद केंद्रीय सरकार द्वारा मिलना था, परन्तु अभी तक कोई स्टाक आने की सूचना नहीं मिली है। इस सिलसिले में केन्द्रीय सरकार को बराबर लिखा गया है।

खाद की कमी को देखते हुए आरम्भ में ही यह आदेश कर दिए गए थे कि यदि खाद न दिया जा सका तो किसानों के प्रोनोट रद्द कर दिए जाएं जिससे की सूद का बोझ उन पर न पड़े। संबंधित आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिए नत्थी "ञ" आगे पृष्ठ २८९–२९१ पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, आपके द्वारा एक आदेश प्रसारित हो चुका है कि नियम ५२ के वक्तव्य की प्रति सब सदस्यों को भी दी जायगी...

श्री अध्यक्ष—

वह आदेश अभी जारी नहीं हुआ है, वह हो जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

वह आदेश हो चुके हैं, माननीय राजस्व मंत्री, गृह मंत्री, परिवहन मंत्री ने वह छपवाए भी हैं, लेकिन आज सहकारिता मंत्री का वक्तव्य हमें नहीं मिला है, इस तरह से आप के आदेश का उल्लंघन हुआ है और इस कारण से हम पूरक प्रश्न करने में असमर्थ हैं। हम चाहते हैं कि जब वह बट जाय उसके बाद हमें पूरक प्रश्न करने का मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप हमेशा बगैर प्रति के ही प्रश्न पूछते रहे हैं, ८ दिन से ही यह आदत अभी पड़ी है, वैसे उनके बगैर पढ़े ही सप्लीमेंटरी हो जाते थे।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

अभी मंत्री जी ने कहा है वक्तव्य में कि संलग्न सूची में देख लिया जाय, लेकिन यहां न कागज न पत्तर, कहां देख लें? जब तक उनका वक्तव्य न मिले, हम पूरक प्रश्न कैसे करें?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, बनारसीदास जी अपना तरीका इस्तेमाल करते हैं, आपके आदेश का पालन नहीं करते।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

इसको आप कल के लिए स्थगित कर दें।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

वक्तव्य नहीं बंटा है तो पूरक प्रश्न कैसे करें ?

श्री अध्यक्ष---

वक्तव्य बांटा नहीं जाता ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

क्या आपकी व्यवस्था हो गई कि वह नहीं बांटा जाता ?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

अध्यक्ष महोदय, ऐसी बहुत-सी समस्यायें हमारे सामने आती हैं और जब माननीय मंत्री जी वक्तव्य देते हैं तो या तो वे पेचीदा होते हैं या लम्बे होते हैं जिससे वक्तव्य का जो मतलब होता है वह भी खफ्त हो जाता है । उस पर हम सप्लीमेंटरी प्रश्न नहीं कर सकते हैं । तो मेरी प्रार्थना है कि माननीय मंत्री जी का वक्तव्य यदि सब माननीय सदस्यों को उपलब्ध नहीं हो सकता है तो कम से कम एक-एक प्रति सभी पार्टियों के लीडरों के हाथ में अवश्य होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष---

यह नहीं हो सकता ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

क्या इसका मिलना संभव नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

यह संभव नहीं है । यह बात तो नियमों की है । यदि आप नियमों में परिवर्तन करा लें यह तभी हो सकता है । लेकिन नियमों में अगर परिवर्तन नहीं होता है तो फिर मैंने एक सजेशन दिया है । मुझे तो खयाल नहीं है कि मैंने सरकार के पास ऐसा कोई आदेश भेजा है या नहीं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन्, मैंने आपसे निवेदन किया था कि नियम ५२ में जो सूचना माननीय मंत्री सदन में पढ़ें उसे माननीय सदस्यों में वितरित कर दें । आपने आश्वासन भी दिया कि मैं सरकार से बातचीत करूंगा । इसके बाद क्या हुआ, श्रीमन्, लखनऊ में ही संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों की गिरफ्तारी का सवाल जब उठा उस समय माननीय गृह मंत्री ने उसकी सूचना मेरे पास भेजी और उसके बाद माननीय मुजफ्फर हसन ने सूचना बांटी । कल की ही बात है कि राजस्व मंत्री ने एक सूचना बांटी तो जब ये वरिष्ठ मंत्री सूचनाएं बांट चुके हैं तो इन्हें (माननीय बनारसीदास जी को) यह सूचना बांटने में क्या आपत्ति है । आप जानते हैं कि जब एक परम्परा स्थापित हो चुकी है तो उसका पालन नियमों में क्यों नहीं होता है । अतः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इसकी व्यवस्था करने की कृपा करें । माननीय बनारसीदास जी को दूसरे कामों में फंसे रहने के कारण सदन के काम की चिंता नहीं रही । यदि उन्होंने सदन के काम में ध्यान नहीं दिया तो सदन की कार्यवाही कैसे चल सकती है ? अतः जो व्यवस्था ८ दिन से सदन में चल रही है उसे आप बनाये रखें और माननीय बनारसी दास जी को कहें कि वे सूचना सभी माननीय सदस्यों के सूचनार्थ बंटवा दें ताकि सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछे जा सकें जिसका सभी माननीय सदस्यों को पूर्ण अधिकार है ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, नियम ५२ को अगर आप देखें तो उसके उप-नियम (३) में यह दिया हुआ है कि "मंत्री संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेंगे या किसी भावी समय या तिथि पर वक्तव्य देने के लिए समय मांग सकेंगे"। तो मेरा निवेदन यह है कि अगर माननीय मंत्री के नियमों में रहने के बावजूद भी उनसे यह कहा जाय कि लिखित वक्तव्य सभी माननीय सदस्यों को दिया जाय तो यह भी मांग की जा सकती है कि जो भी सूचना माननीय मंत्री जी दें वह एक-एक सदस्य को दी जाय। यदि यह परम्परा पड़ गयी तो मैं समझता हूं कि यह गलत होगा। इसलिए जो नियमों में दिया हुआ है उसी का पालन होना चाहिए।

श्री उग्रसेन---

सूचना के वितरण के बारे में आपकी एक व्यवस्था हो चुकी है। उसका पालन होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष---

नियम हमारे बिलकुल ठीक हैं। मैंने केवल यह कहा था कि नियमानुसार परामर्श करूंगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर नियम ५२ के अन्तर्गत कोई मंत्री उसी समय खड़ा होकर वक्तव्य देता है तो आपको सुनना पड़ेगा, प्रतिलिपि का प्रश्न नहीं उठेगा। अगर दूसरे दिन वक्तव्य देता है तो क्या फर्क पड़ता है? क्यों प्रति दी जावे? मैंने आदेश जारी कर दिये हैं कि वक्तव्य की एक प्रति उस माननीय सदस्य को जिसने नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना दी है, उसको जानी चाहिए और मैं चाहूंगा कि भविष्य में इसका ध्यान रखा जाय।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि...

श्री अध्यक्ष---

मैंने एक व्यवस्था दे दी है, उसका आदर कर लें।

श्री उग्रसेन---

अभी आपने भाष्य किया है कि माननीय सदस्य को एक प्रति दे दी जाय। तो भी माननीय सदस्य श्री चन्द्रबली सिंह को इसकी प्रति नहीं दी गयी है तो इस पर तो आज सवाल जवाब हो ही नहीं सकते हैं। तब आप कैसे नियमों का अनुसरण करा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---

एक सुविधा मैंने दी ताकि समय नष्ट न हो सदन का, लेकिन इस मामले में माननीय मंत्री के ध्यान से उतर गया।

श्री उग्रसेन---

इसकी सजा चन्द्रबली सिंह को क्यों दी जाय?

श्री चन्द्रबलीसिंह---

देवरिया जिले में १५ लाख रुपये की रासायनिक खाद नहीं मिल सकी है, उस संबंध में यह वक्तव्य मांगा था, लेकिन उसकी जब मुझे प्रति ही नहीं मिली तो मैं सवाल कैसे कर सकता हूं?

श्री अध्यक्ष—

मंत्री जी, माननीय सदस्य को एक कापी दे दीजिएगा और माननीय सदस्य अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न कर लेंगे।

(वित्त मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल जो आपने व्यवस्था दी है उस पर जरा पुनर्विचार करें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय वित्त मंत्री को बुला लिया है। उसके बाद आप कहिएगा।

वेतन अभिनवीकरण समिति द्वारा विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन-क्रमों को सरकारी सचिवालय के समान न रखने के सम्बन्ध में वक्तव्य

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

सामान्यतः विधान सभा सचिवालय के वेतन-क्रम सरकारी सचिवालय के वेतनक्रम के समान रहे हैं। विधान मंडल के सचिव का वेतनक्रम सचिवालय के सचिव न्याय विभाग के समान रहता है। सचिव विधान सभा तथा विधान परिषद् का वर्तमान वेतन-क्रम ९५० से १,२०० है अर्थात् उनका वेतन क्रम सचिवालय के अनुसचिव के वेतन-क्रम से शुरू होकर सचिवालय के उप-सचिव के अधिकतम वेतन के समान रहा। सहायक सचिव का वेतन-क्रम सचिवालय के सहायक सचिव के वेतन-क्रम से पहले ही भिन्न था। अभिनवीकृत वेतन क्रमों में भी लगभग यही स्थिति रखी गई है। सचिव एवं सहायक सचिव के पदों का वेतन क्रम पहले भी सचिवालय के इन पदों से भिन्न था और अभिनवीकृत वेतन-क्रमों में भी यह भिन्नता रखी गयी है। सचिव, विधान सभा का अभिनवीकृत वेतनक्रम ६००–५०–१,२५० के वेतन-क्रम में ९५० रु० के प्रारंभिक वेतन के साथ निर्धारित किया गया है। सचिवालय में इस वेतन-क्रम के समान अनु-सचिव एवं उपसचिव के अभिनवीकृत वेतन क्रम हैं जो कि क्रमशः ९५०–५०–१,१५० तथा १,१५०–५०–१,२५० है। अभिनवीकरण से पहले भी यही स्थिति थी। अभिनवीकरण से पूर्व सहायक सचिव, विधान सभा सचिवालय का वेतन क्रम ४७५–४०–६७५ रु० तथा १५० रु० विशेष वेतन था जो अभिनवीकरण के पश्चात् ७००–८५० निर्धारित किया गया है। इस पर कोई विशेष वेतन देय नहीं होगा क्योंकि यह अभिनवीकृत वेतन-क्रम विशेष वेतन को सम्मिलित करके निर्धारित किया गया है।

विधान सभा सचिवालय के ट्रेजरार का नया वेतन क्रम १२०–२५० कर दिया गया है और ४० रुपये का विशेष वेतन बन्द करके जमानत की धनराशि के अनुसार विशेष वेतन का प्राविधान किया गया है। सचिवालय में भी ट्रेजरार के पदों का वेतन क्रम इसी प्रकार रखा गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन मान में जो परस्पर संबंध पहले था वह अब भी जारी है।

समिति अधिकारी तथा मार्शल के विशेष वेतन बन्द कर दिए गए हैं। वेतन अभिनवीकरण समिति की यह सिफारिश सामान्य तौर पर समस्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू की गयी है, जिनको अभी तक विशेष वेतन दिया जा रहा था। यह सिफारिश सरकार ने केवल सचिवालय के अधिकारियों तथा उन अधिकारियों, जिनका वेतन-क्रम इस समिति के विचाराधीन नहीं था, पर लागू नहीं किया है। सरकार ने अभिनवीकृत वेतन क्रमों से उत्पन्न हुई अनियमितताओं तथा विशेष वेतन को अभिनवीकृत वेतन-क्रमों के साथ जारी रखने या न रखने के संबंध में विचार

करने के लिए एक समिति बनाई गयी है जो अपनी सिफारिशें सरकार को शीघ्र ही प्रस्तुत करेगी। सब विभागों से उनके अधीनस्थ वेतन-क्रमों में पाई गई अनियमितताओं के विषय में उनके विचार मांगे गए हैं और उन पर विचार हो रहा है। इस समिति की सिफारिशें आने के पश्चात् सरकार उचित आदेश जारी करेगी।

समस्त कर्मचारियों को यह विकल्प दिया गया है कि वह नये वेतन-क्रमों को अपनाएं या अपने पुराने वेतन मानों में वेतन लेते रहें। इसलिए वर्तमान कर्मचारियों को कोई हानि नहीं होगी।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता था कि यह बड़ा गंभीर प्रश्न आपके सामने है। यह इस सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रश्न है और आप इसके सबसे ऊंचे अधिकारी हैं और आपकी संरक्षता में ये लोग रहते हैं। ऐसा देखने में आया है कि सिविल सेक्रेटेरिएट और इस सेक्रेटेरियट में अन्तर है। भिन्न-भिन्न अवसरों पर स्पीकर्स की मीटिंग्स हुईं, उनमें इस बात को कहा गया है कि इनका कितने महत्व का काम है। ये इस सरकार के अधिकारियों की अच्छाई और बुराई भी हमारे सामने लाते हैं। यह श्रीमन्, कितना कठिन कार्य है। सरकारी अधिकारी भी इनसे नाराज हों, सरकार भी नाराज हो और हमारे खिलाफ कोई बात हो तो हम भी नाराज हों। इसलिए इनकी रक्षा आपके हाथ है। मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उसमें हम प्रश्न नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बात हम कहते हैं कि इनके वेतन में असमानता है और डाउनग्रेडिंग कर दिया है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप इधर ध्यान दें। आप ही इनकी रक्षा करेंगे क्योंकि न सरकार को इनके संबंध में कोई दिलचस्पी है और न फाइनेंस डिपार्टमेंट को ही है। इसलिए आप इसमें हस्तक्षेप करें ताकि सबको संतोष हो सके अगर कोई उनसे नाराज हो गया है तो वह लाभ न उठा सके।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। जो वक्तव्य दिया गया है उससे ऐसा लगता है कि इसका इस अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट से कोई मतलब ही नहीं है। मंत्री जी इस शीशे में अपना ही मुंह देखना चाहते हैं और तनहाई में लपकते रहे। आपके सचिवालय के कर्मचारी दूसरे कर्मचारियों से अलग नहीं हैं। जब वे समान तरीके से काम करते हैं तो समान वेतन भी मिलना चाहिए। यह संविधान में लिखा है। जो हिन्दी में इसकी रिपोर्ट छप रही है उसमें क्या मंत्री जी अपना ही चेहरा देखेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मुझे पता चला है कि २७ तारीख को इसी अभिनवीकरण समिति की रिपोर्ट से संबंधित एक संकल्प पर बहस है।

श्री उग्रसेन—

अध्यक्ष महोदय, हमें इसकी प्रतियां नहीं मिली हैं।

श्री अध्यक्ष—

अब यह संकल्प माननीय रामसुन्दर पांडेय का है। वह इस प्रकार कि है कि "इस सदन का यह निश्चित मत है कि सरकार ने जो वेतन-अभिनवीकरण समिति नियुक्त की थी उसके द्वारा विधान सभा तथा विधान परिषद् सचिवालयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन आदि के संबंध में की गई सिफारिश उपयुक्त और न्यायोचित नहीं है ....।"

यह २७ तारीख को सदन में आ रहा है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन का सचिवालय का संबंध हमारे सदन की गरिमा से भी है। अगर इसका वेतन-कम हो गया तो इसमें कोई शक नहीं है कि लोग समझेंगे कि हमारी गरिमा और महत्व कम है।

श्री अध्यक्ष—

आप २७ तारीख को नहीं बोलेंगे ? आज ही बोल लीजिएगा।

श्री दीपनारायणसिंह—

उस दिन मैं नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष—

एक संकल्प आया है। उसके लिए कह दिया कि वह २७ तारीख को आ रहा है फिर आप क्यों बोल रहे हैं ?

श्री दीपनारायणसिंह—

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि यहां पर ला ग्रेजुएट्स को रखा जाय और कम्पटीशन से रखा जाय और विधान मंडल का उनकी नियुक्ति आदि के बारे में कंट्रोल रखा जाय।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं कि विधान सभा सचिवालय के जो अधिकारी तथा कर्मचारियों की तनख्वाह है वह कितनी है और कितनी वृद्धि की मांग की थी और कितनी होनी चाहिए, यह हमको २७ तारीख से पहले मिल जाना चाहिए जिससे हम उसका अध्ययन कर लें तो आप सरकार को डायरेक्शन देंगे कि सारा मैटर हमको दे दिया जाय।

श्री उग्रसेन—

सवाल यह है····

श्री अध्यक्ष—

आप कई मर्तबा बोल चुके हैं।

श्री उग्रसेन—

हम दूसरी बात कह रहे हैं। पूरी कमेटी की रिपोर्ट कब हिन्दी में देंगे और पूरी पर कब बहस करवायेंगे ?

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

यह सचिवालय के कर्मचारियों की बात रही। मेरा आपसे निवेदन है कि वेतन अभिनवीकरण समिति की जो पूरी रिपोर्ट है आपने हिन्दी में छपवाने के लिए कहा। जब हिन्दी में छप जायगी तब उस पर बहस होगी। मेरा निवेदन यह है कि वह बहुत दिनों में छप पायेगी। मेरा खयाल है कि छः महीने में भी नहीं छप पायेगी। इसलिए प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के हित में आप अंग्रेजी की ही रिपोर्ट पर बहस करवाने की इजाजत दे दें और बहस का बहुत जल्द दिन निश्चित कर दें जिससे जल्दी हो जाय।

श्री उग्रसेन—

अंग्रेजी रिपोर्ट पर बहस नहीं होगी। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

जो बहस माननीय गंगवार ने उठायी है, इसका संबंध वक्तव्य से नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

वेतन समिति की रिपोर्ट विधान सभा सचिवालय के संबंध में अंग्रेजी में है, उतने का ही हिन्दी में उल्था कर दें, आप उनसे यह कह दें ।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा है कि हिन्दी में उल्था करवा रहे हैं । वह करवा सकें तो ठीक है । मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि मैं उनको आज्ञा दे दं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

दूसरा निवेदन यह है कि आपके सचिवालय से कोई वेतन समिति के पास मेमोरेंडम गया हो, वह हमें दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

वह मैं देखूंगा ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध यह था कि यह बात निर्विवाद है कि यह बात बहुत अरसे से महसूस की जाती रही है कि विधान मंडल सचिवालय के सरकारी सचिवालय के समक्ष न होने के कारण काम करने में बड़ी असुविधा होती है क्योंकि सरकारी सचिवालय के समक्ष यहां का अफसर बात भी नहीं कर सकता, वह इनको सबार्डिनेट की तरह डील करते हैं । भूतपूर्व विध न सभा के अध्यक्ष लगातार यह कहते रहे हैं कि यह भेदभाव मिटना चाहिए । हम लोग बजट में हर साल इस सवाल को उठाते रहे हैं कि विधान मंडल के वेतन-क्रम किसी भी हालत में सरकारी सचिवालय के कर्मचारियों से कम नहीं होने चाहिए । मेरा अनुरोध है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे ।

श्री अध्यक्ष—

वह २७ तारीख को कह सकते हैं ।

प्रदेश की खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से हुई मुख्य मंत्री की बातचीत के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

दूसरा अनुरोध मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से करना चाहता हूं आपके द्वारा । कल अखबारों में यह समाचार छपा था कि माननीय मुख्य मंत्री ने जो खाद्य समस्या के बारे में केन्द्रीय सरकार से बातचीत की, उसमें केन्द्रीय सरकार के खाद्य मंत्री ने बिलकुल इनकार कर दिया और कहा कि उत्तर प्रदेश के खाद्यान्न का कोटा किसी हालत में बढ़ा नहीं सकते और यहां जो बहस हुई उसमें खाद्य मंत्री ने असमर्थता प्रकट की थी, उन्होंने कहा था कि हमारी स्थिति संकट में है । उन्होंने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री बात कर रही हैं । तो माननीय मुख्य मंत्री यह अवगत करवायें कि केन्द्रीय सरकार कहां तक सहायता करने जा रही है और जो मौजूदा संकट है उसको हल करने के लिये क्या कदम उठाने की सोच रही हैं । वह मौजूद हैं, उनका वक्तव्य दिलवा दें तो आभारी रहूंगा ।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

अभी हम से थोड़ी बातचीत हुई। इस वक्त उनको भी परेशानी है। जो जहाज आने वाले हैं सब नहीं पहुंचे हैं। मगर वह काफी हमदर्द हैं। उन्होंने कहा है कि जो मैक्सिमम वह कर सकते हैं, वह करेंगे।

कतिपय विषय

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि वेतन अभिनवीकरण समिति की जो रिपोर्ट है वह हिन्दी में कब तक आ जायेगी और कब सदन के सामने पेश होगी? मुझे सरकार से जरा इस बारे में आश्वासन दिला दें कि इसी सत्र में उस पर इस सदन में विचार हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष—

तो मैं क्या करूं?

श्री हरीशकुमार गंगवार—

आपके माध्यम से कह रहा हूं, आप सरकार की तरफ से आश्वासन दिला दें, मुख्य मंत्री जी भी बैठी हैं, इस समय।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा, यह कल पूछ लीजिएगा, तब तक वे भी मालूम कर लेंगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मैं आपसे कुछ अनुरोध करना चाहता हूं, आप संजीदगी के साथ मेरी बात को सुन लें। आपने जो निर्णय लिया है उस पर पुनः विचार करें। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि नियम ३१९ के अधीन जो उसमें व्यवस्था है....

श्री अध्यक्ष—

अच्छा-अच्छा समझ गया, इस सम्बन्ध में यदि आपको खयाल है, आपको भ्रम हुआ है कि गलती हुई है, तो उसका कायदा यह है कि आप हमारे कक्ष में आयें और वहां पर हम और आप उस पर विचार कर लें और यदि कोई गलती हुई है तो उसका निराकरण कर दिया जाये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

वह बात तो आप और हम तक ही सीमित रहेगी, पूरे हाउस के सामने बात आनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

कायदा तो यही है जो मैंने निवेदन कर दिया। अब आप किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं, बैठ जायें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

आपने उस दिन व्यवस्था दी कि जो सम्बन्धित मंत्री हैं वही पेश कर सकता है विधेयक को। उसके दूसरे दिन चौधरी चरण सिंह को उस पर आपने बोलने की आज्ञा दी और उनकी सारी बातों को आपने सुना, किन्तु आप मुझे मौका नहीं दे रहे हैं, यह मेरे साथ अन्याय है। आपने चौधरी साहब को सुनने के बाद अपनी व्यवस्था बदली है तो मेरे साथ यह अन्याय है। जब मैं यह निवेदन कर रहा हूं नियमों के अन्तर्गत तो आप मुझे नहीं सुनना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

अच्छा अब आप बैठ जाइये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

तो क्या निश्चय किया आपने, श्रीमन् ?

श्री अध्यक्ष—

आप इस सम्बन्ध में कक्ष में भेंट कीजियेगा, यहां नहीं ।

नियम समिति के (१९६४–६५) के प्रतिवेदन में प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम समिति (१९६४–१९६५) के प्रतिवेदन द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ में प्रस्तावित संशोधनों को विधान सभा की नियम समिति को पुनर्विचारार्थ निर्दिष्ट कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

किसी को आपत्ति है ?

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

आपत्ति तो मुझे नहीं है, लेकिन आपने भी स्वीकार कर लिया, आप तो उस कमेटी के अध्यक्ष हैं और मैं भी उस कमेटी में रहा हूं । बड़ी दिक्कत यह है कि जब माननीय बनारसी दास या उधर के बैठने वाले अन्य माननीय सदस्यों को फुर्सत ही नहीं मिलती इस नियमावली पर विचार करने की, तो मैं ठीक नहीं समझता हूं कि यह फिर से इस तरह से आये । इसलिये मैं इसका विरोध करना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अच्छा मैं समझ गया, समाप्त कीजिये अब इसे । मैं सरकार से चाहूंगा और माननीय मंत्री से भी चाहूंगा कि अब नियमों को बैठ कर देखना पड़ेगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

बड़ा रुपया खर्च हुआ है और यह रिपोर्ट जो है सन् ६२ से है, कल्पनाथसिंह और न जाने कौन-कौन इसमें रहे हैं, ३–४ साल से काम कर रहे हैं । माननीय बनारसी दास को फुर्सत ही नहीं मिली इसलिये फिर से खर्च हो रहा है । मैं इसका विरोध करता हूं, इस प्रकार से जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये । बनारसी दास जी को फिर से अवसर दिया गया है, नतीजा वही होगा जो हम लोगों ने निकाला है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं आपके द्वारा एक सूचना चाहता हूं, आज्ञा दें तो कहूं ।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, कृपया आप बैठ जाइये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मेरा आप एक निवेदन सुन लें, बैजनाथ सिंह जी के प्रस्ताव के बारे में। इनमें कुछ जिन नियमों को आप ऐसा समझते हैं जैसे नियम ५२, विशेषाधिकार और याचिका आदि के सम्बन्ध में उनको तुरन्त ही लागू कर दिया जाये और जितने शीघ्रता वाले नहीं हैं उनके लिये माननीय बनारसी दास जी से कहिये कि पार्टीबाजी से फुर्सत निकाल कर हमारे साथ बैठें।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि अब अपोज हो रहा है। इसलिये मैं अब इसे सदन के समक्ष मत के लिये रखे देता हूं।

"प्रश्न यह है कि नियम समिति (१९६४-६५) के प्रतिवेदन द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के प्रस्तावित संशोधनों को विधान सभा की नियम समिति को पुनर्विचारार्थ निर्दिष्ट कर दिया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नेकराम शर्मा (जिला आजमगढ़)—

मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, उसका विरोध आपने कर दिया, लेकिन अब वह तो समिति को पुनर्निर्दिष्ट हो जायगा क्योंकि सदन ने उसे स्वीकार कर लिया है। आपका विरोध हो गया।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४—(क्रमागत)†

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल यह कह रहा था कि यह सहकारी समितियां अभी तक केवल लेनदेन का साधन थीं, लेकिन अब इस बिल के द्वारा उनको उत्पादन का साधन भी बनाया जा रहा है। इसमें साधन सहकारी समितियों को और कृषि सहकारी समितियों को एक नयी शक्ल दी गयी है। इसमें दो राय नहीं हैं कि इस बिल को अब काफी जनतांत्रिक बनाने का प्रयत्न मंत्री महोदय ने किया है और उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं।

जो मेरे अनुभव हैं उनको मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। जिस प्रकार से इन समितियों के कर्मचारियों ने इसमें सहयोग किया है, उसको देखकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ है। इसमें रजिस्ट्रार से ले कर सुपरवाइजर तक सभी सम्बन्धित हैं। रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, जिले के स्तर पर असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर्स ये तो थोड़े-पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन सुपरवाइजर, जिनका गांव के लोगों से, इस समितियों से सीधा सम्बन्ध है वे अधिकतर सहकारिता के सिद्धान्त को भी नहीं समझते हैं। श्रीमन्, मेरा यह अनुभव है कि नीचे से जो बात उठती है वह हमेशा ही अधूरी रह जाती है। इस विधेयक को पढ़ने से ऐसा लगता है कि प्रजातंत्र की भावना इसमें कूट-कूट कर भरी गयी है, इसमें आर्थिक कठिनाइयों को मिटाने के लिये भी अनेकों प्रयत्न किये गये हैं, लेकिन जब हमारा ध्यान गांवों की तरफ जाता है और गांवों के सुपरवाइजरों को जब मैं देखता हूं तो हमारा दिल बहुत छोटा हो जाता है। जितने भी लेने-देने में गड़बड़ियां और गबन हुआ करते थे सोसाइटियों में उनमें ९० प्रतिशत से ज्यादा में सुपरवाइजरों का हाथ रहता था, वे ही तरकीबें बताते थे, गांवों के लोगों को पढ़ाते थे कि क्या तरकीब कर सकते हो और किस तरीके से गबन हो सकता है और उस से किस तरह बचा भी जा सकता है कि कानूनन, गिरफ्त में न आवें। आज जिलों में जो बैंकों के चुनाव होते हैं उनकी सूची भी सुपरवाइजरों के जरिये बनाई

†२४ अगस्त, १९६५ की कार्यवाही से।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाती हैं। वह लिस्टें चनाव के मौके तक तैयार नहीं हो पाती हैं। नतीजा यह होता है कि वह जिनको चाहते हैं अन्दर आने की और वोट देने की इजाजत देते हैं। और जिसको नहीं चाहते हैं उसका प्रतिनिधित्व स्वीकार नहीं करते हैं। नतीजा यह होता है कि जो सही मानें में प्रतिनिधि लोग हैं वह उस चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाते और जो उनसे सम्बन्धित लोग हैं वह चुनाव में हिस्सा लेते हैं और वह चुनाव इसी प्रकार से हो जाते हैं।

मैं अपने सुल्तानपुर का किस्सा सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। वहां पर अभी थोड़े दिन पहले बैंक का चुनाव हुआ। जो लोग बैंक के ऊपर काबिज थे उनके विरोध में जो लोग थे, वह काफी अकसरियत में थे। उन्होंने सारे जिले को अच्छे तरीके से आर्गनाइज किया। सारे जिले के प्रतिनिधियों ने उनका साथ देने का वायदा किया था, लेकिन देखा यह गया कि सुपरवाइजर और इंस्पेक्टर दरवाजे पर लगा दिये और गलत आदमियों को उन्होंने अन्दर आने दिया। उनको आने दिया जो उनके पक्ष में थे। जो सही प्रतिनिधि थे उनके लिये बहुत अयोग्यताएं लगा दी गईं। किसी को कह दिया कि यह सोसाइटी का बाकीदार है और किसी को दूसरी प्रकार की अयोग्यता उन्होंने लगा दी जिसके कारण वे लोग चुनाव में शामिल नहीं हो सके। नतीजा यह हुआ कि जो सही आदमी थे वे चुनाव में हिस्सा नहीं ले सके। जो लोग गलत थे और उनके पक्षपाती थे उनको उस चुनाव में हिस्सा लेने दिया और चुनाव में उनको आने दिया जो अल्पमत में थे। उसके बाद अपील हुई और आरबिट्रेशन हुआ। आरबिट्रेटर साहब ने एक पक्ष में फैसला दिया। उसके बाद उन लोगों ने अपील की। उसके बाद निगरानी डिप्टी रजिस्ट्रार साहब के यहां हुई। बड़े ताज्जुब की बात है और बड़े दुख की बात है कि इस विधेयक में यह प्राविजन था कि वही डिप्टी रजिस्ट्रार उसकी रिवीजन सुन सकता है जिसने पहले सुना था। उन्होंने उनकी अपील को सुना और उस अपील को बहाल कर दिया। जब हम लोगों ने गवर्नमेंट में अपील की तो यह हुआ कि उसमें कोई ऐसा प्राविजन नहीं है। अब इसको बदल दिया गया है। यह बड़ा भारी इसके अन्दर डिफेक्ट था। माननीय मंत्री जी ने इसका सुधार अब कर दिया है।

हमारे विरोधी दल के मित्रों ने एक बात पर सामूहिक रूप से जोर दिया और वह यह कि रजिस्ट्रार के अधिकार को इसमें बहुत बढ़ाया गया है। रजिस्ट्रार चाहे तो सोसाइटी को चलने दे और न चाहे तो न चलने दे। इस बात पर बड़ा जोर दिया गया। यह बात सर्वमान्य है कि अभी सोसाइटीज की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। सोसाइटी अपने पैरों पर खड़ी होने वाली नहीं है। सरकार की मदद उसको अगर न मिले तो सोसाइटी किसी तरह से अपने कार्य का संचालन नहीं कर सकती है। इसलिये सरकार उनको अच्छी खासी मदद दिया करती है। तो फिर यह बात अनिवार्य रूप से मानी जा सकती है कि जब सरकार अपना खासा भाग उनको दे तो सरकार अपना प्रतिनिधि भी वहां भेजे उनके सुपरवीजन के लिये। अध्यक्ष महोदय, अगर वह सुपरवीजन आपने नहीं रखा, अगर वह अपने विभाग के द्वारा उसको सुपरवाइज न करे तो जो दोष हैं और बराबर गबन हुआ करते हैं, हजारों रुपया गबन हुआ करता है वह कम नहीं हो सकता है। पैसा गबन करने के लिये अगर सरकार अपना सुपरवीजन हटा ले और उसको बिलकुल जनतांत्रिक कर दे तो हम समझते हैं कि यह सहकारिता आन्दोलन उसी दिन समाप्त हो जायगा। इसलिये अभी हमारे किसान और गांव के रहने वाले लोग इस लायक नहीं हैं कि उनकी सोसाइटी में इन लोगों को न रखें और वे अपने ऊपर निर्भर रह सकें। श्रीमन्, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि सहकारिता आन्दोलन को सफल बनाने के लिये इसके जितने कार्यक्रम हैं वह आज उत्पादन की मुख्य आधार शिला माने जा सकते हैं। कृषि में जो कृषि समितियां बनायी गयी हैं वह ऐसी हैं कि अगर उसमें हमको सफलता मिल जाय तो अन्न की कमी आसानी से दूर हो सकती है। लेकिन हमारी कृषि समितियां जो हैं, जितने कोआपरेटिव फार्म्स हैं उनमें हमको घाटा ही घाटा नजर आ रहा है। जो सुपरवीजन अधिकारियों के हाथ में दिया जाता है उसको वे अपने पुराने पैटर्न से ही देखते हैं। आम फहम बात है कि इतनी तनख्वाह पाते हों, ऊपर की भी कुछ आमदनी है या नहीं उस जगह रह कर हरएक अधिकारी इसमें भी ऊपर की आमदनी की बात सोचते हैं और जिस दिन से वे वहां बैठते हैं उस दिन से उनकी एक धारणा बन जाती है और इसलिये वह इस स्थिति को इतनी बिगाड़ देते हैं कि वह घाटे में चला जाता है। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपकी योजनायें, आपका विभाग, आपकी बातें बहुत

[श्री बैजनाथसिंह वैद्य]
ऊंची है, अच्छी है, लेकिन सुपरवीजन के लिये बड़ी ठेस पहुंची है और उसमें हमें बड़ा नुकसान दिखायी पड़ता है। इसलिये मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे इस सहकारिता को एक आन्दोलन मानकर चलायें और ऐसा करने का प्रयत्न करें।

(इस समय १ बजकर १३ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुये)

इसमें उनको अपने अधिकारियों के पैटर्न और रवैये में परिवर्तन करना पड़ेगा, उनके कार्यक्रम को इस तरह से बदलना पड़ेगा, उनके स्वभाव में, उनके रहन-सहन में इस तरह से बदलाव लाना पड़ेगा, कि जनता उनके पास आये। उसमें काफी सुधार करने की आवश्यकता है। क्योंकि आन्दोलनकारियों का यह कर्तव्य हो जाता है कि यह जनता के साथ घुलमिल कर रहें और सोसाइटी के जो प्रतिनिधि हैं उनके दिमाग में यह बात न पैदा होने दें कि कि यह बड़े आदमी हैं। बाहरी सुपरवीजन की रिपोर्ट पर विश्वास न किया जाय, इंस्पेक्टरों की रिपोर्ट पर विश्वास न किया जाय, उन पर तो खास किस्म का प्रभाव पड़ता है। आप स्वयं गांवों में घुस कर देखें, सोसाइटियों को समझने की कोशिश कीजिये और फिर आप देखेंगे कि आपका बनाया हुआ कानून किस प्रकार कार्यरूप में परिणित किया जाता है। मेरा ऐसा विचार है कि सरकार के अन्तर्गत जो दूसरे विभाग हैं, अगर उसी प्रकार से इस विभाग को भी रखा गया तो मेरा विश्वास है कि आपको इसमें सफलता नहीं मिल सकती।

श्रीमन्, कभी किसानों को सहूलियत के लिये लैंड मार्गेज बैंक भी खोला गया है। उसमें किसान अपने खेत को बैंक को लिख देता है और उसके बाद वह उसकी हैसियत के अनुसार रकम उनसे ले सकता है। श्रीमन्, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोगों ने यह बतलाया, मुझे अपना व्यक्तिगत अनुभव तो नहीं है, कि दरख्वास्त ले कर वह ६, ६ महीने घूमते रहें हैं और वह फार्म उनका इतना कंप्लीकेटेड होता है कि वह उनकी समझ में नहीं आता। फिर उसके बाद वह जिला और तहसील में जाता है और वह फिर लेखपाल के पास आता है और वहां वह अपना परसन्टेज तय करता है और फिर उसमें उस बेचारे किसान को इतनी परेशानियां होती हैं कि वह इतना थक जाता है कि वह उससे लाभान्वित नहीं हो पाता।

नतीजा यह होता है कि उससे लाभान्वित नहीं होते। तो हम चाहते हैं कि इसमें भी खासतौर से परिवर्तन किया जाय। कोई ऐसा आसान तरीका बनाया जाय जिससे कर्जा लेने वाले परेशान न हों और आपका रुपया भी न डूबे। १०–५ दिन में आप ठीक से उसकी दरख्वास्त समझ लें और तब उसे रुपया मिले। लेकिन रुपया मिलते-मिलते उसके दिमाग में परेशानी होती है, स्कीम पड़ी सड़ती रहती है और वह गाली दे कर आफिस से बाहर होता है।

इसी प्रकार से आपकी दुग्ध समितियों का कार्य चल रहा है। जो लोग शहर में रहते हैं, जिनके पास गाय-भैंस पालने के साधन नहीं हैं उनको भी दूध मिल जाता है। लेकिन जहां तक मुझे मालूम हुआ है अभी तक उन समितियों को विशेष लाभ नहीं हुआ है, सभी घाटे में चल रही हैं। आंकड़े में थोड़ा सा लाभ दिखाई पड़ता है, लेकिन अन्दरूनी तरीके से अगर अध्ययन करें तो वह भी घाटे में चल रही हैं। उसके पीछे वही कारण है जो बैंक के पीछे है या अन्य सहकारी समितियों के पीछे कारण हैं। यानि काम करन वाल लोग अपने काम को ड्यूटी समझ कर ईमानदारी से अंजाम नहीं देते हैं।

डी० सी० एफ० हर जिले में हैं। उनका यह काम है कि वह अपनी दूकानें खोल कर अपनी आमदनी को बढावें। भट्ठा खोलकर और बिजनेस करके ताकि स्थानीय बैंक और समिति को दो साल अधिक उत्साह प्राप्त हो सके। मेरे अपने जिले में भी, सुल्तानपुर में, डी० सी० एफ० है। अधिक से पहले ४०,००० रुपये की चीनी इलाहाबाद में बेची गयी। जब बात खुली तो बेचने वाले का नाम मालूम नहीं हो पाया। शिकायत हुई, असेम्बली में क्वेश्चन हुए तो इंक्वायरी हुई। उससे पता लगा कि जिन लोगों ने चीनी बेची थी उन्होंने एक मोमबत्ती बनाने वाले आदमी को ५०० रु०

देकर कहलवा दिया कि चीनी हमने खरीदी। जो मोमबत्ती बनाता है और डेढ़ - दो रुपया रोज कमाता है उससे बयान करवा दिया कि हमने खरीदी। लेकिन घाटा हो गया। तब उसके ऊपर डिग्री हो गयी साढ़े १० हजार की। इसी प्रकार से दो-तीन मिलाकर ४० हजार की डिग्री हुई। यह परिस्थिति है। आज कल वह बनारस चला गया है। बनारस में मौजूद है।

श्री ऊदल (वाराणसी)—

बनारस में नहीं है।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—

ऊदल जी का उस मोमबत्ती बनाने वाले से क्या सम्बन्ध है, हमें मालूम नहीं। हमने उस सम्बन्ध में प्रश्न किया तो उत्तर मिला कि सरकार अपने कर्तव्य पर सचेत है। और जांच हो रही है, लेकिन साल भर के करीब हुआ, क्या जांच हो रही है, मालूम नहीं हो सका। उसी जिले में कुछ लोगों ने शिकायत की, एस० डी० एम० सदर को इंक्वायरी दी गयी। उनकी रिपोर्ट है कि चीनी गलत तरीके से बेची गयी और ब्लैक किया गया है, मुकदमा चलना चाहिये। मामला डिप्टी रजिस्ट्रार, फैजाबाद को भेजा गया और उन्होंने लोगों से मिलने-जुलने के बाद यह लिख दिया कि वार्निंग दी जाती है और भविष्य में इस प्रकार की कार्यवाही न की जाय। ४० हजार की चीनी बेची। मैजिस्टीरियल इंक्वायरी हुई, हुआ क्या, वार्निंग दे दी गयी कि भविष्य में इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिये। इससे काम नहीं चल सकता। हमने सरकार को लिखा भी, हमें आश्वासन भी मिला, मगर आज तक कोई कार्यवाही हुई नहीं। यह देखकर बड़ा दुख होता है।

विधेयक को जब मैं पढ़ता हूं तो बड़ा प्रसन्न होता हूं। यह विधयक आज के समय की मांग के अनुकूल है। इससे अच्छा विधेयक और हो नहीं सकता। लेकिन जब हम अपने क्षेत्र के अधिकारियों के कार्य को देखते हैं, जो इस विभाग में कार्य हो रहा है उसको देखते हैं तो बिलकुल एक दूसरी चीज सामने आती है। मैं यह मानता हूं कि हमारे मंत्री जी बड़े क्रांतिकारी मनोवृत्ति के इंसान हैं और वे चाहते हैं कि अपने विभाग में वे क्रांतिकारी परिवर्तन लावें। वे इस प्रयत्न में लगे हुये भी हैं। मगर यह विभाग तो पचासों साल पुराना है। अपनी कला में भी वह मजबूत हो गया है। उसको पकड़ने में अभी हमारे मंत्री जी कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। गबन करने वालों की एक लाइन सी लगी हुई है। मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव है कि आज तक जितने भी केस गबन के पकड़े गये हैं किसी भी केस में किसी को सजा नहीं हुई होगी। कोई-कोई केस में यदि लोअर कोर्ट से सजा हो गई होगी तो वह हाईकोर्ट से छूट गया होगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस विधेयक में कुछ इस तरह का सुधार करें जिससे जो गलत काम हो रहे हैं वे न होने पायें। रजिस्ट्रार बदलने या अधिकारियों के बदलने से काम चलने वाला नहीं है। उससे कोई लाभ नहीं होगा। काम करने के जो गलत तरीके हैं उनमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। तभी सरकारी आन्दोलन को सफलता मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक के लिये माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। उनका यह बिल जनप्रिय बिल है, इससे अच्छा बिल आज की मौजूदा परिस्थितियों में और आ नहीं सकता था।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, यह बड़े हर्ष का विषय है कि ....

(इस समय १ बजकर २४ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय पीठासीन हुये।)

सहकारिता आन्दोलन को प्रगति देने के लिये ....

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं चाहता हूं कि आप इस पर अपनी व्यवस्था दें कि हाउस की जो व्यवस्था है और भाषण आदि की परिपाटी है, उसके संबंध में यह मानी हुई

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

परिपाटी है कि जब किसी भी दल का नेता खड़ा हो या उस दल का या दूसरे दल का सदस्य खड़ा हो और जब विरोधी दल के सदस्यों के बोलने की बारी हो तो अक्सर यह होता है कि विरोधी दल के नेता को वह अवसर मिलना चाहिये। मैं कोआपरेटिव सोसाइटी के विधेयक पर बोला भी नहीं हूं और बोलने के लिये खड़ा भी हुआ पर तकलीफ है अधिष्ठाता महोदय, जो बैठे हुए थे, उन्होंने हमारे खड़े होने का खयाल न करके गंगवार जी का खयाल किया। मुझे परेशानी नहीं कि गंगवार जी बोल रहे हैं लेकिन परिपाटी होनी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय पाण्डेय जी, आपने जो ध्यान आकर्षित किया है मैं इसके लिये धन्यवाद देता हूं। मैं स्वयं इस परिपाटी का खयाल रक्खूंगा। मैं उस समय नहीं था।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

हमारी नजर पांडेय जी पर नहीं पड़ी।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

अधिष्ठाता महोदय, अगर आप पहिले पाण्डेय जी को बोलने का अवसर देते हैं तो मैं बाद में बोल लूंगा।

श्री राम सुन्दर पान्डेय--

श्रीमन, आप जानते हैं कि कोआपरेटिव सोसाइटियों के संबंध में इस प्रदेश के उन लोगों की बहुत दिनों से यह इच्छा रही है कि कोआपरेटिव सोसाइटी जो अपने प्रदेश में चल रही हैं उनका नये सिरे से जीर्णोद्धार होना चाहिये। जो सोसाइटियों में भ्रष्टाचारी हैं, जो अधिकारों को अक्षुण रखना चाहते हैं उसको समाप्त करके जन जीवन में बिखेर दिया जाय। ऐसी कोआपरेटिव सोसाइटियों के लिये विधान बने, नियम बनें जो लोकतांत्रिक हों। हर एक बिचारधारा के लोग यह महसूस करते हों कि सहकारी आन्दोलन ही समाजवादी समाज की रचना करने का एक मार्ग है, एक सीढी है इसमें जो लोग विश्वास करते हैं वे बैठकर इस प्रदेश में, देश में, समाजवादी समाज के लिये जो एक सहकारिता सीढ़ी है उसको प्रसारित कर सकें, उसमें अपना योगदान दे सकें और बिना कहे सुने उसमें एक आकर्षण हो जिससे अपने आप लोग उसमें शरीक हो सकें। यह हमारी भावना थी और हम इसी भावना से उम्मीद करते थे कि माननीय बनारसीदास जी इस विधेयक को उपस्थित करेंगे तथा इस विधेयक से उनकी धाराओं में सम्बद्धता होगी। ऐसा नहीं होगा कि जैसा आज तक का विधेयक रहा है और जिससे यह भ्रष्टाचार बढ़ा है यह कहने में अत्युक्ति नहीं है। मैं श्रीमन्, कहने में संकोच नहीं करता हूं कि कोआपरेटिव आन्दोलन बड़े व छोटे अफसरों का चरागाह है। इस समय लाखों रुपये श्रीमन्, आपके कोआपरेटिव आन्दोलन में गबन होते हैं और गबन होने के बाद उसके गैरसरकारी अधिकारी या सरकारी अधिकारी उससे मौज उड़ाते हैं। और फिर उन्हीं को मजबूत करने के लिये सरकार निबन्धक को अधिकार दे दे कि अपने सदस्य को सरकार द्वारा मनोनीत करे और मनोनीत करके बहुमत बनाये रक्खे। मैं समझता हूं कि इस विधेयक में निबन्धक से सरकार के हाथ को मजबूत करने के लिये धारायें जोड़ दी गई हैं। मैं समझता हूं कि हर एक जो लोकतांत्रिक समाजवाद के मानने वाले लोग हैं जो प्रजातन्त्र में विश्वास करते हैं, उनके लिये चेतावनी है और माननीय सहकारिता मंत्री को फिर विचार करने के लिये इसे भेज देना चाहिये। कमला सिंह जी के प्रस्ताव को मैं परसों से सुन रहा हूं। उधर के बैठने वाले हों या इधर के हों, सब लोगों ने इस प्रवर समिति में भेजने के लिये विधेयक का विरोध किया किन्तु तरह तरह के सुझावों को दिया। मैं यही कहना चाहता हूं कि जब उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य जो आपकी

प्रशंसा भी करते हैं और प्रशंसा के साथ परन्तु लगा कर अपना सुझाव भी देते हैं तो इसके माने हो जाते हैं कि यह विधेयक अधूरा है और इसमें जरूरत है काफी बड़े परिवर्तन करने की। आप उस धारा को देखें जिसमें है कि निबन्धक कौन होगा ? सहकारिता मंत्री से मेरा निवेदन यह है कि आपके प्रदेश में सहकारिता के निबन्धक बने, सहायक निबन्धक बने, प्लानिंग विभाग के प्लानिंग आफिसर बने, लेकिन ऐसे अधिकारियों को इन पदों पर चुनते हैं जिनका उनकी जिन्दगी में सहकारिता से कोई संबंध नहीं रहा। आप विश्वास कीजिये कि अगर आप ऐसे आदमी को निबन्धक, सहायक निबन्धक या प्लानिंग आफिसर चुनते हैं जिसने सहकारी आन्दोलन को देखा तक नहीं और जिसने अपने व्यवहार से सहकारी आन्दोलन को कुठाराघात पहुंचाया, उसके सुपुर्द अगर आपने ये सारे काम कर दिये तो सहकारी आन्दोलन कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। विधेयक के अनुसार आप किसी व्यक्ति को निबन्धक नियुक्त कर सकते हैं, सहायक निबन्धक नियुक्त कर सकते हैं, और किसी को निबन्धक का अधिकार दे सकते हैं। मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर आपको फिर से सोचना चाहिये। जब किसी व्यक्ति को अधिकार देने की बात की जाय तो ऐसा व्यक्ति जिसने सहकारिता को कुचला हो, अपने जीवन में सहकारिता को स्थान न दिया हो उसे यह अधिकार न दिया जाय। किसी आई० सी० एस० आफिसर को जिसके रग रग में इसकी व्यावहारिकता न हो, आप याद रखें माननीय मंत्री जी कि वह सही माने में निबन्धक का काम करेगा नहीं और सहकारिता आन्दोलन जनमानस के घर घर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। इसलिये इस धारा में परिवर्तन की आवश्यकता है।

एक बात मैं यह भी कहता हूं कि जितनी कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं वे पनपें। मैं आप को याद दिलाऊं कि कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, पूरी छूट है कि एक क्षेत्र में जितनी सोसाइटी कोई व्यक्ति बनाना चाहे बना सकता है। श्रीमन्, मैं भुक्तभोगी हूं, माननीय बृजबिहारी जी माननीय बनारसी दास के पीछे बैठे हुए हैं। वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इस सदन के बहुत पुराने सदस्य स्वर्गीय स्वामी सत्यानन्द जी ने अपने गांव में एक कोआपरेटिव सोसाइटी बना दी और कुछ लोगों की राय से फिर वहीं पर दूसरी कोआपरेटिव सोसाइटी बना दी गयी। नतीजा यह हुआ कि दोनों का आपस में टकराव हुआ और आखिरकार दोनों सोसाइटीज बैठ गयीं। इस प्रकार से यदि आप यह नहीं करते कि क्षेत्र की एक सीमा नियत कर दें कि इतने क्षेत्र में इतने पैमाने पर जो सोसाइटीज पहले से निबन्धित हैं उसी क्षेत्र में उसी काम के लिये कोई सोसाइटी न बन सकें, तब तक इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। वरना इसका नतीजा यह होगा कि आपस में सोसाइटीज में टकराव होगा, अधिकारियों में टकराव होगा, सोसाइटीज बैठ जायेंगी और उनके काम का नुकसान होगा।

आज होता क्या है ? आज होता यह है कि अगर मेरी पहुंच माननीय बनारसी दास तक है और दूसरी सोसाइटी हमारे हाथ में नहीं है तो हम वहां अपने हाथ की सोसाइटी निबन्धित करा लेते हैं और स्वयं उसका लाभ उठाते हैं। इसका नतीजा यह होगा कि दूसरी सोसाइटीज मर जायगी। तो इस तरह से क्षेत्र के जो नामी नेता हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिये आप सोसाइटीज खोलने का अधिकार दे रहे हैं। मैं इस अधिकार देने का सख्त मुखालिफ हूं और इस विधेयक के अन्दर यह धारा हरगिज नहीं होनी चाहिये। जब एक सीमित क्षेत्र में कई कई सोसाइटीज बनेंगी तो इसका नतीजा यह होगा कि आपस में उनका टकराव होगा और लोगों की भावना उसके प्रति बिगड़ जायगी और इस तरह से उस क्षेत्र से सहकारी आन्दोलन ही खत्म हो जायगा।

दूसरी बात मैं नियंत्रण की कहूं। यह बात मैं मानता हूं कि निबन्धक को अधिकार मिलना चाहिये। लेकिन मैं भुक्तभोगी हूं और इस सिलसिले में जितनी गड़बड़ी सारे प्रदेश में हुई है उसकी गूंज और आवाज यहां भी सदन में सुनाई देती है। क्या कोई उदाहरण माननीय बनारसी दास जी पेश करेंगे कि कोई सहायक निबन्धक या उसके

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

ऊपर का डिप्टी रजिस्ट्रार आपके नियंत्रण के अधीन कभी कोई सजा पाये हैं ? नहीं पाये हैं। श्रीमन्, मैं बताऊंगा एक नहीं हजारों उदाहरण पेश कर सकता हूं कि सहायक निबन्धक और डिप्टी रजिस्ट्रार वगैरह की वजह से लाख लाख रुपये का गबन हुआ है। वह बातें दबायी गई हैं। सहकारी इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर सहायक, निबन्धक, उप निबन्धक इन सारे आदमियों का एक तांता लगा रहा है। मैं अपने क्षेत्र की बात कहूं, पंडित बृजबिहारी जी के गांव के पास छुहारा और जगदीशपुर गांव हैं वहां की सहकारी समिति में एक यादव बीज लेने गया और उसको १२ सेर बीज दिया गया। उसके बाद हमें यह बताया गया कि सहायक निबन्धक के घर कोई जलसा था और उस जलसे के लिये ५० मन गल्ला सहायक निबन्धक के घर पहुंचा दिया गया। सुपरवाइजर भी क्या करे ? उसमें जो अनपढ़ व्यक्ति थे, गरीब थे, मूक थे, उनके कागज पर १२ सेर के बदले में बढ़ा दिया १२ मन, ढाई मन, चार मन, इस तरह से बढ़ाकर पचास मन उसने पूरा कर दिया। उसके बाद उसका ट्रांसफर हो गया। अब कागज में तो श्री नारायन अहीर के और दूसरों के नाम लिख गया। दूसरा सुपरवाइजर आया। दो तीन साल के बाद वसूली गयी तो मालूम हुआ कि १२ सेर की जगह १२ मन लिखा हुआ है। अब वह क्या करे ? फिर मेरे ऐसे व्यक्ति ने एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया, लेकिन फिर भी सरकार उसको ठीक नहीं कर पा रही थी। बहुत अन्दर जाने के बाद गलती मालूम हुई। मैंने उस सवाल को हाउस में उठाया और तब इन्हीं माननीय मंत्री जी ने कहा कि हां, सुपरवाइजर ने गलती की। यह उदाहरण देने के बाद मैं इसको खत्म कर देना चाहता हूं। इस प्रकार की चोरी और बेईमानी करने का जो सिलसिला है वह सुपरवाइजर, सहकारी इंसपेक्टर सहायक निबन्धक, डिप्टी रजिस्ट्रार और निबन्धक तक यहां से लेकर नीचे गांव तक के सारे के सारे उसमें जुटे हुए हैं और आज तक सजा किसी को नहीं दी गई। तो इस प्रकार से जब आप निबन्धक के हाथों में अधिकार सुपुर्द करेंगे तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा।

मैं याद दिलाऊं, आपको इस प्रकार के नियंत्रण से सही माने में कोआपरेटिव आन्दोलन का फायदा नहीं होता है, व्यक्ति विशेष का फायदा होता है। माननीय बनारसी दास जी एक भी उदाहरण बता दें कि जिसमें निबन्धक के नियंत्रण से कोआपरेटिव आन्दोलन को फायदा हुआ हो। अनेकों उदाहरण हैं, गोरखपुर के, देवरिया के, बलिया के, आजमगढ़ के जिनमें लाखों रुपये का गबन हुआ लेकिन उनमें क्या हुआ ? आज नतीजा यह है कि गोरखपुर का और दूसरी जगहों का फेडरेशन बैठ गया और बैठता जा रहा है। इसलिये इस तरह का अधिकार नियंत्रण का निबन्धक को दिया गया तो यह सोसाइटियां न बढ़ेंगी न पनपेंगी। हां, मैं मानता हूं कि निबन्धक को अधिकार रहना चाहिये, लेकिन आप बता दें कि इस विधेयक में कहीं भी निबन्धक के फैसले के ऊपर अपील की चर्चा है ? सरकार को अधिकार है ? नहीं है। आज आप मंत्री पद पर बैठे हैं, आपकी पार्टी की सरकार है, कल को हो सकता है कि दूसरी पार्टी की सरकार हो। तो फिर सोसाइटी को पूरा अधिकार रहना चाहिये कि अगर निबन्धक, कोआपरेटिव सोसाइटी के विपरीत फैसला करता है तो कोआपरेटिव सोसाइटी के अधिकारी अपील करके अपनी चारागोई कर सकें। लेकिन इसकी कहीं इसमें चर्चा नहीं है। इसलिये आवश्यक है कि संयुक्त प्रवर समिति में इसे भेजकर फिर से इस पर विचार हो।

श्रीमन्, हमारे पास उग्रसेन जी बैठे हैं। वह मजदूरों में बहुत काम करते हैं। वह भी बता सकते हैं क्योंकि कोआपरटिव समितियों से संबंधित इस प्रदेश में लाखों मजदूर काम करते हैं। कोई जिला ऐसा नहीं है जिसके फेडेरेशन के जरिये १०, २० भट्ठ न चलते हों, कोई जिला ऐसा नहीं है जहां कोआपरेटिव बैंक न हों और जहां कोआपरेटिव लाइन्स पर केन क्रशर न चलते हों। हर जिले में हजारों किसान और मजदूर व कार्यकर्ता सोसाइटियों में काम करते हैं। श्रीमन्, मुझे सख्त नाराजगी है कि सरकार ने इस

विधेयक में औद्योगिक झगड़ों के निपटाने के लिये सन् ४७ का जो कानून है उससे इसका कोई संबंध नहीं रखा है। आप तो श्रम और सहकारिता दोनों के मंत्री हैं। जहां लाखों मजदूर काम करते हैं, लाजमी है कि वहां कोई मतभेद हो जाय, कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाय, वेतन का हो या काम का या निकालने का हो, उसके लिये आप कहते हैं कि वह विवाद औद्योगिक कानून में नहीं जायगा। मैं समझता हूं कि यह उद्योग धंधों के खिलाफ और उसके कानून के खिलाफ है। इसलिये आप इस धारा को बदलिये और निर्णय लीजिये कि उत्तर प्रदेश के सन् ४७ के औद्योगिक विवाद कानून के तहत में जो भी झगड़ा मजदूरों का कोआपरेटिव समिति से संबंधित उठेगा वह सारा उसमें जायगा। यह बात सही है कि कोआपरेटिव सोसाइटियां व्यक्तिगत नहीं हैं। मैं मानता हूं कि वे सार्वजनिक महत्व की हैं। लेकिन अगर कोआपरेटिव सोसाइटी की आय का बटवारा न हो, जो मजदूर अपना खून पसीना एक करके काम करते हैं और हजारों लाखों रुपये की कोआपरेटिव सोसाइटी की आमदनी करते हैं, उन्हें पूरी मजदूरी न मिले या उनके झगड़े का निपटारा न हो सके और वे कानून के अन्दर चारा जोई न कर सकें तो इस बात से इस प्रदेश के सहकारी आन्दोलन में बहुत हानि होगी। इसलिये आप इस विधेयक में इस बात का प्रबन्ध करने की कृपा करें।

इस विधेयक की धारा १२५ के अनुसार आप एक क्षेत्र की जितनी सोसाइटियों को चाहें एक में मिला सकते हैं। यह नियम पिछले साल से कार्यान्वित हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप इस १२५ धारा के अधिकार के साथ यह भी रखें कि अगर वे सोसाइटियां आपस में संबंधित होना चाहें तो की जावें। इसमें इस समय इस बात का कोई प्रावीजन नहीं है। इसका नतीजा यह होता है कि जबरदस्ती कानून के द्वारा इंसपेक्टर और निबन्धक जब जोर देते हैं तो वे सोसाइटियां बैठ जाती हैं। मिल कर काम करने की शक्ति या इच्छा उनमें नहीं होती है। इसलिये इस धारा में प्रतिबन्ध होना चाहिये कि जब उन समितियों से प्रस्ताव द्वारा मांग आवे तभी यह धारा कार्यान्वित हो।

इसी प्रकार १२६ धारा है। श्रीमन्, मान लीजिये कि हमारी और आपकी सोसाइटियां एक हैं और उनमें मेल है और माननीय बनारसीदास की या नरसिंह नारायण जी को उससे चिढ़ है, उनका कहीं कुछ नुकसान हो रहा है। उसका नतीजा यह होगा कि बिना आपसे और हमसे पूछे हमारी समितियों को अलग कर दिया जायगा। अनेकों उदाहरण प्रदेश में है जहां मंत्री जी की बात नहीं चली, वहां के संचालक मंडल ने उनकी बात नहीं मानी और ऐसे मामले में इस भारी अधिकार को बनारसी दास जी इस्तेमाल करेंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि या तो इस धारा को निकाल दिया जाय, वरना इसमें यह संशोधन होना चाहिये कि संबंधित सोसाइटियों के संचालक मंडल के बहुमत से यह होगा। वरना सहकारिता का भला नहीं होगा।

श्रीमन्, आप देखेंगे कि उस विधेयक में छोटे छोटे कर्मचारियों के संबंध में कोई चर्चा नहीं है। उनकी बड़ी दुर्दशा है। एक छोटा कर्मचारी इनका सुपरवाइजर है। वह किसके अधीन है? उसका तबादला या वेतन का बढ़ावा-घटावा कैसे होता है? श्रीमन्, आपके ही जिले की बात कहता हूं। वहां से हमारे पास शिकायत आई है। अनकों सुपरवाइजर पुराने और अधिक लिखे पढ़े हैं, लेकिन वे बेचारे नीचे और कम वेतन के हैं। कम पढ़े लिखे की वेतन वृद्धि हुई है। अच्छे स्थान उन्हें दिये गये हैं। सरकार को उनकी सेवा नियमावली बनानी चाहिये। अगर सरकार चाहती है कि घूसखोरी और रिश्वत बन्द हो तो सेवा नियमावली बनाकर कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना होगा।

दोनों तरफ के बैठने वालों ने इस विधेयक में अपने सुझाव रखे हैं। इसलिये यह विधेयक अधूरा है। प्रस्ताव सिर्फ १ महीने का रखा गया है और उसके बाद यह फिर सदन में आ सकता है। इसलिये इस प्रस्ताव के स्वीकार करने से सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा मिलेगा। इन शब्दों के साथ में आशा करता हूं कि मंत्री जी इसे स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये प्रस्तुत हुआ हूं, और इस संबंध में माननीय भीखालाल जी ने जो प्रस्ताव राय जानने को रखा है उसका विरोध करता हूं ।

यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि सन् १२ में जो सहकारी कानून बना था उससे अब तक जितना तजुर्बा हुआ उसे ध्यान में रखते हुए और सहकारिता के आन्दोलन को सुचारुरूप से चलाने के लिये यह नया विधेयक लाया गया है । यह एक माना हुआ सिद्धांत है कि जनतंत्र को सफल बनाने के लिये सहकारिता उसका एक आधार स्तम्भ है और जो जन-तंत्रीय प्रणाली में विश्वास करते हैं उनका यह पुनीत कर्त्तव्य है कि वह सहकारी आन्दोलन को सफल बनाने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास करें । परन्तु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सहकारी आन्दोलन की प्रगति की अब तक हमारे सामने जो गतिविधि है उससे हमें संतोष ही होता है । हो सकता है कि कानून में ही कुछ दिक्कतें हों या वातावरण उसके अनुकूल न हो । लेकिन इन चीजों से घबरा कर हमें इस प्रयास को छोड़ना नहीं है । मैंने यह पहले ही निवेदन किया कि सहकारिता पंचायत राज की आधारशिला है । लेकिन हमें उसके लिये एक वायुमंडल बनाना होगा । केवल इस विधेयक का सहारा लेकर अगर हम आन्दोलन को सफल बनाना चाहते हैं तो वह हो नहीं सकता । उसके लिये तो हमें जनता में एक मनोवृत्ति उत्पन्न करनी होगी । लेकिन उसके लिए जो प्रयास किया जाना चाहिये था उतना प्रयास नहीं हुआ है । सहकारिता आन्दोलन क्या है ? एक प्रकार से यह सत्ता का वह विकेन्द्रीयकरण है, सारी शक्ति को जनता के हाथों में दे देना है, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि सहकारिता आन्दोलन का संचालन सुपरवाइजर और सी० ओ० कोआपरेटिव के हाथ में ही है । ये ही उसका सारा काम करते हैं । यद्यपि उसका नियंत्रण सभापति के हाथों में समझा जाता है लेकिन सेक्रेटरी होने के नाते सभी कुछ सुपरवाइजर ही करता है । प्रोसीडिंग्स बुक उसके हाथों में होती है । उसमें वह जो चाहता है लिख लेता है क्योंकि सामान्यतः सभापति उसमें कोई इंटेरेस्ट नहीं लेता है । कहीं-कहीं कोई सभापति चलते पुर्जे आ भी जाते हैं और उसमें कुछ दिलचस्पी लेते हैं तो दोनों में ठकठांय हो जाती है । लेकिन जहां आपस में कुछ तय हो जाता है वहां ठीक तरह से चलता है जहां ऐसा नहीं हो पाता वहां आपस में गड़बड़ रहती है । सब जगह सुपरवाइजर की बात ही रहती है । इस बिल में भी सुपरवाइजर पर कोई नियंत्रण रखे जाने का प्रब प्रयत्न नहीं किया गया है । हो सकता है सरकार को जो रूल्स बनाने का अधिकार मिला है उसके अन्तर्गत वह कुछ रूल्स बनाये, लेकिन इस बिल में ऐसी कोई चीज स्पष्ट नहीं है ।

आज सुपरवाइजर प्राविंशियल कोआपरेटिव यूनियन के मातहत है और हो सकता है कल भी वह उसी के मातहत हो । लेकिन मुझे ताज्जुब तब होता है जब कि माननीय मंत्री जी ने जो सहकारिता विषय के बड़े अनुभवी हैं और उनके पास भी सुपरवाइजर के विरुद्ध बहुत सी शिकायतें आयी होंगी, लेकिन उन्होंने उस पर कोई नियंत्रण नहीं लगाया । जितने लंबे लंबे गबन होते हैं सब सुपरवाइजर ही करता है लेकिन उसको रोकने के लिये विधेयक में कोई शक्तिशाली धारा नहीं रखी गयी है जिससे हम उस पर नियंत्रण रख सकें ।

गवर्नमेंट के दूसरे विभागों में यह कानून है कि गबन का संदेह होने पर केस पुलिस को दे दिया जाता है, लेकिन सहकारिता विभाग में गबन के पूरे प्रमाण जब तक उपस्थित न हो जायं, तब तक केस पुलिस को नहीं दिया जाता है और डिपार्टमेंट की इंक्वायरी होती रहती है जिसमें बहुत देर लगा ली जाती है और जब पुलिस के पास मामला जाता है तो उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता । बहुत से यूनियनों में गबन हुआ और एकाउन्टेंट और सुपरवाइजर ने मिलकर कागजात ही गायब कर दिये । भला फिर कौन गबन निकाल कर दोषी व्यक्ति को दंड दे सकता है ? इसमें कोई संदेह नहीं कि इस बिल के द्वारा प्रगति की ओर बढ़े हैं, लेकिन बहुत ही खटकने वाली बातें भी हैं । माननीय मंत्री जी उनकी ओर विशेष रूप से ध्यान दें ।

इस बिल में सहकारिता खेती का प्राविधान भी किया गया है। यह मानना पड़ेगा चाहे हमारे कुछ भाई भले ही इससे मतभेद रखें लेकिन यह तथ्य है कि वह समय आयेगा जब कृषि का आधार भी सहकारिता ही होगा। बढ़ती हुई आबादी, जमीन की कमी और बढ़ती हुई बेकारी को देखते हुए एक वह वक्त आयेगा कि हम सहकारी खेती को अपनाने के लिये बाध्य होंगे चाहे आज सिद्धांततः हमारा भले ही उस से मतभेद हो, हम उसे चाहे आज दकियानूसी बतायें या उसके संबंध में कुछ भी कहें और चाहें उसके लिए आज वायुमंडल अनुकूल न हो, लेकिन कालांतर में यह समय आयेगा कि जब हम सहकारी खेती करने के लिये बाध्य होंगे। मुझे प्रसन्नता है कि कुछ आवश्यक धाराओं का आपने इसमें समावेश किया।

मैं एक बात और कहूंगा कि आप ने जो सहकारिता आन्दोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए सोसाइटियों की भरमार की है, और न जानें कितनी प्रकार की समितियां बना दी हैं, परन्तु उनका व्यावहारिक रूप क्या है उसके कहने में मैं अपनी स्पष्टवादिता के लिये क्षमा चाहूंगा और निवेदन करूंगा कि अगर इस बात का लेखाजोखा देखा जाय तो उनकी असफलताओं के ही आंकड़े अधिक हैं। इसका मूल कारण यह है कि हम अभी तक जनता की मनोवृत्ति सहकारिता की ओर अग्रसर नहीं करा सके हैं, हमारी भावनायें उसके प्रति अभी संकुचित हैं, हमारा दृष्टिकोण सीमित है, वह अभी विस्तृत और व्यापक नहीं हुआ है, एक व्यापक और परिमार्जित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मैं दुख के साथ कहूंगा कि स्वतंत्रता के १७–१८ साल के बाद भी अभी तक इस विषय में हमारा दृष्टिकोण परिमार्जित, व्यापक तथा विस्तृत नहीं हो सका है जिससे हम इस मूवमेंट को पूर्ण रूपेण सफल बना सकते।

आज इन समितियों का इतिहास क्या है? जो कर्जा बांटा हुआ है उस के विषय में कौन नहीं जानता है? बड़े से बड़े अफसर जानते हैं कि वह वसूल नहीं होता और उसी का उल्टा पल्टी कागज पर ही हो जाता है। फसल के ऊपर सोसाइटियों को उच्च श्रेणी में लाने के लिये और क्लासिफिकेशन कराने के लिये किसानों से पैसा लेते हैं। ८ प्रतिशत ब्याज भी लेते हैं लेकिन एक फर्जी लौपलट होती है और १ करोड़ या २ करोड़ का बिजनेस दिखाकर कोई ए० क्लास कोई स्पेशल क्लास का बैंक बन जाता है। इस तरह से सबको बहका कर यह काम होता है लेकिन अगर आप नजदीकी चश्मे से देखें तो तस्वीर का दूसरा ही रुख आप को देखने को मिलेगा। किसान इतरे बुरे तरीके से लूटा जाता है और वह समझता है कि रुपया तो नहीं लगता और थोड़ा सा ब्याज ही देकर एक साल के लिये मामला टल जाता है, हटाओ झगड़े को, अपना काम करो। उस वसूलयाबी के वक्त सुपरवाइजर ए०डी०ओ० कोआपरेटिव जो लूटपाट करते हैं उसका कोई ठिकाना नहीं है। मैं अपने १५ साल के इन सहकारी बैंकों के अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि स्थिति बहुत दयनीय है। हम लोग और संसद सदस्य इनसे संबंधित हैं और उनकी दशा देखते हैं मूक व्यक्ति की तरह और हमें परिस्थितियां बाध्य करती हैं, वहां सब चीजें चलती हैं। और हम अपने को किंकर्त्तव्यविमूढ़ पाते हैं, हमारे हाथ बंधे हैं और हम उन चीजों को रोक नहीं सकते। इसका कारण यह है कि सहकारी आन्दोलन को द्रुतगामी बनाने के लिए समितियों की भरमार कर दी गई है लेकन जनता के मानसिक धरातल को उन के संदर्भ में नहीं उठाया जा सका है ताकि वह अपनी जिम्मेदारी को निभा सके। इन समितियों में खुल्लमखुल्ला नियमों का दुरुपयोग होता है। अगर सहकारिता आन्दोलन से अधिकारियों का हाथ हटा दिया जाय तो सुन्दर और सहकारिता की कसौटी पर उत्तम काम हो सकता है लेकिन इसका व्यवहारिक रूप क्या होगा इस पर सोच लिया जाय। आज जो नियंत्रण है यद्यपि वह पूर्णरूप से न हो लेकिन थोड़ा सा अंकुश तो है ही फिर भी हालत यह है कि गबन की भरमार है। अब अगर उसको हटा दिया जाय तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। मेरी यह राय है कि जब हमारा सहकारी आन्दोलन आज शैशवावस्था में है तो उस पर अधिक नियंत्रण की जरूरत है। हम किस तरह से धीरे-धीरे जनमत इसके अनुकूल बना सकें, उसको जिम्मेदारी वहन करा सकें। तब हम नियंत्रणों को ठुकरा दें और अन्त में पूर्ण रूपेण इसको जनता के हवाले सौंप दें, लेकिन जब तक

[श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल]

यह स्थिति नहीं होती तब तक हम जितना अधिक नियंत्रण हम रखेंगे उतनी ही आपके रुपये को सुरक्षित रखेंगे। इनका संबंध बैंकों से है। आपने जो अरबों खरबों रुपया इनमें लगा रखा है उसके लिए यह देखना आवश्यक हो जाता है कि वह ठीक से वसूल हो रहा है अथवा नहीं। सही बात तो यह है कि रुपया तो कृषि के विकास के लिए हम देते हैं और उद्योगों के विकास के लिए देते हैं लेकिन वह रुपया ब्याह में, शादी में, कथाओं में और इस प्रकार की चीजों में लगा दिया जाता है और जब हम उनसे कहते हैं कि तुम्हें जो रुपया दिया गया है वह कृषि की उन्नति के लिए दिया गया है, तुम इतना फर्टिलाइजर ले लो, तो मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उसका विरोध किया जाता है। उनसे कहा जाता है कि तुम्हारे साथ जबरदस्ती की जा रही है। स्थिति स्पष्ट है। हम रुपया देते हैं खेती की तरक्की के लिए, उद्योगों के विकास के लिए और उसके लिए खाद का होना अनिवार्य है लेकिन वे लोग जो बहाने से रुपया लेते हैं और हमारे उधर के बैठने वाले दोस्त उनकी पीठ ठोंकते हैं और कहते हैं कि खाद मत लो। तो मैं नहीं समझता कि इस मनोवृत्ति से क्या भला होगा।

अन्त में मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़े प्रयास के पश्चात् एक बहुत सुन्दर विधेयक प्रस्तुत किया है और मुझे आशा है कि इस सदन में जो भाव व्यक्त किए गए हैं उनको ध्यान में रखकर वे एक ऐसा विधेयक बनायेंगे जो हमारी सहकारिता की आवश्यकताओं को वास्तव में पूरा करेगा।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जैसा कि मैं पहले कह रहा था, यह जो सहकारिता आन्दोलन की प्रगति के लिए विधेयक के उद्देश्य और कारण में कहा गया है कि हम इस आन्दोलन को सफल करने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए और जनता के प्रतिनिधियों का अधिक से अधिक सहयोग इसमें पाने के लिए इस विधेयक को लाए हैं, श्रीमन्, मैं समझता हूं कि जहां तक सिद्धांत रूप में यह बात है वह अपनी जगह ठीक है।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

अधिष्ठाता महोदय, सदन में इस समय कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरंभ हुयी।)

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, जहां माननीय मंत्री जी ने उद्देश्य और कारण में यह बतलाया है कि सहकारी समिति के प्रबन्ध में गैरसरकारी व्यक्ति का अधिक से अधिक सहायता प्राप्त करने की कोशिश की गयी है वहां मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पूरे विधेयक को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि यदि यह पूरा विधेयक एक पृष्ठ का विधेयक होता और इसमें यह लिख दिया जाता कि एक निबंधक नियुक्त किया जायगा जो सहकारिता आन्दोलन को अपने निर्देशों के अनुसार समय समय पर चलाता रहा तो यह सारे का सारा बिल पूरा हो जाता। कोई आवश्यकता इसमें और लिखने की नहीं थी। मैंने इसको पढ़ा तो ६०, ६१ जगह पर मुझे ऐसा लिखा मिला "निबन्धक यदि चाहे", "निबन्धक की यदि इच्छा हो," और "निबन्धक नियत करे"। जब इस प्रकार के शब्द बिल में जगह जगह मौजूद हैं तो उद्देश्य और कारण में जो बतलाया गया है उसे माननीय मंत्री पूर्ण-रूप देने में असफल ही हुए हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सहकारिता आन्दोलन को जो प्रगति और प्रवृत्ति इस प्रदेश में रही है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जनता के मन में सहकारिता आन्दोलन के प्रति कोई विश्वास तथा रुचि पैदा नहीं की गयी। सरकार में बैठने वालों की तरफ से कोई प्रचार भी नहीं किया गया ताकि जनता को परिचित कराया जाय कि इससे कैसे वह लाभान्वित होगी। यह सरकार की कमी है। सहकारिता को बढ़ावा देने से पहले जगह-जगह हमको जनसाधारण में इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, जलूसों, सम्मेलनों तथा गोष्ठियों के जरिए इस प्रकार का प्रयास करना चाहिए जिससे जनता के अन्दर सहकारिता आन्दोलन के प्रति कुछ श्रद्धा पैदा हो सके। लेकिन इसके विपरीत यह होता है कि सरकार ने निबंधक को असीम ताकत दे रखी है और असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स को भी बड़ी शक्तियां सौंप दी हैं जिसका परिणाम यह होगा कि जनता का जो आन्दोलन है, जो सहकारी आन्दोलन है, वह सहकारी आन्दोलन न बन कर सरकारी कर्मचारियों का आन्दोलन बन कर रह गया है।

मुझे इस बात के कहने में हिचक नहीं है कि सहकारी आन्दोलन को बदनाम करने वाले सरकारी कर्मचारी हैं। कामदार, सुपरवाइजर से ले कर रजिस्ट्रार महोदय, जिनका नाम इफ्तिखार हुसैन है, जिनका नाम बराबर अखबारों में निकलता रहा है ..

श्री अधिष्ठाता—

अब वह नहीं रहे।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

किस तरह से गड़बड़ियां वह करते रहे हैं, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूं। जनता को पथ भ्रष्ट करके किस तरह से काम निकालते हैं और जनता के आन्दोलन को अफसरों का आन्दोलन बना लेते हैं, यह उनके कारनामों को देखने से पता चल सकता है। इसमें भी निबंधक की असीम शक्ति रखी गयी है और निबंधक कौन होगा पढ़कर देखें तो पता चलेगा कि राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को निबंधक नियुक्त कर सकती है। तो माननीय मंत्री अपनी इच्छानुसार अपने खास दोस्त को और किसी कमिश्नर को भी जिसे वह चाहें निबंधक के पद पर नियुक्त कर सकते हैं एक बहुत बड़ा सहकारिता का सिद्धांत है कि जिनका एक शेयर है उनको एक वोट देने की शक्ति होनी चाहिए। लेकिन माननीय मंत्री जी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। इसकी धारा २० (ख) और (ग) पृष्ठ १२ पर देखें। इसमें लिखा है कि, "सहकारी समिति के सदस्य को चाहे समिति की पूंजी में उसके हित की मात्रा कितनी ही क्यों न हो, समिति के प्रशासन में एक मत (वोट) प्राप्त होगा:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि, "यदि राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार ऐसी समिति की सदस्य हो तो प्रत्येक व्यक्ति को, जो उपविधियों के अनुसार राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा सहकारी समिति की प्रबंध कमेटी या सामान्य निकाय में नाम निर्दिष्ट किया गया हो, एक मत प्राप्त होगा"।

तो श्रीमन्, यदि सरकार दो चार प्रतिनिधि भेज देगी तो २–४ मत प्राप्त होंगे। इसलिए इस बात की व्यवस्था रक्षित रख ली जाय हम जितने प्रतिनिधि भेजें उतने मत प्राप्त हो जायं। मैं २० (ख) और (ग) की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इससे आप लोग समझ लेंगे कि सरकार एक शेयर, एक मत के सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं कर सकी। इस तरीके से इस विधेयक में भी जो सहकारिता आन्दोलन का स्वाभाविक प्रवाह होना चाहिये, घर-घर में चलना चाहिये वह भी इसके द्वारा पूरा नहीं हो पाया है। कोई भी व्यवस्था नहीं जिससे जनता को स्वयं कार्य करने का मौका दिया जाय। हर जगह पर सरकारी कर्मचारियों का बेजा दखल है। उनकी सम्मति के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। ऐसी दशा में जो इसका प्रवाह सामान्य रूप में होना चाहिए वह नहीं होगा बल्कि जैसे सरकारी मशीनरी चाहेगी मानती रही।

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जनसंघ सहकारिता आन्दोलन के विरोध में नहीं है। कभी कह दिया जाता है कि जनसंघ पूंजीवादी है, कभी कह दिया जाता कि ये राजा लोग हैं, विभिन्न प्रकार की बातें कही जाती हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जनसंघ के चुनाव के घोषणा-पत्र को पढ़ लीजिए उसमें साफ लिखा है कि जनसंघ इसमें विश्वास रखता है। हम केवल सहकारी खेती नहीं चाहते हैं और सब कामों में सहकारिता आन्दोलन को चाहते हैं। इसलिए हम कभी इसका विरोध नहीं करते हैं। हम केवल आलोचना करते हैं और जो एक का फर्ज है और करनी चाहिए। सहकारिता आन्दोलन वास्तव में जनतंत्र की भावना का द्योतक है और प्रजातन्त्र के सारे कार्य सहकारिता के रूप में ही चलते हैं। यह जो विधान सभा और शासन बना है ये सब सहकारिता के ही आधार पर हैं यानी प्रजातंत्र के आधार पर हैं। हम इसकी प्रगति चाहते हैं। आजकल जो सहकारिता का ढांचा है उसमें सरकारी पार्टी के वैस्टेड स्यस्ट हैं। इसमें लिखा है कि अगर कोई लैंडलेस हैं तो वे समिति के नाम से जमीन ले सकते हैं। रूलिंग पार्टी के आदमी समिति बना लेंगे और भूमि प्राप्त कर लेंगे। उसका वही उपयोग होगा जो फार्मों का होता है। १०–१२ आदमियों के नाम से फार्म होता है परन्तु कब्जा एक आदमी का होता है। जमींदारी खत्म हो गई लेकिन फार्म वालों की जमींदारी अभी चल रही है। मुझे बैजनाथ सिंह जी की बात याद आ रही है कि जनसंघ में राजा लोग हैं। कांग्रेस के २७७ आदमी हैं मुझे उनका हिसाब रखना पड़ा तो पता चला कि ६१ आदमी ऐसे हैं राजा या कुंवर हैं। उनमें बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जो सामने बैठे हैं। आपके कथानुसार अब राजा तो कोई रहा नहीं, कभी रहे होंगे। सब पर सीलिंग लग चुकी। किसी के पास उतनी भूमि नहीं रह गयी। सब लोग बराबर हो गये। उसके बाद बार-बार कहना यह उचित और प्रशंसनीय नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

"राजा" शब्द आदर का बोधक है। असल में वह आदर देना चाहते हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

सभी आदर के पात्र हैं। सबको राजा कहेंगे और आपको भी कहेंगे।

श्रीमन्, सामने राजा हरीसिंह बैठे हुए हैं। इसमें राजापन की कोई बात नहीं है। जनसंघ ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में कहा कि भूमिहीनों को भूमि बांटेंगे। इस प्रकार की बातें करना इस बात का सूचक है कि आपके पास कोई बात नहीं रहीं। इससे दिमाग का खोखलापन और दिवालियापन सिद्ध होता है।

श्रीमन्, सहकारी खेती का हम लोग विरोध करते हैं। इसमें एक पूरा अध्याय ११ है सहकारी खेती पर है। मैं उसका तीव्र विरोध करता हूं। इसलिए कि खेती में सहकारिता चल नहीं सकती। हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि भूमि में और स्त्री में सहकारिता नहीं चल सकती। उन्होंने जर, जोरू और जमीन कहा है। लेकिन विशेष रूप से मैं कहता हूं कि खेती में सहकारिता नहीं चल सकती। भूमि सुधार का ध्येय खेती की पैदावार बढ़ाना है। हमें बताया गया है कि लोगों ने जमीनें ले रखीं हैं, उन पर काम नहीं करते, प्रति एकड़ उपज कम होती है इसलिए सहकारिता के आधार पर हम उनको भूमि दे सकेंगे जिनके पास भूमि नहीं है और जिनके छोटे-छोटे टेन्योर्स हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके पैदावार बढ़ा लेंगे क्योंकि सरकार काफी मदद करेगी। सिंचाई के भी साधन देगी, ऋण भी देगी। बहुत सी सहूलियतें देगी और इसके द्वारा उपज बढ़ जायगी। जो खेती में सहकारिता के जनक हैं वह रूस वाले हैं। रूस ने सबसे पहले कलेक्टिव फार्मिंग, कोआपरेटिव फार्मिंग शुरू किया। चीन ने भी उसी से लिया। इजराइल में भी इसी प्रकार सुधार हो रहे हैं। खेती में सहकारिता करने के बाद आज रूस को जरूरत है कि अमेरिका से गेहूं मंगाये। और चीन भूखों मर रहा है।

कहा जाता है कि ख्रुश्चेव इस बात पर अपने पद से हटा दिए गए। अमेरिका से गेहूं क्यों मंगाया, उसके ऊपर यही चार्ज रहा। वैसे तो वहां का पता नहीं रहता किन्तु मैंने अपने एक कम्युनिस्ट मित्र से पूछा तो उन्होंने यह बताया कि वह इसलिए हटाए गए थे कि उन्होंने अमेरिका से गेहूं मंगा लिया। वहां कौन-सा गलत काम हो रहा था, वहां पर उत्पादन कम हो गया तो उसने गेहूं मंगा लिया तो कौन-सा गलत काम किया यह मेरी समझ में नहीं आता, क्या वह लोगों को भखों मार देता। श्रीमन्, उसने ठीक किया। किन्तु मैं इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि जब यह चीज, जब यह व्यवस्था सहकारी खेती की फेल हो गयी जो हमारे गुरू कहे जाते थे वहां बुरी तरह असफल हो गई तो हम इसको क्यों प्रश्रय दे रहे हैं ?

(हंसी)

क्या मैं श्रीमन्, कुछ गलत बोल गया सब हंस क्यों रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

मैं माननीय उपनेता सदन से आग्रह करूंगा कि वह अपना स्थान अगली कतार वाली बेंच पर ग्रहण कर लें जहां वे बैठा करते हैं, तो ज्यादा कृपा होगी।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

तो मैं यह कह रहा था कि जो इस योजना के जनक थे वहां इसका क्या हाल हुआ, वहां की पैदावार की क्या हालत हुई, इसे आप अवश्य ध्यानपूर्वक देख लें और इससे सबक ले लें। चीन के बारे में तो कहा जा सकता है कि वहां की आबादी ज्यादा है किन्तु रूस में तो आबादी कम है और वहां का कृषि योग्य क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। इस असफलता के कारण इन देशों ने इस व्यवस्था से पीछे हटना शुरू किया। उन्होंने पहले किचेन और बरांडे के नाम पर जमीन दी और अब इसके लिए भूमि प्राइवेट तरीके से भी दी जाती है जिससे उस पर पैदावार बढ़ाई जा सके। ऐसी स्थिति में मेरी समझ में नहीं आता है कि सहकारिता विधेयक में यह चैप्टर क्यों रखा गया है। हमें उनके अनुभव से अवश्य लाभ उठाना चाहिए। यह जो सहकारी खेती का प्रोग्राम बनाया गया है, यह सहकारिता के आधार पर बिलकुल नहीं चलाया जाना चाहिए और विधेयक के अन्दर से सहकारी खेती का चैप्टर बिलकुल निकाल देना चाहिए। क्योंकि इसमें यह व्यवस्था कदापि नहीं चल सकती है। आप सब जानते होंगे कि जिस समय रात्रि का समय होता है बड़े जोर से बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है, पानी घनघोर बरसता है, उस समय किसान एक लाठी केवल कंधे पर रखकर, बिना किसी लालटेन के अंधेरी रात में अपने खेत में पहुंचता है, क्यों ? केवल अपने खेतों की देखभाल के लिए, जिससे पैदावार हो, अच्छी हो और उससे देश के करोड़ों नर-नारियों का पेट भर सके। इसी तरह से जब कभी आप देखते हैं पानी नहर में आवे, वे समझते हैं पड़ोसी वाले खेत में पानी भर गया होगा तो वह रात भर पहरा देता है कि कब पड़ोसी का खेत भरे और वह कब अपने खेत में पानी काटे। यह दिन रात कड़ी मेहनत वह इसलिए करता है कि उसकी पैदावार बढ़े और उससे पूरे राष्ट्र का हित हो। जैसे कोई अपने शिशु का पालन करता उसी तरह से किसान अपने खेत और जमीन की हिफाजत करता है। क्या आप उम्मीद करते हैं कि सहकारी खेती के अन्दर, जैसा कि इसमें दिया गया है कि १० या १० से अधिक व्यक्ति ऐसी सोसाइटियां बना सकते हैं, और इसमें श्रीमन्, वह लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिनका भूमि से कोई संबंध नहीं है, यानी जो केवल खेतीहर मजदूर हैं। आप सोचिए किसी सोसाइटी में ६ आदमी जमीन वाले हैं और ४ बिना जमीन वाले हैं, जिनकी जमीन उसमें नहीं लगी है। श्रीमन्, देखना होगा कि इन ६ और ४ में कोई झगड़ा और मनोमालिन्य तो नहीं होगा। जिसकी जमीन है उसे इस बात का दुख होगा कि उसकी जमीन पर उनको भी हिस्सा दिया जा रहा जिनकी जमीन नहीं है और या फिर आप उन ४ आदमियों को मजदूरी देंगे, हिस्सा नहीं देंगे। उस स्थिति में भी और पहली स्थिति में भी उन दोनों के अन्दर मनोमालिन्य होगा और रहेगा और इसलिए वह सोसाइटी नहीं चल सकती। हां, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया इसमें धारा है जिसके अन्दर आपने समितियों का फार्मेशन किया है

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

उसमें लिखा है कि वे लोग भी जिनके पास जमीन नहीं है वे समिति बनाने के लिए ऐप्लाई कर सकते हैं और जमीन प्राप्त कर सकते हैं। इससे यह होगा कि सरकारी दल के लोगों के रिश्तेदार या उनके कृपाभाजन को ऐसी जमीनें प्राप्त होंगी।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)—

क्या जनसंघ के लोगों ने ऐसी जमीन प्राप्त नहीं की है?

श्री हरीशकुमार गंगवार—

आप ढूंढ डाले एक भी इस प्रकार का आदमी नहीं निकलेगा। तो मैं यह कह रहा था कि यह एक तरकीब है जिससे लखीमपुर या खीरी या दूसरी जगहों म जो गवर्नमेंट के फार्मस् हैं उनको काट-काट कर छोटा किया जा सकेगा और फिर व्यक्तिगत तरीके से हरीसिंह जी के १० आदमियों में उसको बांट दिया जायगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

आपको क्या हरीसिंह जी को देने में आपत्ति है, उन्हीं को मिल जाय तो आपको क्या आपत्ति होगी ?

श्री हरीशकुमार गंगवार—

ऊदल जी को नहीं मिलेगी, हां, हरीसिंह जी जैसे लोग ९ आदमियों को मिलाकर सोसाइटी बना लेंगे और फिर मिनिस्टर साहब को ऐप्लाई कर दें तो उनको जमीन मिल जायगी। उसी तरीके से जैसे आज राममूर्ति जी का बरेली और बहेड़ी में फार्म है। राममूर्ति जी यहां बैठे रहते हैं, लेकिन राममूर्ति जी उसकी पैदावार पाते हैं। उनके नाम से यहां बैठे-बैठे तमाम काम होता है वही स्थिति पैदा हो जायगी। तो श्रीमन्, जिन जमींदारों को हम कम करने की बात कहते हैं उन्हीं जमींदारों का निर्माण फिर से इसके द्वारा होगा और वे राजा भी कौन होंगे, वही जो एक विशिष्ट दल के होंगे हर एक को इसमें अवसर नहीं मिलेगा। मैं इसीलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को फिरसे प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय और वहां फिर से इस पर विवेचना हो और उसके बाद फिर से यह आवे। यहां बार-बार यह कहा जाता है कि खेती की पैदावार इसलिए नहीं बढ़ रही है कि किसान मेहनत नहीं करता। किसान के पास होडिंग कम है या है भी तो अनप्राफिटेबिल है। श्रीमन, हमें अभी चौथी पंचवर्षीय योजना की पुस्तक मिली है उसे मैं पढ़ रहा था। इसके पृष्ठ ३५ पर लिखा है कि—"१९६५–६६ तक प्रदेश की कुल भूमि का ६७ प्रतिशत यानी ४१७.२६ लाख एकड़ भूमि कृषि के अन्तर्गत आ जायगी। यानी जब हमारा ६५-६६ का वर्ष समाप्त हो जायगा उसके बाद कुल ६७ प्रतिशत, मैं ७० कर लेता हूं। ७० प्रतिशत भूमि कृषि के अन्तर्गत ला पायेंगे जिस पर कृषि होगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने अब तक यह प्रयास क्यों नहीं किया कि हमारे प्रदेश की समस्त भूमि कृषि योग्न बन जाय। ३० प्रतिशत अगर भूमि बेकार है तो इसका दायित्व किस पर है। निश्चित तौर से इसका दायित्व सरकार के ऊपर है। अगर ३० प्रतिशत जमीन उर्वरा बन जाय तो हमारे प्रदेश में भुखमरी की स्थिति पैदा नहीं हो सकती। जितनी हमें आवश्यकता है २८ लाख टन की वह बहुत पहले पैदा हो गया होता। श्रीमन्, जरूरत इस बात की है कि आज हम प्रदेश की सारी भूमि को कृषि योग्य बना लें। और जहां तक ७० प्रतिशत कृषि योग्य भूमि का संबंध है क्या उसमें भी कृषि अच्छे प्रकार से हो रही है ? बिलकुल नहीं हो रही है। जहां-जहां इस प्रकार की जमीन कृषि योग्य दिखी तो इन लोगों ने जो हरीसिंह जैसे हैं अपनी एक सहकारी समिति बनाली, उन लोगों ने यहां से कर्जा ले लिया, कुछ ट्रैक्टर चले गये वहां पर जोतना शुरू कर दिया। एक दफा उनको जोत दिया गया बाद को चाहे बोज पड़ा या नहीं। बस उसके लिये कह दिय गया कि वह कृषि योग्य भूमि बन गई। मैं यहां से देवा शरीफ के ब्लाक में गया था। वहां जा कर

पता चला कि वहां पर भी सहकारी खेती समिति बनी है। पता यह चला कि बन तो गई है लेकिन उसमें कोई काम नहीं हुआ। न उसको कोई बीज मिला न कोई खाद मिला पर उनका नम्बर भी बढ़ गया। जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदेश में ९६० से ऊपर सहकारी खेती समितियां हैं। इसमें लिखा हुआ है कि इस समय सहकारी खेती की कुल समितियां ९६० हमारे प्रदेश म हैं और उसके सदस्य १९,६९६ हैं और उसके साथ ही उसके अन्तगत कृषि भूमि १,३१,४६० एकड़ है। म मंत्री जी से कहता हूं कि आप मुझको ये आंकड़े दीजिये कि ९६० सहकारी खेती की समितियां कहां पर ह ? इनमें कोई उत्पादन होता है या नहीं ? यह बात खाली पपर पर ह। अभी आंकड़े मुझे प्राप्त नहीं हुय हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सहकारी खेती का हम विरोध करते हैं। हम यह चाहते हैं कि सहकारी खेती में कोई सफलता आपको प्राप्त हुई है तो उसको सदन में रखी जायं ताकि हम भी उस से कुछ प्रेरणा लें, ताकि हमें भी अपने विचार बदलने का मौका हो। जहां तक हमने देखा है गवर्नमेंट के फार्म हैं वे भी अलाभ में चल रहे हैं तो इस सहकारी खेती से कौन-सा लाभ हो सकता है मैं यह कहता हूं कि इस समय इस प्रकार की सहकारी खेती से प्रदेश को नुकसान होगा। लाभ नहीं होगा। भले ही कुछ समितियां बन जायं लेकिन उनका परिणाम यही होगा कि वे भूमि को हस्तगत करने का साधन बन जायंगी और कुछ नहीं होगा।

मैं यह भी देखता हूं कि आपके यहां उपज भी बहुत नहीं बढ़ी है। इसी चौथी पंचवर्षीय योजना की पुस्तक में आपने स्पष्ट किया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हम उपज केवल २ प्रतिशत वार्षिक बढा पायें हैं। बहुत सी सहकारी खेती की समितियां बनाई गई। उनको बीज भी दिया और खाद भी दिया गया। सब कुछ किया और इस कोआपरेटिव मूवमेंट में आपने किसानों को ऋण भी दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि वे सब किसान ऋणी हो गय। आज कोई किसान यह नहीं कह सकता कि वह ऋणी नहीं है। चाहे वे सरकार के ऋणी हों या साधन सहकारी समिति के ऋणी हों, सबको आपने कर्जदार कर दिया। लेकिन मैं पूंछना चाहता हूं कि इसके बावजूद भी, किसानों के ऋणी करने के बावजूद भी आप क्या पैदावार बढा पाये ? आपने बैंक खोले, बीज भंडार खोले गये और कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के जरिये से बीज भी बांटा गया पर क्या नतीजा निकला ? श्रीमन्, खाद किस तरह से दिया जाता है ? कर्जा विभिन्न प्रकार से दिया गया। शार्ट टर्म, मीडियम टर्म, और लांग टर्म के आधार पर कर्जे दिये गये। यह सब कुछ करने के बाद भी आपके यहां खेती की उपज जो बढ़ी वह २ प्रतिशत से अधिक नहीं बढ पायी। बहुत जोर लगाने पर भी नतीजा कुछ नहीं निकला। "बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल को जो चीरा तो एक कतरये खून न निकला"। आप दिखाइये कि किस जगह पर आपने कितना अन्न पैदा किया है ? जो बीज काश्तकारों को दिया जाता है वह काश्तकारों तक नहीं पहुंचता है। जो कर्जा देना चाहते हैं वह काश्तकारों तक नहीं पहुंचता है या दूसरे काम में लगा दिया जाता है।

तीसरी बात यह है कि आपने जितनी भी इसके लिये व्यवस्था की वह सब फेल हो गई। अब उस अव्यवस्था को छिपाना चाहते हैं वह नहीं हो रहा है। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। श्रीमन्, मैं जोर के साथ कहना चाहता हूं कि आपने अल्पकालीन ऋण जो सहकारी समितियों को दिया है उससे काश्तकार को कोई फायदा नहीं, यह तो मैं नहीं कहता। इधर के बैठने वाले भी इस बात को मानते हैं और उधर के बैठने वाले भी इस बात को मानते हैं कि इसका जो सिस्टम है उसे बदला जाना चाहिये। मुझे यह जानकर बड़ी निराशा हुई कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में नामक पुस्तिका में आप देखें पृष्ठ ४७ पर दिया हुआ है। एक मार्के की बात मैं पढ़ रहा हूं। जब आप इस बात को जानते हैं कि अल्पकालीन जो ऋण है उस से किसान को फायदा नहीं हो रहा है और इसका कारण यह है कि वह अक्तूबर, नवम्बर या दिसम्बर में दिया जाता है और जून में वसूल कर लिया जाता है। एक तो वह समय पर किसानों को मिल नहीं पाता और तीन-चार महीने के बाद ही काश्तकार उसे अदा करने की स्थिति में नहीं

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

होता है। तो मैंने यह सुझाव दिया था कि आप मध्यकालीन ऋण काश्तकार को दिलावें तो जो तीन साल में या पांच साल में वह वापस करे। इसमें वह अपना काम भी निकाल लेगा और आपको पैसा भी वापस मिल जायगा। ऐसा करने से ट्रांसफर इंट्री भी नहीं होती रहेगी जिसका यहां रोज चर्चा होता है। वह दे नहीं पाता। आठ, नौ परसेंट उसने सुपरवाइजर को दे दिया और उसकी वसूली लिख दी गई और दूसरी तरफ उसे नया कर्जा मिल गया। यही होता है। बराबर यह आंकड़े दिये जाते हैं कि हमने इतना कर्जा बांट दिया। यह सहकारिता १९६५ नामक किताब में भी दिया है कि इतना करोड़ का लोन बांट दिया। इसको मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कभी यह रुपया ठीक तरह से वसूल नहीं होता। जो रुपया आपने दिया है वह रुपया ठीक समय पर वसूल हुआ इसके आंकड़े कभी विभाग ने नहीं दिये। सब जानते हैं कि उसमें लूप होल्स हैं। तो मैं यह निवेदन करता हूं कि सहकारिता आन्दोलन की प्रगति इससे न आंकी जाय कि कितना ऋण दिया गया, बल्कि यह देखाजाना चाहिये कि उसका उपयोग सही हुआ या नहीं। वह ऋण समय पर वापस हुआ या नहीं और अगर समय पर वापस नहीं हुआ तो इस ऋण का फायदा क्या हुआ? आप खुद भी चार सौ बीस करते हैं और काश्तकार को भी चार सौ बीस करने के लिये सिखाते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

चार सौ बीस शब्द असंसदीय है। आप इसको वापस लें।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

आप इस जसे चाहें बदल लें। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप खुद इसे दूसरे ढंग से कह सकते हैं। आप काफी शिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

यह बड़ी शिष्ट भाषा है।

श्री अधिष्ठाता—

मैं जानता हूं कि आप चतुर वक्ता हैं। अपनी चतुराई दिखाइये।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

तो यह सरकार काम में सफल हो नहीं पाती और इस बीच में भी सरकारी अफसर की बन आती है। इतनी बन जाती है कि एक-एक सुपरवाइजर कोठी खड़ी कर लेता है और लोग यह पसंद करते हैं कि हम डिप्टी रजिस्ट्रार न हों, सुपरवाइजर ही रहें। तो इस तरीके की बातें चलतीं हैं। तो मैं इस पुस्तक के पृष्ठ ४७ से पढ़ रहा था। इसके प्रारम्भिक स्मृति-पत्र में लिखा है कि सहकारिता कार्यक्रम का उद्देश्य। इसके नीचे है नम्बर (१) चौथी योजना के अन्त तक सहकारी ऋण व्यवस्था को १२५ करोड़ रुपये तक बढ़ाना जिसमें १५ करोड़ का मध्य कालीन तथा २० करोड़ का दीर्घ कालीन ऋण भी शामिल है। और कुल ऋण दिया जायगा १२५ करोड़ रुपया तो इस प्रकार ९० करोड़ रुपया अल्पकालिक ऋण के रूप में दिया जायगा और उसका भी वही हाल होगा जो अब तक के ऋण का होता आया है। तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस ओर वह ध्यान दें कि यह मध्यकालीन ऋण की जो मात्रा है वह बढ़ायी जाय और अल्पकालीन ऋण की मात्रा घटाई जाय और वसूली करने का कोई सही तरीका निकाला जाय।

अगर उन्हें अल्पकालीन ऋण देना ही है तो उनकी किश्तों की कुछ ऐसी व्यवस्था करें जिससे वह समय पर वसूल हो सके। अगर ऐसा नहीं है तो वह सहकारिता आन्दोलन के विपरीत है और जैसा कि बैजनाथसिंह जी ने कहा कि बड़ा क्रांतिकारी कदम के साथ मंत्री जी घुसे थे तो वह क्रांतिकारी कदम कुछ नहीं रह जायगा बल्कि वह इस प्रकार का डिपार्टमेंट रह जायगा जैसे कि बुझी हुई चिता ।

श्रीमन्, मैं आपसे एक बात और निवेदन करना चाहता हूं । जहां हमने इस ओर गौर नहीं किया कि हमारे प्रदेश की कितनी जमीन बाकी है जिसे हम उर्वरा बना सकते हैं वहां हमने यह गलती की कि गन्ने का जो लक्ष्य था वह तिगुना बन गया, यानी एक के बजाय ढाई गुना ज्यादा पैदावार हो गयी और नेचुरली खाने की चीजें कम हो गयीं । हम विदेशी मुद्रा के गठन में इतना लग गये कि अन्न की ओर हमने ध्यान ही नहीं दिया । नतीजा यह हुआ कि इधर तो हम शकर के द्वारा मुद्रा अर्जन करने की कोशिश करें और उधर अन्न घटा कर हम विदेशों को उसके लिये मुद्रा भेजें, उनसे ऋण लें या भीख मांगें या न मिले तो पैसा दे कर लें । इस तरह से इधर का उधर चला जाता है ।

इसके अलावा अध्याय ११ में एक बड़ी विचित्र बात है। सहकारी समिति का गठन हो गया। उसमें अगर कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है जिस पर सरकार का कोई धन देना वाजिब है तो उसमें लिखा है कि वह कोआपरेटिव सोसाइटी तो फार्म कर सकता है लेकिन उसका जो धन देय है वह समिति से वसूल किया जायगा और समिति उस सदस्य से वसूल कर लेगी । यह ४४ पृष्ठ पर धारा ७९ का उपखंड (५) है तो मुझे डर है कि जिनके ऊपर कर्जा है कहीं वहीं लोग जाकर समिति न बना लें और बाद में समिति कर्जा अदा कर दे । बाद में यही हो सकता है कि समिति उनसे वसूल करे, लेकिन क्या चीज है जिस से वसूल करेगी ? जो शेयर है उसीसे कर ले समिति । आज सैकड़ों व्यक्ति चाहते हैं कि हमें दीवालिया ही घोषित किया जाय । तो मंत्री जी जरा इसको स्पष्ट कर दें ।

फिर सदस्यता समाप्त होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा । लिखा यह है कि उसके द्वारा अनुदान के रूप में दी हुई भूमि उसे लौटा दी जायगी या सघनता कायम रखने के लिये उसी समान मूल्य की कोई अन्य भूमि दे दी जायगी । यानी अगर कोई सदस्य रहना नहीं चाहता तो उससे कहा जाता है कि या तो हम उसी जमीन को दे देंगे या बदले की जमीन दे देंगे । आज चकबन्दी हो गयी । ग्राम समाज की ज्यादातर जमीनें लोग उठा रहे हैं । दूसरे काश्तकारों को दे रहे हैं । जब यह विधेयक लागू होगा और सहकारिता के आधार पर खेती होगी तो खेतों की अदला-बदली भी होगी । उससे बड़ी विकट परिस्थिति पैदा हो जायेगी । सहकारिता तो श्रीमन् जमीन से काश्तकारों को बेदखल करने का एक तरीका है । सरकार उसके द्वारा कृषि का सरकारीकरण करने जा रही है ।

एक बात और है । इसमें धारा ८४ जो है उसके अनुसार बड़ी परेशानी पैदा होगी । जब आप एक सहकारी समिति बनायेंगे तो उसका मतलब यह होगा कि अगर १० स्थानों की जमीन है, वह सभी की अलग-अलग होगी। किसी की २०० गज दूरी होगी, किसी की कहीं होगी, किसी की कहीं होगी, तो नतीजा यह होगा कि आपको इस धारा के मुताबिक यदि सहकारी समिति बनानी होगी तो उसकी फिर से चकबन्दी होगी । हाकिम परगना फिर से उनकी चकबन्दी करेगा । एक चकबन्दी तो अभी हो गयी, एक फिर हाकिम परगना करेगा । उसमें बड़ी गड़बड़ी होगी । इसलिये श्रीमन्, मैं कह रहा हूं कि यह बड़ा ही खतरनाक विधेयक है । भूमि का जब अदल-बदल होगा तो उसमें बड़ी गड़बड़ी होगी। कितनी ही दिक्कतें सामने आयेंगी।

इसी में एक बात और भी है । इसी में एक धारा में यह भी है कि समिति के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह एक ही जिले की हो । दो जिलों में अगर जमीन है, तब भी सहकारी समिति बनायी जा सकती है । इससे बड़ी ही अव्यवस्था उत्पन्न होगी । हमतो श्रीमन्,

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

सिद्धान्त ही सहकारी कृषि का विरोध करते हैं। अगर यह विधेयक पास हो जायेगा तो यह इन्हीं की जान पर आ जायेगा। इस विधेयक के पास हो जाने पर वही होगा कि कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा। आप उसे संभाल नहीं पायेंगे।

एक बात और कह कर श्रीमन्, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। श्रीमन्, आपने देखा होगा कि इस विभाग के बारे में कुछ शिकायतें पी० ए० सी० के सामने भी आयीं। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने अपनी एक उप समिति बनायी और उसने इस विभाग के कुछ लेखों की जांच करनी चाही। उसकी जांच के लिये इस विभाग से कुछ उस समिति ने कागजात मंगाये। इस विभाग ने उन कागजात को देने से इंकार कर दिया यह कह कर कि हम आपके परव्यू में नहीं आते। श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि सरकार का भी कोई नियंत्रण इस विभाग के लेखे जोखों पर होना चाहिये। प्राइवेट आडिट की तो व्यवस्था है, मगर सरकारी आडिट भी होना चाहिये। लाखों करोड़ों रुपया इस विभाग द्वारा दिया जायेगा। तो हमें यह देखना चाहिये कि वास्तव में उस धन का दुरुपयोग होता है या नहीं, इसकी निश्चित व्यवस्था होनी चाहिये।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि एक मुझे बहुत बड़ा भय और है। इसकी धारा ९५ देखें। आपने बहुत कुछ लिखा है। सहकारी समिति जो कृषि के लिये बनाई जायेगी उसके लिये बहुत बड़ी सुविधा देंगे, कर्जे की, पानी की और तकावी की प्राथमिकता देंगे, सब प्रकार के बीज देंगे, उसे आत्म-निर्भर बना कर अन्न पैदा करने की कोशिश करेंगे। उसमें धारा ९५ रख दी। धारा ९५ क्या कहती है। श्रीमन्, धारा ९५ में लिखा है—

"सहकारी समिति से अथवा सहकारी समिति के किसी अधिकारी या सदस्य या भूतपूर्व सदस्य से राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को देय समस्त धनराशियां जिनके अन्तर्गत इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन किसी ऐसी सरकार को दिलाये गये व्यय भी हैं, निबन्धक द्वारा तदर्थ जारी किये गये प्रमाण-पत्र पर मालगुजारी के बकाया की भांति वसूल की जा सकती है।"

मेरा कहना है इन समितियों के गठित होने के बाद मंत्री जी ने जो ९०७ समितियां गठित की हैं उनका आडिट करा लें। उनको जो-जो सुविधायें दी हैं उस से क्या सदुपयोग हुआ है उनसे संतुष्ट होने के लिये कि उनकी स्थिति मालगुजारी का रुपया वसूल करने की हो गई है या नहीं। सब दिवालिया है, बड़ी दिक्कत है। माननीय मंत्री जी सहकारिता आन्दोलन में सहकारी खेती करके देखेंगे इसका बड़ा भारी निश्चय करके, जो निश्चय इस प्रदेश की जनता के हित में नहीं उस दुर्भाग्यपूर्ण निश्चय को लेकर बैठे हैं। श्रीमन्, उसकी वर्किंग को देखें। नागपुर अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास किया या लोक सभा में १९५९ में जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा उसके अनुसार चलने को तैयार हैं तो आगा-पीछा भी सोचिये। आप यह मत सोचिये कि जो कुछ आपने लिखा है या जो कुछ आपने प्रस्ताव पास किया है सहकारी खेती के सम्बन्ध में या नेहरू जी ने कहा वह सही का सही है। आप क्रांतिकारी कदम उठाने वाले हैं। मैं समझता हूं कि आपके द्वारा सहकारी विभाग का भला होगा। हम जो चेतावनी दे रहे हैं उसकी तरफ आप ध्यान रक्खें। अगर आपने धारा ९५ रक्खी तो कोई शक नहीं, जैसा कि जनसंघ कहता है कि यह सब सरकार ने किसानों की भूमि को हस्तगत करने की चाल चली है इस प्रदेश में और इस गठन के बाद चाहे माननीय मंत्री जी के समय में गठित हो कोई सहकारी खेती की समिति कर्जा अदा नहीं कर पायेगी उस पर ड्यूज होंगे और चार-पांच साल के अन्दर वह समिति माननीय मंत्री बनारसी दास जी के चरण कमलों में आ जायेगी और इसलिये इस प्रदेश का किसान जिसको आप नंगा भूखामार रहे हैं उसको सिवाय सरकार की ओर दृष्टि लगाये रखने के और कोई चारा नहीं रह जायेगा। इससे एक बात यह जरूर हो जायेगी जब वह समिति कर्जा देने से मजबूर हो जायेगी तो वह वोट देने को आपको ही बाध्य होगी क्योंकि उनको रोटी आप से ही मिलेगी। यह वह कदम है जिस से देश का किसान गुलाम बन कर रह जायेगा। इस प्रदेश के किसानों की आजादी

नष्ट हो जायेगी, उसकी स्वतंत्रता नष्ट हो जायेगी। श्रीमन्, मैं इस चेतावनी के साथ और माननीय मंत्री से निवेदन करने के बाद जो कुछ भी मैंने कहा, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और इस मांग के साथ कि इस ११वें अध्याय को यहां से निकाल दें। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बड़ी प्रसन्नता है कि आपने मुझे इस सब्जेक्ट पर बोलने की इजाजत दी है जो कि मेरा फेवरिट सब्जेक्ट रहा है और इसके सम्बन्ध में जितना भी ज्यादा से ज्यादा समय मैंने दिया है उसका थोड़ा-सा अनुभव मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं। यह बात जरूर है कि अभी हमारे दोस्तों ने बहुत तरह की टीका टिप्पणियां की हैं। लेकिन यह बात निर्विवाद है कि सहकारिता एक ऐसा विषय है जिसके सम्बन्ध में कोई भी मतभेद नहीं हो सकता कि इसके भीतर इतनी बड़ी शक्ति भरी हुई है कि छोटे से छोटा गरीब तबके का व्यक्ति बड़े से बड़ा काम कर सकता है।

(इस समय २ बजकर ५६ मिनट पर, अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय पुनः पीठासीन हुए।)

यह बात सही है कि आप जिन व्यक्तियों की सोसाइटी बनाते हैं, उनको देखने की जरूरत है। उनमें आपस में पारस्परिक सहयोग हो सकता है या नहीं। जहां यह प्रतिबन्ध हो जाता है कि किसी भी गांव की ८० फीसदी आबादी इसमें मिला दी जाय या ७५ प्रतिशत आबादी मिला दी जाय, तो वहीं पर हम गलती करते हैं। अगर १० आदमी सहयोग कर सकते हैं, ५ आदमी सहयोग कर सकते हैं तो उन्हीं की सोसाइटी आप बनावें। यह कोई जरूरी नहीं है कि १०० या २०० आदमियों की ही सोसाइटी हो। जो १० आदमियों की सोसाइटी होगी वह ज्यादा काम कर सकेगी, उनमें ज्यादा सहयोग हो सकेगा और उनमें पारस्परिक विश्वास भी एक दूसरे के प्रति होगा, वे एक दूसरे की जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन जहां आप यह कहते हैं कि गांव भर के या चार गांव के लोगों की सोसाइटी बना दी जाय, और एक सदस्य दूसरे की जिम्मेदारी ले ले, यह कभी भी संभव नहीं है। साथ ही जिस प्रकार का व्यवसाय हो, जिस प्रकार के काम करने के लिये सोसाइटी बनती हो, चाहे वह इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो, चाहे खेती में काम करने वालों की सोसाइटी हो, या कंज्यूमर गुड्स सप्लाई करने के लिये सोसाइटी हो, आप समझ लें कि जब तक सोसाइटी के मेम्बर उसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे तब तक वह सोसाइटी कभी भी उन्नति नहीं कर सकती।

एक सबसे बड़ी चीज हमारे मित्रों ने जरूर कही है, और कुछ लोगों ने इसका जिक्र भी किया है कि इसके भीतर जो एक सुपरवाइजर नाम का आदमी है, उसे आदमी कहें या कुछ भी कहें, वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी सहकारिता आन्दोलन की है। चाहे उसके ऊपर रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंन्ट रजिस्ट्रार या इंस्पेक्टर भी बैठा हो, वे सब बेकार हैं। एक बात यह बार-बार कही गयी कि सुपरवाइजर ऐसी सूची रखता है कि जिन लोगों को चुनवाना चाहता है उनके माफिक डेलीगेट बुलाता है। सरकार ने एक प्रान्तीय सहकारी यूनियन बना रखी है। जिसका सारा खर्चा गवर्नमेंट देती है। एक सबसे बड़ी चीज यह है कि उसमें ऊपर से ले कर नीचे तक सब तो सरकारी अधिकारी हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि यह सुपरवाइजर किस मसलहत से गैर सरकारी रखा गया है। यह कह कर कि यह तो यूनियन का सर्वेन्ट है, यह गवर्नमेंट सर्वेन्ट नहीं है, सदा दोष उस पर मढ़ दिया जाता है। यूनियन के सालाना जलसों में कई बार प्रस्ताव पास किये गये कि सुपरवाइजर सरकारी नौकर मान लिया जाय। तो यह कि यह सुपरवाइजर एक बड़े ही गरीब तबके का आदमी है, यह गांवों में घूमता है, जहां बड़े-बड़े नेता फेल हो जाते हैं वहां उसको काम करने के लिये गांव की राजनीति को हल करने के लिये भेजा जाता है। मेरे खयाल से, अपनी बुद्धि से जितना कर सकता है वह जरूर करता है, इसमें कोई शक नहीं है। और लोगों के पीछे तो गवर्नमेंट सर्विस का एक पुछल्ला लगा हुआ है लेकिन वह बेचारा यूनियन का नौकर है, जितनी भी चीजें आयेंगी, पहले

[श्री ऋषिनारायण शास्त्री]

उसका केस जायगा यूनियन में और यूनियन के फैसले के बाद ही वह उर पर लागू होता है। हम लोग यह जरूर चाहते थे कि अगर आप चाहते हैं कि वाकई सोसाइटी कायदे से काम करे और यह सरकारी चीज भी बनी रहे तो और लोगों को सरकारी अधिकारी कहने में आपको घबराहट नहीं होती तो इस सुपरवाइजर को सरकारी नौकरी कहने में क्यों घबराहट होती है ? देखिये, इसके भीतर एक ऐसा जहर भरा हुआ है जिसके कारण सोसाइटीज आगे नहीं बढ़ पाती हैं। खास बुनियादी चीज यही है। आप अगर चाहते हों कि हमारी सोसाइटीज तरक्की करें तो उसके लिये यह आवश्यक है कि यह सोसाइटी का जो मूल कार्यकर्त्ता है वह सुपरवाइजर है, उसकी तरफ आप ध्यान दें। जैसा मैंने कहा हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं जिनकी सोसाइटी यह बनी हुई है और जिस काम के लिये बनी हुई है उस काम के या तो वह माहिर हों या उसमें दिलचस्पी रखते हों, तब तो उनकी सोसाइटी बनायी जाय, यह बात जरूर थी कि पहले शुरू-शुरू में गांवों में किसानों और गरीबों को पैसे की जरूरत थी, और आज भी है। लेकिन दिक्कत क्या है ? दिक्कत तो यह है कि जिस काम के लिये कह करके बैल खरीदने के लिये गाय खरीदने के लिये या खेती का औजार खरीदने के लिये, वह पैसा लेता है और वह सब पैसा विवाह शादी में या और दूसरे कामों में खर्च कर देता है। उसका नतीजा वह होता है कि न पूंजी रह गई उसके पास न कोई दूसरा साधन है उसके पास। अगर साधन ही होता तो कर्जा लेता क्यों ? अगर आपने उसे उत्पादक ऋण दिया होता, उत्पादन के लिये दिया होता, कोई वस्तु वह उस से पैदा करता तो उसकी मूल चीज भी बची रहती और उसके लाभ से वह अपने कर्ज को भी अदा करता। लेकिन दिक्कत तो यह है कि वह चारों तरफ से कहीं पैसा पाता नहीं वह सोचता है सहकारी समिति हमारी है, उसमें हम हैं, हमारे सब मेम्बर दस्तखत कर देंगे, इस तरह से पैसा हमको मिल जायगा और मिल जाता है।

तो आप देखें कि हमारी सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि हम सोचते थे कि हम तमाम लोगों को इसी सोसाइटी के जरिये से पैसा देंगे। लेकिन यह महत्वाकांक्षा धराशायी उस हालत में हो जाती है जब मैं यह देखता हूं कि काबुली या और दूसरी तरह ऋण देने वाले जो हैं उनका कर्जा अदा हो गया। लेकिन हमारी सोसाइटीज का कर्जा आज तक जो फंसा वह कभी भी इससे अलग नहीं हो सका और पैसा भी हम बहुत कम लोगों को दे पाये। आज हमारे विशेषज्ञ जितने भी हैं चाहे वह रजिस्टार साहब हों, चाहे हमारे डिप्टी रजिस्टार साहब हों सभी आखों से इसको देख रहे हैं। हमारी बैंकिंग जो चल रही है या हमारी सोसाइटी के कारोबार जो चल रहे हैं वह बड़े गौर से देखते हैं, जांच भी करते हैं दिलचस्पी भी लेते हैं लेकिन मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि वह कर्जा क्यों नहीं अदा हो पाया ? सोसाइटीज का मुझे अनुभव है, अगर आप ईमानदारी से काम कीजिये तो पैसा आपको किसी से लेना नहीं होगा, जिन गरीब को आप यह देते हैं, वह पैसा ले कर आपके पीछे दौड़ेंगे, आपको न कोआपरेटिव बैंक की जरूरत है न किसी और बैंक की जरूरत है। वह सोसाइटी खुद अपना काम चला सकती है। वह बात सही है कि कारोबार और रोजगार के लिये रुपये की जरूरत जरूर होगी और उसके लिये आपको आर्थिक सहायतार्थ कोई न कोई चीज चाहिए। लेकिन जहां तक खेती का काम है जब मैं उधर देखता हूं तो ऐसा कुछ मुझे जान पड़ता है कि किसानों का फायदा करने के लिये हमारे जो मित्र आते हैं वह कुछ विशेष फायदा तो नहीं कर पाते बल्कि हमको उलझन में फंसा जाते हैं क्योंकि बात यह होती है कि एक ही आदमी हमसे व्यवहार करने के लिये नहीं है। हम तो एक ही हैं। हमारे पास सुपरवाइजर कोआपरेटिव का आता है, एग्रीकल्चर का सुपरवाइजर आता है, इंस्पेक्टर आते हैं, और जितने भी विभाग हैं उनके अलग-अलग अधिकारी आते हैं और हमसे बात करते हैं। हम किसान अकेले हैं। लेकिन हमसे बात करने वाले न मालूम कितने मुहकमें बने हुये हैं, सब हमसे व्यवहार करते हैं, सब हमसे डील करते हैं। आप देखें कि हमारी क्षमता क्या है। यहां तो यह कह दिया जाता है कि हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अपनी मर्जी से सुसाइटीज को चला सकें, इसलिये आपको एक मित्र दिया है, एक फिलासफर और गाइड दिया है जो आपका मार्गदर्शन करेगा। लेकिन हम बराबर उलझते ही जा रहे हैं। आप लोग

जो यहां आते हैं वे अधिकतर देहात से ही आते हैं । सब जानते हैं कि देहात के गरीब किसान की क्या स्थिति है, उसको कर्जा कहां से मिलता है । कुछ कानून ऐसे बना दिये गये हैं कि महाजन, जो उनको पहले पैसा देता था वह नहीं दे पाता है, गवर्नमेन्ट की दूसरी एजेन्सियों से भी कर्जा बहुत मुश्किल से मिलता है लेकिन सहकारिता में मेम्बर लोग उसको जानते हैं और उनके जिम्मेदारी लेने पर कर्जा मिल सकता है । लेकिन अगर वह मेम्बर यह जान ले कि मुझको पैसा देना पड़ेगा तो मेरा खयाल है कि वह पैसा बहुत समझ बूझ कर दिया जायगा । आजकल १०-२०-२५ रुपया जो गाय, बैल भैंस आदि के नाम से लिया जाता है, जिसमें कोई चीज आ ही नहीं सकती, यह उसका दुरुपयोग है । इस कर्ज को भी सोसाइटी मंजूर करती है, सुपरवाइजर और असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार मंजूर करता है, तब वह पैसा मिलता है ।

एक बात हमने बहुत गलत मान रखी है कि किसान बेवकूफ है । वह छोटी से छोटी पूंजी में जिस प्रकार से गृहस्थी चलाता है उसका हिसाब लगाने में बड़े से बड़े विशेषज्ञ भी हार जाता है । जब कोई विशेषज्ञ किसान के सामने उसको खेती के बारे में कुछ बताने जाता है, उसके सामने तो वह मान लेता है लेकिन बाद में कहता है कि यह खुद तो है यह भी नहीं जानता कि गेहूं का पौधा कौन सा है और जौ का कौन सा है, फिर हमको यह क्या शिक्षा देगा। यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट किसान को समझाने के लिये बेकार हैं । मैं तो मानता हूं कि खेती का सबसे बड़ा विशेषज्ञ किसान ही है । केवल उसके पास साधन नहीं हैं । समय पर उसको न बीज मिलता है न खाद मिलती है, न पानी मिलता है । बीसों जगहों से उसने कर्जा ले रखा है और साधन उसके परिमित हैं । इसलिये, जैसे ही उसके यहां खेत की पैदावार आती है कि कर्जा देने वाले उसके सिर पर सवार हो जाते हैं, और जल्दी में वह माकूल कीमत अपने अन्न की नहीं पा पाता, इसी कमी को दूर करने की बात हम महसूस करते हैं । और आज भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस कमी को पूरा हम नहीं कर पाये हैं । हमें यह देखना होगा कि इसमें कमी किसकी है ? क्यों हमारी समितियां आदर्श समितियां नहीं बन पायीं ? गवर्नमेन्ट के विशेषज्ञ भी यहां बैठे हैं, गवर्नमेन्ट भी हमारी है, उसकी सद्भावना और सदिच्छा है कि हम जो पैसा खर्च करते हैं उससे किसान का विकास हो, ऋण का सदुपयोग हो। दोष किसका है ? उसका भी दोष नहीं है, फ्रेंड, फिलासफर या गाइड उसके अच्छे हों तो किसान सुधर सकता है, गवर्नमेन्ट उस को पैसा देती है, हो सकता है कि वह पैसा गलत तरीके से लगता हो, लेकिन उसको रोका नहीं जाता ।

हम आज एक जगह खड़े हैं । यह सहकारी समितियां किसान के लिये, गरीबों के लिये भगवान का अवतार है और सही बात यह है वह विश्वास करते हैं कि उन में वही क्षमता है जो भगवान में है लेकिन वह बेकार हो जाता है कि जितने हम लोग सलाहकार उन किसानों के हैं, जो उनको ज्ञान देने वाले हैं, जो उनका मार्ग-दर्शन कराने वाले हैं वही अपना रास्ता भूल जाते हैं । हम स्वयं अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाते, कोई कहता है कि कानून ही गलत है और कोई दूसरी बात कहता है । हम मानते हैं कि कानून कोई गलत नहीं है और न पहले गलत था । माडल बाईलाज जो हमारी गाइडेंस के लिये हैं उनके आधार पर हम अपनी नियमावली बनाते हैं और हमें और आप को वहां देखना यह है कि वह नियमावली हमारे लिये कहां तक माकूल और मौजूं है और हम उसका उपयोग कहां तक उस कार्य के लिये कर सकते हैं जिसके लिये हमने यह समितियां बनाई हैं । अगर यह वोवर्स की सोसाइटी है तो करघा चलाना वह जानता है, कोई विशेषज्ञ उसे बताने नहीं जायगा । उसको तो पैसा, सूत या रेशम यह साधन चाहिये या जो उसका मसाला होता है वह चाहिये । जितने पैसे की जरूरत होती है वह अगर समय पर मिल जाय तो उसकी खेती या रोजगार फेल नहीं होगा । लेकिन दिक्कत यह है कि यह पैसा या कर्जा समय पर नहीं मिलता, बीज भी समय पर नहीं मिलता या ठीक से वह जमता नहीं । विशेषज्ञ बता सकते हैं कि इस बीज का जरमिनेशन ठीक है या नहीं, लेकिन सब से बड़ा विशेषज्ञ खेती करने वाला किसान स्वयं ही है वह बीज को देखकर ही बता देगा कि वह कैसा है । बाकी हम लोग तो यहां इस सदन में बैठते हैं और समझ सकते हैं कि वह छप्पर वाला किसान क्या करेगा जिस के पास साधन नहीं है । हमे इस पर विचार करने का अवसर मिला है और हम समझ सकते हैं कि इस पर सदस्यगण कितनी दिलचस्पी रखते हैं जबकि कोरम के लिये भी घंटी बजानी पड़ती है । यह सहकारिता

[श्री ऋषिनारायण शास्त्री]

किसान और गांव के लोगों के लिये कितने महत्व की चीज है इसको जानने के लिये सबको उत्सुक रहना चाहिये और उसके लिये कानून भी बहुत ध्यान से बनाने की जरूरत है क्योंकि इससे हम प्रदेश का और किसानों का बड़ा लाभ कर सकते हैं । बनने के लिये नियमावली की बड़ी भारी पोथी बन गई है और सब बातों को बताने के लिये बड़ा समय चाहिये । सुपरवाइजर हमें सिखाता है कि कैसे सोसाइटी चलायें, उस को विशेषज्ञ होना चाहिये जो नब्ज देखकर बता दे कि किस बात की जरूरत है और उसका माकूल इन्तजाम कर सके । तब हम और आप इस सहकारिता को चला सकेंगे । हमारे रजिस्ट्रार महोदय लखनऊ में बैठे हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार किसी रीजन में हैं, ए० आर साहब कहीं जिले के हेड क्वार्टर पर हैं और हमारे इन्सपेक्टर महोदय कहीं बीच में है । हमें गांव में, हमारी पंचायतों में हमें हर वक्त सलाह देने वाला सुपरवाइजर ही है, अतः इसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है । मैं कुछ बातें और कहना चाहता था, परन्तु इस विषय पर बोलने वाले हमारे बहुत से मित्र हैं । अतः इन शब्दों के साथ मैं इस सहकारिता बिल का समर्थन करता हूं ।

श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विवाद समाप्त किया जाय ।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

श्रीमान्, मैं थोड़ा सा समय चाहता हूं ।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, इस विधेयक में १३५ धारायें हैं और इसको समाप्त करने का केवल ३ दिन का समय है । अतः आप इसको समाप्त कर दें तो अच्छा है ।

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)

ो आप जैसा पसन्द करें वैसा कर लें ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

अधिष्ठाता महोदय, क्या हमको भी समय मिलेगा ?

श्री अधिष्ठाता—

समय तो आपका है ।

श्री मैनेजरसिंह—

मैं तो श्रीमन्, केवल यह जानना चाहता हूं कि मुझे समय मिलेगा अथवा नहीं ?

श्री अधिष्ठाता—

मैंने आपसे निवेदन किया । समय तो आपका है । सदन में यदि बहस चलायी जाय तो समय अवश्य मिलेगा ।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

अभी अभी कांग्रेस के एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस बिल में किसी को दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जब कोई बोलना चाहता है तो वे क्लोजर मूव कराते हैं। ऐसा मालूम होता है कि चार्ज हमारे ऊपर है और बोलना वे खुद नहीं चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

मैं यह सदन के ऊपर छोड़ देता हूं । जैसा आप लोग चाहें, वैसा कर लें ।

श्री भानुप्रतापसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, कृपया मुझे बोलने का समय दिया जाय ?

श्री अधिष्ठाता—

अच्छा आप बोल लीजिये ।

*श्री भानुप्रतापसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय भीखालाल जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का, जिसमें उन्होंने मांग की है कि इस विधेयक को, जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय, समर्थन करता हू ।

श्री अधिष्ठाता—

आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप जरा कम समय लें ?

श्री भानुप्रतापसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं केवल २ मिनट का ही समय लूंगा ।

श्रीमन्, सत्तारूढ़ दल के कहने और करने में कितना अन्तर होता है, इसका यह विधेयक एक ज्वलंत उदाहरण है । स्वर्गीय प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर हमारे सहकारिता मंत्री श्री बनारसीदास जी तक, जब वे कभी भी जनता के सामने बोलते हैं तो उन्होंने सदैव यह कहा है कि हम सहकारिता आन्दोलन को जन आन्दोलन बनाना चाहते हैं, इसको लोकतांत्रिक प्रणाली से चलाना चाहते हैं, इसको गैर-सरकारी करना चाहते हैं । इसके एक नहीं सैकड़ों उदाहरण दिये जा सकते हैं जबकि उन्होंने 'जनता के बीच में इस प्रकार के आश्वासन दिये हैं, परन्तु जब उनके कार्यान्वियन करने का समय है तो इसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं । सर्व प्रथम जब मुझे इस विधेयक को देखने का मौका मिला तो मैंने देखा कि सहकारिता के सिद्धान्तों की न तो कहीं पर परिभाषा है और न कहीं पर वह लिपिबद्ध करने का प्रयत्न किया गया है । मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन प्रसन्नता की बात यह है कि काफी बहस मुबाहिसा के पश्चात् सैलेक्ट कमेटी ने इस विधेयक में सहकारिता के सिद्धान्तों को लिपिबद्ध कर दिया है । उससे कुछ आशा हुयी थी कि संभव है कि चूंकि इसका एक सिद्धान्त निश्चित हो गया है, उस सिद्धान्त के रहते हुये यह विधेयक बने, लेकिन बाद में मुझे कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि सिद्धान्तों को लिखने के लिये माना गया है, उन पर अमल करने के लिये नहीं ।

इस विधेयक में कहा गया है कि सहकारी समितियों का संगठन लोकतंत्रीय होगा परन्तु यह कैसा लोकतंत्र है कि इस लोकतंत्र में एक राजा होगा और उस राजा का नाम रजिस्ट्रार होगा । उस रजिस्ट्रार को, जसा कि प्रारम्भ म ही माननीय भीखालाल जी ने कहा कि समितियों के जन्म से लेकर मरण तक सुव्यवस्थित अधिकार प्राप्त होंगे । कोई ताकत बची नहीं है जिसे रजिस्ट्रार के हाथ में दे न दी हो । यह संवैधानिक राजा नहीं, मध्यकालीन राजा जैसे हुआ करते थे उनसे अधिक अधिकार रजिस्ट्रार को दिये हैं । हमको यह बतलाया जाता है कि इन अधिकारों को इसलिये दिया जा रहा है ताकि सहकारी समितियों का संचालन ठीक ढंग से हो सके, उनकी नीतियां ठीक ढंग से संचालित की जा सक, उनमें कार्य-कुशलता लाई जा सके ।

किस प्रकार की नीतियां संचालित की गयी हैं उसका भी एक संक्षिप्त इतिहास मैं बतलाये देता हूं । रिजर्व बैंक का देश में रूरल क्रेडिट सर्वे हुआ था और कमेटी ने सिफारिश की थी कि छोटी-छोटी कमेटियां को न बनाया जाय बल्कि बड़ी समितियों का संगठन किया जाय जिनके पास अपना प्रबन्ध करने के लिये काफी आमदनी हों, वे वायबिल यूनिट्स बन सकें । उसकी सलाह मान कर उनको नीति में परिवर्तन हुआ और उन्होंने छोटी-छोटी समितियों को बिना उन समितियां से परामर्श किये, बिना उन सदस्यों से पूछे लार्ज साइज सोसाइटी में परिवर्तित कर दिया । कुछ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भानुप्रतापसिंह]

दिनों इस प्रकार का आन्दोलन चलता रहा । उसके बाद जब सहकारी खेती की धुन इस सरकार को सवार हुई तो यह सोचा गया कि एक-एक गांव की सोसाइटी सफल नहीं हो सकती । सहकारी खेती को स्थापित करने में बड़ी सोसाइटियां कारामद नहीं हो सकतीं । इसलिये स्वर्गीय पंडित नेहरू की सलाह पर उनकी नीति फिर से बदली और यह आदेश दिया गया कि बड़ी-बड़ी समितियों को तोड़ कर छोटी समितियों में परिवर्तित कर दिया जाय और यह काम ३, ४ वर्ष तक चलता रहा । अब शायद निराश हो गये हैं और सहकारी खेती स्थापित नहीं हो सकी । इसलिये प्रधान मंत्री नेहरू के चले जाने के कारण उन्होंने पुनः अपनी नीति बदली है और छोटी-छोटी समितियों को बड़ी समितियों में फिर गठित करने की नीति को अपनाया है । इस प्रकार हर तीसरे चौथे साल नीतियों में परिवर्तन जो लोग लाते हैं वे स्वयं अपनी बुद्धि में स्पष्ट नहीं हैं कि उनका उद्देश्य क्या है और वे वास्तव में सहकारी आन्दोलन को ठीक दिशा में ले जाने के बजाय अपने हस्तक्षेप से उसका अहित ही कर रहे हैं । उनके अन्य कार्य देखें जायं ।

सबसे बड़ा कार्य ऋण का बांटना है । इस सदन में विरोधी दल के सदस्यों ने ही नहीं, उधर के माननीय सदस्यों ने, खास कर ठाकुर फूल सिंह ने बारम्बार यह कहा है कि जितना कर्जा सहकारी समितियों द्वारा बंटता है उसमें से ८० फीसदी पेपर ट्रान्जेक्शन के जरिये, बोगस एंट्रीज के जरिये होता है । स्टैंडिंग कमेटी में मैंने प्रस्ताव रखा था इस प्रकार के बोगस ट्रान्जेक्शन को रोकने के लिये जो किसान ३ अथवा ५ वर्ष तक बराबर कर्जा लेता रहा है उसको चौथे अथवा छठे वर्ष कर्जा न दिया जाय क्योंकि जब वह ३, ४ अथवा ५ साल में अपनी माली हालत कर्ज लेकर दुरुस्त नहीं कर सका तो उसको कर्ज देना बेकार है । लेकिन विभागीय अधिकारियों ने इतना प्रबल विरोध मेरे प्रस्ताव का किया कि मंत्री जी को मानना पड़ा कि यह व्यवस्था नहीं की जा सकती है । अगर इस तरह की व्यवस्था हो जाती तो बोगस ट्रांजेक्शन बन्द हो जाते और क्रेडिट कोआपरेटिव का ढांचा पड़ा रह जाता ।

इसी सदन में सहकारिता विभाग द्वारा संचालित बीज गोदाम के बीज के बारे में कहा गया कि ८० से ९० फीसदी तक जो बीज किसानों को दिया जाता है वह मिश्रित है, निकम्मा है और किसी प्रयोग में लाने लायक नहीं है । वह ऐसा है जो किसी बनिये की दूकान से खरीदा जा सकता है। मैंने बार-बार कहा कि अगर आपको संदेह हो तो एक्सपर्टस की कमेटी बिठाइये और अगर मेरी बात गलत हो तो मैं क्षमायाचना करूंगा और यहां तक कहा कि मैं त्यागपत्र देने के लिये तैयार हूं । लेकिन इस पर भी कोई अमल नहीं हुआ । मार्केटिंग सोसाइटियों के बारे में कहा गया कि उनमें ८० से ९० फीसदी तक किसानों का माल न होकर व्यापारियों का होता है । मैं जानना चाहता हूं कि आखिर यह विभाग यदि हम कहें कि ८० से ९० फीसदी बोगस है तो क्या बुराई है ? सहकारी संगठन का उद्देश्य सदस्यों को लाभ पहुंचाने का होता है, लेकिन मैं कई उदाहरण दे सकता हूं कि सदस्यों को लाभ पहुंचाने के बजाय संगठन स्वयं खड़े रहने के लिये, पदाधिकारियों के लाभ के लिये और सरकार की शोभा बढ़ाने के लिये चलाया जा रहा है ।

श्रीमन्, आपको विदित है कि पहले तकावी के रूप में कर्जा कम सूद पर मिलता था, लेकिन सहकारी समितियों को जिन्दा रखने के लिये तकावी का सूद बढ़ाया गया और समिति से लाभ होने के बजाय जो सुविधायें सदस्यों को प्राप्त थीं वे भी छीन ली गई । खाद कृषि गोदामों से कम कीमत पर मिलती थी, लेकिन सहकारी विभाग उस कीमत पर नहीं दे पाता था इसलिये कीमत बढ़ाई गई । मेरे कहने का मतलब यह है कि किसानों को लाभ होने के बजाय सहकारी समितियों से किसी-किसी दिशा में नुकसान भी होता है ।

नियंत्रण के संबंध में कहा जाता है कि सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों का प्रबंध मंडल में होना नितांत आवश्यक है, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आपके द्वारा मनोनीत सदस्यों ने अब तक कैसा कार्य किया है । आज सहकारी विभाग को अधिकतर लोग गबन विभाग कहते हैं । अगर इन मनोनीत सदस्यों ने अपने कार्य को ठीक से निभाया होता तो गबन न हुआ होता । इस विभाग

को हराभरा रखने का वास्तविक उद्देश्य यह है कि अपने दल के उन लोगों को जो जनता द्वारा रिजेक्टेड है पनपाया जाय और यह उनके लिये चरागाह का काम देते हैं । पहले सहकारी मंत्री के सामने तर्क उपस्थित किया करता था इस आशा से कि संभव है वह अपनी नीति बदलें । लेकिन एक दिन की वार्ता के बाद मुझे पूर्ण निराशा हो गई और मैंने प्रयत्न करना छोड़ दिया । मैं सहकारी आन्दोलन की आलोचना कर रहा था कि सहकारी आन्दोलन को सरकारी नीति के कार्यान्वित करने का माध्यम न बनायें । उन्होंने सफाई दी कि मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी सरकार बनेगी तो वह अपनी नीतियों को कार्यान्वित करने के लिये जो भी साधन उपलब्ध होंगे, उनका प्रयोग करेगी । श्रीमन्, यह दृष्टिकोण का अन्तर है । मेरा विचार ऐसा है कि सरकार का अधिकार क्षेत्र सीमित होना चाहिये, परन्तु वर्तमान सरकार समझती है कि प्रत्येक क्षेत्र में उसको हस्तक्षेप करने का अधिकार है । मैं नहीं समझता हूं कि जो सहकारी समितियां सदस्यों द्वारा अपने लाभ के लिये बनायी जाती हैं, उनको सरकार अपनी नीतियों का क्यों माध्यम बनाना चाहती है ? यदि वह बुनियादी मतभेद दूर हो जाय तो मैं समझता हूं कि सहकारिता का आन्दोलन ठीक से चल सकता है । आज स्थिति यह है कि सहकारी समितियों के सदस्य स्वयं नहीं जानते कि सहकारिता क्या है, क्या उनके अधिकार हैं । वह केवल यह जानते हैं कि गोदाम से बीज मिल गया, ऋण मिल गया । उनको अधिकारों और कर्तव्यों का कोई ज्ञान नहीं है । सरकारी अधिकारी उनको उनके अधिकारों और कर्त्तव्यों को समझाने की आवश्यकता नहीं समझते । अगर किसी नियमावली में परिवर्तन करवाना है, तो मैं नहीं समझता कि यदि सदस्यों को एकत्र करके उनके हित की बात समझायी जाय तो समझ कर उस परिवर्तन को स्वयं न करें। लेकिन क्या जरूरत है समझाने बुझाने की । समझाना बुझाना तो लोकतंत्र में होता है । इन्होंने तो इतने अधिकार ले लिये हैं कि समझाने बुझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज सहकारिता आन्दोलन अगर इतना पिछड़ा हुआ है तो उसका एक मात्र कारण केवल यह है कि इन्होंने सहकारिता की शिक्षा की बिलकुल अवहेलना की है । जब लखनऊ के दफ्तर में बैठ कर सहकारी समितियों पर नियंत्रण किया जा सकता है तो कोई आवश्यकता नहीं है कि सहकारिता की शिक्षा दी जाय ।

एक बात की ओर मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूं। सहकारिता के महत्व को समझते हुये सहकारी समितियों को अधिकाधिक अनुदान दिये जा रहे हैं, लेकिन उनको हिसाब-किताब को देखने का अधिकार इस सदन की लोक लेखा समिति को नहीं हैं । इस व्यवस्था में जब तक परिवर्तन न हो तब तक यह सदन अपने कर्त्तव्यों से च्युत होगा अगर वह सहकारी संस्थाओं के लिये किसी प्रकार का अनुदान स्वीकार करे । मैंने सेलेक्ट कमेटी में प्रस्ताव दिये थे जिसके द्वारा यह व्यवस्था होती कि जो भी आडिट रिपोर्ट है वह सदन की मेज पर रखी जाय । परन्तु विभागीय अधिकारियों की परामर्श से प्रभावित हो कर सहकारिता मंत्री ने उसको मानने से इनकार कर दिया। अगर कोई सरकार अनुदान देती है या सहायता देती है, या ऋण देती है, तो उसके हिसाब किताब को वह क्यों नहीं देख सकती ? सरकार ने कम्पनियों के हिसाब किताब को देखने का अधिकार ले लिया, लेकिन सहकारी समितियों को अलग रखा गया है ।

श्रीमन्, जब कभी हम हिसाब इत्यादि देखने की बात करते हैं तो हमसे कहा जाता है कि यह तो आटोनामस बाडी हैं । इसमें कोई हाथ नहीं लगा सकता । एक तरफ आटोनामस बाडी होने की बात कही जाती है फिर उसको हम कहते हैं ठीक है, किन्तु इसे पूरी तरह आटोनामस बाडी ही बना दिया जाये । पर वह भी नहीं होता है । जब जहां कहीं इसमें अधिकार लेना होता है सरकार अपने हाथ में अधिकार ले लेती है, किसी को निकालना होता है तो सरकार उसका अधिकार लेती है । लेकिन यदि उसके हिसाब किताब को देखने की बात कहें तो आटोनामस बाडी की बात कही जाती है । इनका विभाग किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं है । न वह बोर्ड आफ मैनेजमेंट के प्रति जिम्मेदार है न सरकार के प्रति जिम्मेदार है । तो एक, सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का समूह किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं है । यदि इस तरह से सरकारी कर्मचारी और अधिकारी किसी के प्रति जिम्मेदार न हों और उन्हें मनमानी करने की छूट

[श्री भानुप्रतापसिंह]

हो तो उसका जो परिणाम हो सकता है, वही निकल रहा है । श्रीमन्, जब तक प्रजातांत्रिक ढंग से सहकारी समितियां नहीं चलाई जायंगी तब तक मैं उनको सहकारी समितियां मान नहीं सकता हूं । यह एक बुनियादी मतभेद है, जिसके कारण हमारे बनारसीदास जी कहा करते थे यहां कि भानु बाबू तो सहकारिता में विश्वास ही नहीं करते हैं । किन्तु उन्हें मालूम होना चाहिये, यदि ऐसी बात होती तो हम इस विषय की आलोचना समालोचना क्यों करते और सुझाव क्यों देते, जो गलत सही होता वह हुआ करता, मुझे इससे क्या मतलब था । किन्तु मैं इसको जनतांत्रिक ढंग से चलते देखना चाहता हूं सही तरीके से जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाते हुये आगे बढ़ते देखना चाहता हूं, क्योंकि सहकारिता में मेरा अटूट विश्वास है । मेरा यह भी कहना है कि भारत ऐसे देश में सहकारिता आन्दोलन परम आवश्यक है और इसके बिना देश का स्व वास्तविक कल्याण नहीं हो सकता है ।

श्रीमन्, इन्होंने, कुछ जो झगड़े पैदा हो जायेंगे, उसकी अपील के लिये व्यवस्था किया है । यह बात दूसरी है कि एक अवसर पर उन्हें कुछ ऐसे संशोधन मानने पड़े, जिसको शायद सरकार मानना नहीं चाहती थी । शायद उसके लिये सरकार की तरफ से फिर संशोधन आये कि इसको निकाल दिया जाय । यदि ऐसा हुआ तो वही व्यवस्था हो जाएगी कि रजिस्ट्रार या किसी सरकारी कर्मचारी के विरोध में यदि कोई अपील करना चाहे तो वह सरकार के पास ही हो सकती है और यदि आपस के झगड़े हैं, जिसमें सरकारी कर्मचारी नहीं हैं तो उसके लिये दूसरी व्यवस्था की गयी है । मैं समझता हूं कि यह आपने सरकारी कर्मचारियों की प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिये किया है । उनका निर्णय ऐसा न हो कि जो गैर-सरकारी लोग हैं । न्याय धिकरण का अपील में जाये, इसलिए यह व्यवस्था की गयी है ।

मैं अन्त में फिर एक बार पुनः सहकारिता मन्त्री जी से निवेदन चाहता हूं कि सहकारी आन्दोलन इस देश में चले तो इन सहकारी समितियों को सरकारी नीतियों को कार्यान्वित करने का माध्यम न बनाये जाने की कृपा की जाये ।

श्री बेचनराम--

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस प्रश्न पर विवाद समाप्त किया जाये ।

श्री मैनेजरसिंह--

मुझे खेद है कि जो नियम और परम्परा है, उसका पालन उस आसन से जिस पर आप विराजमान हैं, नहीं हो रहा है । मुझे यह कहने में भी खेद है कि जो माननीय सदस्य उधर बैठते हैं, जिन्हें कोई कठिनाई भी नहीं होती है । एक लाभान्वित वर्ग के बने हुये हैं इस आदरणीय सदन में । वे महसूस नहीं करते हैं हम सदस्यों की भावना को । माननीय कमलापति जी त्रिपाठी कहा करते थे ये विरोधी दल के लोग हमेशा वाक आउट किया करते हैं, किन्तु अब उन्होंने भी करके दिखा दिया है । मैं कल से लगातार बैठा हूं, किन्तु बोलने का अवसर नहीं दिया गया । आप यदि मेरी स्थिति में होते तो आप भी वही विचार प्रकट करते जो मैंने किये हैं । अतः मैंने निर्णय किया है कि जब तक आप उस आसन पर रहेंगे तब तक मैं इस सदन में नहीं बैठूंगा ।

(श्री मैनेजरसिंह ने सदन का परित्याग किया।)

श्री बनारसीदास--

मैं विरोधी दल के लोगों से एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि जो वे फैसला करें, कम से कम उसको करें । सिर्फ १३५ क्लाज हैं । तीसरा यह दिन जनरल डिस्कशन का है । कल सब लोगों ने कहा था कि आज इस पर विवाद खत्म हो जाना चाहिए ।

श्री नेकराम शर्मा--

तो इसमें एतराज कौन कर रहा है ।

श्री बनारसीदास--

तो फिर ठीक है, आपने मेरा काम सरल कर दिया।

श्री अधिष्ठाता--

यह प्रस्ताव जो माननीय बेचनराम जी ने रखा है, उसको मैं आप के समक्ष रखता हूं। प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री भगवानसहाय--

वोटिंग करायी जाय।

श्री अधिष्ठाता--

अब मैंने अपना निर्णय दे दिया है।

श्री भीखालाल--

अधिष्ठाता महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपने मत मेरे प्रस्ताव के समर्थन में दिया है और उनको भी देना चाहता हूं जिन्होंने मेरे प्रस्ताव का विरोध किया है और इस बिल के सम्बन्ध में अपने विचार रखे हैं। मेरे प्रस्ताव के विरोध में सरकारी पक्ष की ओर से पहला मुख्य भाषण कल्पनाथसिंह जी का हुआ जिन्होंने मेरे पूरे तर्कों का जवाब देने की कोशिश की। मैं उनके भाषण को बड़े गौर से सुनता रहा। मुझे यह महसूस हुआ कि वे अपनी जगह पर ऐसे कन्फ्यूज्ड हैं कि वह कहना कुछ चाहते हैं कह कुछ रहे हैं, या जो कहना चाहते हैं वह कह नहीं पा रहे हैं। कहना तो अल्लाह चाहते हैं, लेकिन मुंह से राम निकल रहा है। कुछ मजबूरी उनकी थी। उनकी दलीलें इतनी लचर थीं कि जो तर्क मैंने रखे थे, उनमें से एक का भी जवाब नहीं दे पाये। मैं विस्तार में न जाकर केवल एक बात की ओर संकेत करना चाहता हूं। मैंने एक बात पर बहुत जोर दिया था कि समितियों के जरिये से सदस्यों को जबरदस्ती काट कर खाद दी जाती है। उन्होंने इसको दूसरे तरीके से मोड़कर कहा कि खेती के लिए खाद देना जरूरी है। कौन इनसे इन्कार करता है। सवाल यह नहीं है। सवाल तो यह है कि अगर कोई किसान बैल के लिए २ सौ रुपया मांगता है तो उस से कहा जाता है कि तुम १८० नकद लो और २० रु० की खाद लो। इसका मैं विरोध करता हूं।

श्री बनारसीदास--

विधेयक से आपको इस बात का क्या वास्ता है?

श्री भीखालाल--

इस तरह से है कि आप समितियां बनायेंगे और वह रुपया देंगी इस कार्य के लिए भी।

श्री बनारसीदास--

इसका इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री भीखालाल--

मान्यवर, मैंने अपना तर्क इस विधेयक के सम्बन्ध में सरकारी हस्तक्षेप के विरोध में रखा था। मैंने यह कहा था कि रजिस्ट्रार की मर्जी से समिति पैदा हो सकती है, उसकी मर्जी पर मर सकती है। माननीय कृष्णानन्द राय ने कहा कि आप कैसे कहते हैं कि रजिस्ट्रार को अधिकार न दिये जायं। लेकिन साथ ही साथ दूसरे शब्दों में कहा कि रजिस्ट्रार पर कुछ अंकुश भी होना चाहिए, क्योंकि उसमें वे स्वयं भुक्तभोगी थे। वे कह रहे थे कि रजिस्ट्रार के कार्यालय में जो दरख्वास्तें दी जाती हैं वह बरसों पड़ी रहती हैं और उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। उन्होंने एक संशोधन जो प्रवर समिति ने स्वीकार किया है उसकी ओर मैंने ध्यान आकर्षित किया कि अगर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई दरख्वास्त रजिस्ट्रार को दी जाती है और वह

[श्री भीखालाल]

२ महीने तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करता है और इसी प्रकार की कोई दूसरी सोसाइटी रजिस्टर्ड हो चुकी है तो वह सोसाइटी रजिस्टर्ड समझी जायगी। इस संशोधन का समर्थन में भी करता हूं और कृष्णानन्द राय जी भी इस संशोधन को उचित समझते हैं और स्वागत करते हैं। मैं चाहता हूं कि कृष्णानन्द राय जी अपने संशोधन पर जमे रहें।

मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि जहां पर सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो वहां पर जरा भी सरकार का हस्तक्षेप न हो, लेकिन जो हस्तक्षेप अवान्छनीय हो उसका मैं सख्त विरोधी हूं। उसके सुचारुरूप से चलाने में और उसमें गलत परम्पराओं को रोकने के लिए सरकारी नियन्त्रण होना चाहिए, लेकिन जो अवांछनीय अधिकार रजिस्ट्रार या सरकार को दिये गये हैं कि रजिस्ट्रार चाहे तो किसी सोसाइटी को दो टुकड़ों में बांट दे या जब रजिस्ट्रार चाहे तो दो सोसाइटियों को एक में कर दे, इस प्रकार के अधिकार जो रजिस्ट्रार को दिये गये हैं मैं उसका सख्त विरोध करता हूं। माननीय कृष्णानन्द राय जी ने कहा कि अगर हमारा सहकारी आन्दोलन इस योग्य हो जाय कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें, हमारा सहकारी आन्दोलन इस तरह का हो जाय कि अपना सब कार्य सम्पादन कर सके, अपनी पूंजी को इकट्ठा कर सके, तो इस बिल को फाड़ कर फेंक दिया जाय। मेरा निवेदन है कि पुराने अधिनियम में जो भी बड़ी सोसाइटी थी। उसके चेयरमैन जिलाधीश थे। इसमें प्राइवेट आदमी को चेयरमैन बनाने का अधिकार देते हैं। इस बिल के जरिये से अधिकार इसलिए दिया जा रहा है कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें तो इस ऐक्ट को आप इस लायक बनायें कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। जब सरकार उनको अपने पैरों पर खड़े होने का मौका देगी तभी तो वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी। जब उनको अवसर ही नहीं दिया जायगा तो वे खड़ी कैसे होंगी। लिहाजा यह दलील देना कि वे इस लायक नहीं हैं कि अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, इसलिए उन पर सरकारी नियन्त्रण बहुत जरूरी है, मैं इससे सहमत नहीं हूं, और मानने के लिए तैयार नहीं हूं। यह दलील उसी प्रकार की है जो अंग्रेज दिया करते थे कि हमारा देश स्वतन्त्रता के योग्य नहीं है, शासन भार को संभाल नहीं सकता। इसलिए इसको आजादी न दी जाय। इस वास्ते जो सरकार का अवांछनीय हस्तक्षेप है उसका मैं सख्त विरोधी हूं।

मान्यवर, छोटी-मोटी बात यहां पर बहुत सी उठायी गयीं। वे बहुत तर्कसंगत नहीं थीं। एक बात यहां पर माननीय गंगवार जी ने कही, कृषि सहकारी समिति के सम्बन्ध में। इस सम्बन्ध में मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि उनकी पार्टी सहकारी आन्दोलन की समर्थक है। यह उनके घोषणा-पत्र में लिखा है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह सहकारी खेती के विरोधी हैं और यह भी उन के घोषणा-पत्र में लिखा है। यदि उनके घोषणा-पत्र में जो कुछ लिखा है, तो उसके मुताबिक ही उनको अपनी बात यहां पर कहनी चाहिए। इससे मुझे विरोध नहीं है लेकिन जिस सिद्धान्त की बात को लेकर उन्होंने यह बात कही कि सहकारी खेती आज हमारे देश और प्रदेश के लिए उपयोगी नहीं है इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और माननीय कृष्णानन्द राय जी ने अपने भाषण में बहुत विस्तार के साथ इस बात को कहा है कि दुनिया में यह सर्व विदित और सर्वमान्य हो चुका है कि सहकारी खेती की प्रणाली किसानों के आर्थिक ढांचे को मजबूत करती है, उन की पैदावार को बढ़ाती है। यदि कोई आदमी इस से इन्कार करता है तो वह सत्य से मुंह मोड़ता है। यह क्यों जरूरी है इसके विस्तार में नहीं जाता, लेकिन इसका विरोध क्यों है इस के दो पहलू हैं। हमारे प्रदेश में जैसा कृषि का ढांचा है उसमें हमारे प्रदेश में ७० फी सदी किसानों के पास एक बटा तीन कृषि योग्य भूमि है और ३० फी सदी किसानों के पास दो तिहाई जमीन है। प्रदेश की जो बड़ी भारी श्रम शक्ति ७० प्रतिशत है, उसके पास केवल एक तिहाई भूमि है। अब प्रश्न यह उठता है कि जिनके पास थोड़ी जमीन है वह अपने श्रम को कहां पर लगायें? किस प्रकार से खेती की पैदावार बढ़े? इसलिए इस के लिए कोई और उपाय नहीं है सिवाय सहकारी खेती के। अगर सहकारी खेती के जरिये से छोटा किसान और बड़ा किसान

एक जगह पर शामिल हो कर खेती करेंगे तो बड़ा किसान का खेत होगा और उस में छोटा किसान मेहनत करेगा, उसके अनुसार उसे हिस्सा मिलेगा। अभी छोटा किसान मजदूरी करता है, बड़ा किसान अपने खेत में जो कुछ पैदा करवाता है उस में छोटे किसान को कोई दिलचस्पी नहीं होती कि उसकी पैदावार बढ़े? बड़े किसान को इस बात की फिकर नहीं होती कि मजदूर का पेट भरता है या नहीं या उसको उचित मजदूरी मिलती है या नहीं। वह उसकी मजदूरी का शोषण करता है और मजदूर को उसकी पैदावार से कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर दोनों एक साथ मिल कर काम करेंगे तो छोटा किसना उसमें अपना श्रम लगायेगा उसे पैदावार बढ़ाने में दिलचस्पी होगी और उसको उसमें उसका हिस्सा मिलेगा। बड़ा किसान आज भयभीत है कि यह सहकारी खेती हो जाने से वह श्रमिक का शोषण नहीं कर सकेगा। इसलिए आज बड़ा व धनी किसान कोआपरेटिव फार्मिंग का विरोध करते हैं।

इसलिए जो व्यक्ति जो वर्ग या जो पार्टी सहकारी खेती का विरोध करती है उसका हित बड़े किसानों के हित के साथ जुड़ा है।

दूसरा पहलू यह है कि सहकारिता आन्दोलन हमारे प्रदेश के ७५ फी सदी किसानों में फैलने जा रहा है। अगर इसमें से सहकारी खेती को निकाल दिया जाय तो मुख्य तथा केवल कर्जा देने का काम बच जायगा। जिस काम से किसान का आर्थिक ढांचा मजबूत बने वह काम ही इस आन्दोलन से निकाल लिया जायगा अगर सहकारी खेती न करायी गयी। इसलिए जो लोग सहकारी खेती का विरोध करते हैं वे किसान का आर्थिक ढांचा मजबूत नहीं करना चाहते। वह यह भी जानते हैं कि सहकारिता आन्दोलन के द्वारा सरकार किसानों की आर्थिक आवश्यकता को सौ फी सदी पूरा नहीं कर सकती और इसलिए वह महाजन के पास कर्जा लेने के लिए जायगा और महाजन उनका सूद के द्वारा शोषण करेगा। इस लिए आज महाजन सहकारी खेती का विरोध करता है और जो व्यक्ति या जो वर्ग या जो पार्टी सहकारी खेती का विरोध करती है उसका हित महाजनों व सूदखोरों के हित से जुड़ा हुआ है। अतएव, सहकारी खेती प्रदेश के लिए जरूरी है। मैं मन्त्री जी को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि उन्होंने इसका प्राविजन इस विधेयक में रखा है लेकिन इस हेतु जनमत संग्रह आवश्यक है। इसके समर्थन में मैं अपने तर्क दोहराना नहीं चाहता, बहुत से पहलू हैं जिनकी बिना पर यह आवश्यक है कि जनमत इकट्ठा किया जाय अतएव मेरा प्रस्ताव है कि इस पर जनमत जानने के लिए इसे तीन माह के लिए परिचालित किया जाय।

*श्री बनारसीदास—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रवर समिति की रिपोर्ट पर माननीय १७ सदस्यों ने भाग लिया, लेकिन भीखालाल जी और कमलासिंह जी के प्रस्ताव को मुझे देख कर आश्चर्य हुआ। भीखालाल जी ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी में १६ दिन अपने सुझाव देते रहे उसके बाद भी यहां कहते हैं कि इसे जनता का मत जानने के लिए भेजा जाय।

प्रवर समिति की रिपोर्ट इस सदन के अन्दर इसी विधेयक के सम्बन्ध में अगस्त, १९६१ में पेश की गयी थी और आज भी इस सदन के अन्दर वह माननीय सदस्य उपस्थित हैं जो उस माननीय प्रवर समिति के सदस्य थे। कुंवर श्रीपालसिंह, श्री रूमसिंह, कम्युनिस्ट पार्टी के तेज बहादुर सिंह थे और बहुत से सदस्य थे। वह रिपोर्ट आपके सामने पेश हुई और इस प्रदेश के जितने भी कोआपरेटर्स हैं, जितने जिला सहकारी बैंक, प्रदेशीय स्तर की समितियां, मार्केटिंग सोसाइटीज के प्रतिनिधि सब का सम्मेलन हमने बुलाया और सब का मत हमने मालूम किया। जितने भी सहकारी बैंक थे उन सब के भी सुझाव हमारे सामने आये। अगर वह कोआपरेटिव का जनमत नहीं है तो कौन से जनमत में प्रसारण करने के लिए माननीय भीखा लाल जी इस प्रस्ताव को भेजना चाहते हैं। अब तक शिकायत यह थी कि कोआपरेटिव विधेयक, १९१२ का अब तक चल रहा है, ये विधेयक लाना नहीं चाहते। एक तरफ शिकायत यह है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बनारसीदास]

कि रजिस्ट्रार यहां के यू० पी० कोआपरेटिव फेडरेशन, कोआपरेटिव यूनियन, यहां की बैंक के अध्यक्ष हैं। जिला मैजिस्ट्रेट सहकारी बैंकों के अध्यक्ष हैं। एक तरफ तो यह कहना चाहते हैं कि आफिशियलाइजेशन है, इसको खत्म करना नहीं चाहते, लेकिन मुझे लगता यह है कि माननीय भीखालाल जी और कमलासिंह जी प्रत्यक्ष-रूप से चाहते हैं कि रजिस्ट्रार अध्यक्ष बने रहें, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अध्यक्ष बने रहें। वह उनके कार्य में और एक्सटेंशन देना चाहते हैं। वह नहीं चाहते कि डि-आफिशियालाइजेशन की प्रगति किसी प्रकार से तेज की जाय।

मैं बड़ा आभारी हूं कि भीखालाल जी और भानुप्रताप जी का। उन्होंने बड़ी दिलचस्पी ली और बहुत मेहनत के साथ सुझाव दिये। और मैं कह सकता हूं कि भीखालाल जी के ज्यादातर सुझावों को मैंने स्वीकार किया। भानुप्रतापसिंह जी के ज्यादातर सुझावों को मैंने स्वीकार किया। खास इस वक्त आपत्ति यह है, जैसा कि भीखा लालजी ने कहा कि यह सहकारिता विधेयक जो आया है यह सहकारिता का आन्दोलन है या सरकार की नीति है? तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो ऐसी बात है कि कोई यह प्रश्न पैदा करे कि शरीर जरूरी है या आत्मा जरूरी है? तो मैं कहूंगा कि वह शरीर भी बेकार है जिसके अन्दर आत्मा न हो। कोई दुनिया के अन्दर बिना नीति के चल नहीं सकता। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कोई आन्दोलन हो बिना नीति के नहीं चल सकता। फिर नीति का संचालन कौन करेगा? नीति का नेतृत्व कौन करेगा? जो नेतृत्व करने के योग्य व्यक्ति होंगे, वहीं करेंगे और जो लोग जनता का विश्वास प्राप्त करके गवर्नमेंट के अन्दर आयेंगे, उनका भी कर्त्तव्य होगा कि जिस तरह से वह आर्थिक नीति का निर्णय करते हैं, और नीतियों का निर्णय करते हैं अपने विवेक के मुताबिक, वह समय-समय पर कोआपरेटिव के सम्बन्ध में भी नीति का निर्धारण करेंगे। एक लक्ष्य को लेकर, नीति को लेकर कोई संस्था बनती है। लक्ष्य के साथ नीति भी होती है। वह यह है कि डेमोक्रैटिक तरीके से जन तन्त्रीय प्रणाली से हमारे देश के आर्थिक जीवन का एक संगठन किया जाय। और गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती अगर वह समय-समय पर उस नीति का प्रतिपादन न करे। यह कहा गया कि चूंकि गवर्नमेंट अपनी नीति चलाना चाहती है, इसलिए भानुप्रताप जी के शब्दों में यह एक मध्यकालीन युग के राजा का प्रादुर्भाव किया गया। मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि क्या कोआपरेटिव का आन्दोलन चलाने के लिए किसी कानून की जरूरत है या नहीं? कोआपरेटिव का आन्दोलन चलाने के लिए किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत है या नहीं? अगर कानून की जरूरत है, रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, तो क्या रजिस्ट्रेशन के लिये रजिस्ट्रार की जरूरत है या नहीं? अगर रजिस्ट्रेशन जरूरी है तो रजिस्ट्रार ही तो रजिस्टर करेगा। इसका तो काम वही होगा जैसे कि डाकखाने में रजिस्ट्री आती है, क्लर्क उसकी रजिस्ट्री कर देता है। यहां रजिस्ट्रार तो यह देखेगा कि जिस सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होना है वह कोई पागल लोगों की संस्था तो नहीं है, माइनर लोगों की तो नहीं है, उसका एरिया क्या है, काम क्या है, वह सब नियमों के अनुकूल है या नहीं। वह कोई निरंकुश शासक थोड़ी होगा।

गोरखपुर के राजकीय उर्वरक कारखाने के प्रदर्शनकारियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ व ५३ के अन्तर्गत सूचनायें (क्रमागत)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं एक जानकारी चाहता हूं। आज सबेरे गोरखपुर गोली काण्ड के सम्बन्ध में जो कामरोको प्रस्ताव स्वीकार हुआ था उसके सम्बन्ध में यह तय हुआ था कि आज ४ बजे यह जानकारी दी जायगी कि वह आज लिया जायेगा या कल लिया जायेगा। अभी तक उसकी कोई सूचना नहीं मिली है।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने पता लगाने का प्रयास किया था। पता यह चला है कि वह प्रस्ताव कल लिया जायेगा। कल ४ बजे वह प्रस्तुत होगा।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४ (क्रमागत)

श्री बनारसीदास—

मैं यह कह रहा था कि क्या माननीय भीखालाल जी और अन्य विरोधी दल के माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि सहकारी आन्दोलन के लिए किसी रजिस्ट्रेशन आदि की जरूरत नहीं है? जो व्यक्ति चाहे अपनी मर्जी से अपनी किसी भी सोसाइटी का नाम सहकारी समिति रख लें? मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर रजिस्ट्रेशन की जरूरत है तो उस के लिए कुछ कन्डीशन्स का होना भी जरूरी है। उसकी कुछ शर्तें भी होंगी। अगर कोई प्रार्थना-पत्र नियमों के अनुसार होगा, तभी तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा। उसमें देखा जायेगा कि वह धारा ४ के अनुसार सहकारिता की परिभाषा में आता भी है या नहीं। जो और प्रस्तावित नियम हैं उनके अनुसार है भी या नहीं। साथ ही जो प्रस्तावित सोसाइटी हैं वह नियमों की पूर्ति करती भी है या नहीं। फिर क्या ऐसी सोसाइटी नहीं हो सकती जिन्हें खारिज करने की जरूरत आ पड़े? मान लीजिये अगर कोई अवांछनीय लोगों की सोसाइटी है, शराबियों की सोसाइटी है, तो क्या उसको खारिज नहीं होना चाहिए?

कहा गया कि संशोधन नहीं हो सकता बिना रजिस्ट्रार की अनुमति के। धारा १२ के अन्तर्गत कोई आदमी ऐसा संशोधन कर दे जो विधान के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ हो, तो क्या उसको करने की इजाजत दे दी जाय? उसको कौन देखेगा कि वह नियमों के अन्तर्गत है या नहीं? आखिर मैं पूछता हूं कि हाईकोर्ट के जज हैं, किसी कानून का इन्टर-प्रीटेशन करने का उनको अधिकार रहता है या नहीं? तो रजिस्ट्रार भी जो होगा वह देखेगा कि कोई चीज नियमों के अनुकूल है या नहीं, यह हमारे इस अधिनियम के अनुकूल है या नहीं। उन अमेन्डमेंट्स को रजिस्टर करने की जरूरत है या नहीं।

कहा गया कि रजिस्ट्रार रिमूव कर सकता है। रजिस्ट्रार के रिमूवल की पावर दिखाई गई। एक तरफ तो भानुप्रतापसिंह जी यह कहते हैं कि कोआपरेशन के माने करप्शन की सोसाइटी। एक आदमी कन्विक्टेड है, एक आदमी नैतिक अपराध के अन्दर जुर्म करता है या वह मान लीजिये कि वह कोढ़ी हो गया है। तो उसमें लिखा है कि सोसाइटी को कहा जाय कि वह रिमूव करे। अब आप ही बताइये हम किसी को अधिकार दें या न दें रिमूव करने के लिये? (व्यवधान) करप्शन करने के लिये क्या सुविधा दे दी जाय? क्या आप यह चाहते हैं कि कोई व्यक्ति नियन्त्रण के अन्दर इस तरह की व्यवस्था न करे?

यह कहा गया कि रजिस्ट्रार वाईन्ड अप कर सकता है। क्या रजिस्ट्रार किसी तानाशाही तरीके से वाईन्ड अप करायेगा? मैं पूछना चाहता हूं श्री भीखालाल जी से कि जब वाईन्ड-अप का क्लाज रक्खें तो उसमें क्या प्राविधान किया जायेगा। उसमें प्राविधान है कि यदि निश्चित संख्या से कम हो जाय यदि कोई व्यक्ति डिफन्वट हो गया हो तो रजिस्ट्रार उसको वाईन्डअप कर सकता है। यह वाईन्डअप करने की जरूरत है या नहीं? जैसा हमारे यहां आडिट के मुताबिक क्लासिफिकेशन होता है, जहां पर कोई काम करने वाला नहीं तो क्या वहां वाईडअप न हो? क्या रजिस्ट्रार इसकी जिम्मेदारी न ले? अगर सोसाइटी वाइन्डअप होगी या अराजकता की स्थिति रहेगी तो ऐसी हालत में कोई व्यक्ति उसको संभालने के लिये मुकर्रर होगा या नहीं। जैसा कि मार्क्स ने कहा है "दि स्टेट विल विदर अवे" एक स्टेज ऐसी आयेगी कि जब कि स्टेट का विलीनीकरण हो जायेगा। तो शायद उसी विलीनीकरण के आदर्श को माननीय भीखालाल जी इस विधेयक के अन्दर देखना चाहते हैं कि जहां पर कोई परस्पर विरोधी हित नहीं होगा, कोई आदमी भूल नहीं करेगा तो वहां कोई नियंत्रण की जरूरत नहीं होगी। यह कहना कि रजिस्ट्रार जनक है, रजिस्ट्रार उसका पालन

[श्री बनारसीदास]

पोषण करने वाला है, रजिस्ट्रार उसकी मृत्यु का प्राप्त कराने वाला है, रजिस्ट्रार उसको अमेंड कराने वाला है तो यह उसकी बात देखें। तो अलंकार की भाषा के अन्दर केवल विरोध के लिये एक कविता आ जाती है। मैं पूछना चाहता हूं, ठाकुर फूलसिंह जी से, जैसा उन्होंने जिक्र किया कि तमाम हिन्दुस्तान में विचारों का एक जगह विनिमय हुआ, एक माडल बिल बना। मैं पूछना चाहता हूं कि माडल बिल जिसके आधार पर यह सारा विधेयक बनाया गया है, यह हमारा विधेयक उससे बेहतर है या नहीं। जो रजिस्ट्रार को पावर इसके अन्दर प्रस्तावित है माडल बाईलाज से ज्यादा पावर दी गई हैं या कम दी गई हैं। आप बतायें कि हिन्दुस्तान के अन्दर जितने कानून बने हैं, मध्य प्रदेश में, बंगाल में, मद्रास में, आंध्र में, मैसूर में और कुछ ऐसे राज्य हैं, जहां अमेंडमेंट में बाईलाज की पावर कम है। आप यह कहते हैं कि क्या यह कोआपरेटिव सोसाइटी होगी जिसका कि रजिस्ट्रार यह हुक्म दे सकता है कि सोसाइटी के विधान के अन्दर संशोधन कर दिया जाय। सोसाइटी को इस बात के लिये मजबूर किया जाय, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज भी ऐसी सोसाइटीज हैं जिनमें प्रिफेरेंस शेयरहोल्डर्स हैं और प्रिफेरेंस शेयरहोल्डर्स में और जगह काफी भय होता है, वह संशोधन करने के लिये तैयार नहीं। तो जिस डेमोक्रेसी को आप लाना चाहते हैं, पहले थोड़े सदस्य थे, उसका प्रसार हो रहा है तो क्या आप यह बतायेंगे कि अमेंडमेंट करने के लिये बाध्य किया जाय या नहीं ? हमारे प्रदेश के अन्दर यू० पी० कोआपरेटिव बैंक था, उसकी पूंजी निश्चित थी। हमने इस बात का प्रयत्न किया कि उसकी पूंजी बढ़ायी जाय ताकि इस बढ़ते हुए सहकारी आन्दोलन की पूर्ति की जा सके। तो जब यू० पी० कोआपरेटिव बैंक संशोधन नहीं कर सका, जनरल मीटिंग बुलाना असंभव हो गया तो यू० पी० कोआपरेटिव बैंक की पूंजी बढ़ाने की जरूरत थी कि नहीं थी ? ऐसी स्थिति के अन्दर यह अमेंडमेंट लाना पड़ा। जैसे कि कोई सोसाइटी स्वयं अमेंडमेंट न कर सके तो रजिस्ट्रार उसे नोटिस देगा कि जनरल मीटिंग बुलाकर वह अमेंडमेंट कर ले, फिर भी वह अमेंडमेंट न कर सके तो वह स्वयं अमेंडमेंट कर लेगा, लेकिन उसके लिये सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। यह भी केवल हमारे इस प्रदेश के अन्दर है कि वह सरकार से अनुमति लेकर स्वयं संशोधन कर देगा। तो आप बतलायें कि क्या यह कहना अनडेमोक्रेटिक है कि वह संशोधन रजिस्ट्रार कर देगा। मैं समझता हूं कि कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से डेमोक्रेसी की बात कह कर वहां अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, जैसे कि कोआपरेटिव आन्दोलन को चलाने का पट्टा जिन्दगी का उन्हीं को लिख दिया गया है। क्या आप चाहते हैं कि थोड़े से लोग कोआपरेटिव के अन्दर अपनी मानोपाली जमा कर बैठ जायं और क्या आप नहीं चाहते हैं कि कोआपरेटिव आन्दोलन को जन आन्दोलन बनाया जाय, आप मेहरबानी करके बतलायें कि ऐसी स्थिति में जबकि सहकारी बैंक बनता है, जहां ढाई सौ या डेढ़ सौ प्रिफरेंस शेयरहोल्डर होते हैं, क्या वहां उन्हीं की मानोपाली बनी रहने दी जाय और सहकारी बैंक न कायम रखे जायं ? अमेंडमेंट बिना उनकी स्वीकृति के हो नहीं सकता, तो फिर अमेंड किया जाय कि नहीं किया जाय। आप बतलावें कि यह परिभाषा जो डेमोक्रेसी की माननीय भानुप्रतापसिंह ने की उससे तो यह जाहिर होता है कि जो मालदार जमींदार और महाजन लोग शेयरहोल्डर के रूप में उन पर अधिकार किये हुए हैं वे डेमोक्रेसी के नाम पर वहां बने रहना चाहते हैं।

फिर यह कहा गया कि एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को सूझ पड़ा कि रूरल सर्वे कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार एल०एस०एस० बने, बड़ी सोसाइटीज बनें, फिर कहा गया कि सहकारी खेती करने के लिये सोसाइटीज बनें। इसका नतीजा यह है कि कभी आप कुछ सोसाइटीज बनाते हैं तो कुछ सोसाइटीज को तोड़ते हैं और इस तरह से सरकार अपनी मर्जी के मुताबिक जब जो चाहती है, करती है। आज हम जिस जमाने में चल रहे हैं, इस तरह की बात वही व्यक्ति कर सकता है जो यह यकीन करता है कि अब प्रगति नहीं हो सकती है। कोई तजुर्बा नहीं हो सकता है। तो सहयोगी जगत के अन्दर केवल पंडित जवाहर लाल नेहरू का ही यह मत नहीं था बल्कि तमाम सहकारी आन्दोलन का जो संगठन है, उन सब

का मत है कि सारी चीजें कोआपरेटिव सोसाइटीज के अन्दर आ जायं। जब एल० एस० एस० या बड़ी सोसाइटीज आयीं तो उनसे और समस्यायें पैदा हुईं। इसलिये सहयोगी आन्दोलन को प्रोत्साहन देने को दृष्टि से नहीं, बल्कि डेमोक्रेसी के उसूलों को उसमें लागू करने के लिये सोसाइटीज चाहे बड़ी हों या छोटी हों, करीब डेढ़ लाख उसका टर्न ओवर है। इसलिये यह कहना कि इसमें जबरदस्ती करने के लिये धारा १२५ और १२६ में प्राविजन किया गया है और सोसाइटीज के अमलगमेशन की बात की गई है, उचित नहीं।

आप सोचें कि कोई सोसाइटी डिफंक्ट हो जाय तो क्या उसे यों ही रहने दिया जाय? सारे उत्तर प्रदेश का सर्वेक्षण होने से मालूम हुआ है कि करीब ३३ प्रतिशत सोसाइटीज डिफंक्ट हैं, तो आप बतलाये कि कहीं उनका अमलगमेशन करना जरूरी है कि नहीं? यह नहीं है कि रजिस्ट्रार स्वयं अमलगमेट करेगा, पहले वह जेनरल मीटिंग का मौका देगा कि अमलगमेशन किया जाय। हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के अन्दर सोसाइटीज काम करें और उनमें पूरे समय के लिये आदमी रख सकें, तो इस प्रदेश के अन्दर करीब २८ हजार ऐसी सोसाइटीज होगी। इसलिये एल०एस० एस० को तोड़ने की जरूरत पड़ी और उनको और सोसाइटीज में मिलाने की जरूरत पड़ी। अगर आप सहकारी आन्दोलन को मजबूत बनाना चाहते हैं, जन आन्दोलन को मजबूत बनाने चाहते हैं तो उसके लिये आवश्यक है कि रजिस्ट्रार को अमलगमेशन का अधिकार दें। रिवीजन का आदेश दें तो क्या यह मध्यकालीन युग के किसी बादशाह का आदेश है और उसके लिए भी मैंने यह कहा कि सरकार के यहां उसकी अपील है। माननीय रामसुन्दर जी कह रहे थे कि रजिस्ट्रार के फैसले की कोई अपील नहीं है। इस विधेयक के अन्दर वह देखें अपील का प्राविजन दिया हुआ है। रजिस्ट्रार का कोई फैसला ऐसा नहीं है कि जिसके खिलाफ अपील ट्रिब्यूनल के अन्दर या सरकार के अन्दर न हो सके। रामसुन्दर जी कह रहे थे कि कम से कम गवर्नमेंट के पास तो उसकी अपील हो, तो रजिस्ट्रार के फैसले की अपील गवर्नमेंट के पास होगी और ट्रिब्यूनल के अन्दर होगी। तो रजिस्ट्रार कोई ऐसा नहीं है कि निरंकुश शासक हो।

इस बात की बड़ी चर्चा की माननीय रामसुन्दर जी ने और भानुप्रताप जी ने और कहा कि रजिस्ट्रार तो आई०ए०एस० होगा जबकि रजिस्ट्रार वह व्यक्ति होना चाहिये कि जो रजिस्ट्रेशन में और कोआपरेटिव आन्दोलन के सिद्धांतों में यकीन रखता हो। तो आप क्या चाहते हैं? कानून जो बनता है उसके अन्दर आप पूरी उसकी विशद व्याख्या करेंगे, उसको पूरा पुराण बनायेंगे। धारा १२ (३) के अन्दर यह लिखा है कि सरकार एक रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेगी। सरकार आपके प्रति उत्तरदायी है। तो हम ऐसे व्यक्ति को रजिस्ट्रार बनायेंगे जिसको कि हम समझते हैं कि वह कोआपरेशन की भावना को समझता है, जो कि कोआपरेटिव आन्दोलन को दिशा दिखला सकता है और जो कोआपरेटिव आन्दोलन का संचालन कर सकता है। अगर इस प्रकार का कोई रजिस्ट्रार अपने कर्त्तव्यों के अन्दर विफल पाया जायगा तो यह अधिकार है हमको कि हम दूसरा रजिट्रार बनायेंगे। लेकिन यह आप बतलाइए माननीय रामसुन्दर जी चाहते क्या है, रजिस्ट्रार से उनका मतलब क्या है, किसको बनायें? आई०ए० एस० को नहीं बनायें तो भानुप्रताप जी का क्या विचार है। अगर हम गैरसरकारी लोगों को बनाते हैं तो वह कहेंगे कि हारे हुए लोगों का एक असाइलम हम बना रहे हैं, चाहे वह कितने ही योग्य व्यक्ति क्यों न हों? हम अपनी मर्जी का रजिस्ट्रार बनाना चाहें तो यही कहा जायगा कि हम राजनीतिक कारणों के लिए ऐसा कर रहे हैं और हम एक राजनीतिक शरणागार बना रहे हैं और अगर आई०ए० एस० बनाते हैं तो आप कहते हैं कि वह तो सर्वशक्ति सम्पन्न, सर्वगुणसम्पन्न है, वह तो पढ़ा-लिखा आदमी है इसलिए वह कोआपरेटिव से संबंध नहीं रखता है। तो श्रीमन्, यह तो कोई तर्क नहीं है। यह तो जिसको कहते हैं रिडिकुलस एन्ड तक ले जाना, बाल की खाल खींचना, उस तरह की बात है। आज नैयर साहब हैं। आई० सी० एस० थे। उनके लिए यह कहा जाय कि कोई उनके दिमाग का सन्तुलन चला गया या कोई उनकी योग्यता में फर्क हो गया तो यह बात तो मानी नहीं जा सकती (व्यवधान)। माधव-

[श्री बनारसीदास]

प्रसाद जी का तजुर्बा होगा । बहरहाल जब उनके अन्दर इतनी शक्ति है कि हमारे प्रभाव से असन्तुलित व्यक्ति को भी वह ठीक कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि मुझे कोई खतरा नहीं है ।

मैं यह अर्ज करूंगा कि आखिर रजिस्ट्रार की कोई परिभाषा आप करना चाहते हैं ? मैं यह कह सकता हूं जितने माननीय सदस्य थे १६ दिन तक विवाद किया उन्होंने । लेकिन किसी ने भी मुझे कोई संशोधन ऐसा लिखकर नहीं दिया जिसमें कि रजिस्ट्रार की ऐसी व्याख्या की हो जो कि पूरे तरीके से उनके दिमाग की तस्वीर व्यक्त करती हो । आप अगर यह चाहते हैं कि रजिस्ट्रार कोई गैर सरकारी व्यक्ति हो तो गैर सरकारी व्यक्ति के लिए क्या सीमा आप लगायेंगे ? क्या कोई निर्वाचित व्यक्ति हों ? अगर हम ऐसे किसी व्यक्ति को रखते हैं तो आपको यह शिकायत नहीं होगी कि हम अपनी नीति का प्रतिपादन कर रहे हैं ? फिर उसमें यह भी है कि क्या जो आदमी जीत कर के आता है उसी आदमी के अन्दर गुण होते हैं और जो जीतकर नहीं आते, या जो चुनाव में भाग नहीं लेते उनके अन्दर कोई योग्यता नहीं होती ? तो आप रजिस्ट्रार की क्या योग्यता रखना चाहते हैं ? श्रीमन्, इस विधेयक के संबंध में कहा गया कि कदम-कदम पर सरकारी नियंत्रण होगा । बड़ी दुहाई दी गई कि कोआपरेटिव सिद्धांत यह कहता है कि एक व्यक्ति एक वोट । कोआपरेटिव सिद्धांत में हम भी विश्वास रखते हैं । इतनी तो, मुझे आशा है, हमारे विरोध पक्ष के भाई मानेंगे ही ।

एक तरफ तो भानुप्रतापसिंह जी चाहते हैं कि पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के द्वारा सारे एकाउन्ट्स पर नियंत्रण हो । मुझे कोई एतराज नहीं है । आप नियमों में परिवर्तन करें। मुझे पी०ए०सी० के सामने कोआपरेटिव का सब हिसाब भेजने में कभी कोई आपत्ति नहीं थी । यह तो इस प्रक्रिया नियमावली में आपको संशोधन करना है । आडिटर-जनरल नहीं, बल्कि फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा जो आडिटेड हिसाब है ये आपके सामने पेश करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । नियमों में परिवर्तन किया जा सकता है । गवर्नमेंट शेयर खरीद सकती है या कर्जे की गारन्टी भी कर सकती है । अगर जनतंत्र की परिभाषा यही है कि गवर्नमेंट एक अनाथालय और खैरातखाना बने, वह अपना रुपया लगावे और किसी व्यक्ति को नामीनेट करने की जरूरत न हो, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं भी ऐसा प्राविधान नहीं है । चूंकि इत्तिफाक से कांग्रेस की सरकार है, इसलिये नामीनेट करने से जनतंत्र के सिद्धांतों का हनन हो जायगा, अगर आप यह कहें तो यह तो बात दूसरी है । धारा ३४ में हमने लिखा है कि जहां हमारा शेयर ५० फी सदी तक भी होगा, वहां केवल २ व्यक्ति नामीनेट होंगे और दोनों में से एक सरकारी नौकर होगा । चुनाव में सरकारी नौकर को वोट देने का अधिकार नहीं होगा । केवल दूसरा व्यक्ति चुनाव में भाग ले सकेगा । उसमें भी हमने शर्त यह रखी कि जो सेक्रेटरी नियुक्त किया जायगा या अध्यक्ष बनेगा वह नामीनेटेड व्यक्ति नहीं बल्कि चुना हुआ व्यक्ति होगा । महाराष्ट्र या मद्रास में कहीं भी ऐसा प्रावीजन नहीं है कि कोई मनोनीत व्यक्ति चुनाव में भाग न ले सके । आज उत्तर प्रदेश की सरकार का ५ करोड़ रुपया विभिन्न कोआपरेटिव सोसाइटियों में इनवेस्टेड है । बैंक्स और कई दूसरी सोसाइटीज हैं जहां हम ५,५ डायरेक्टर्स नामीनेट करते हैं । यहां तो केवल २ ही व्यक्ति रखे हैं और फिर भी भानुप्रताप जी और भीखालाल जी को गन्ध आती है कि इसमें डेमोक्रेसी नहीं रही । असेम्बली में पंचायतों और म्युनीसिपैलिटीज में मनोनीत व्यक्ति हैं, कुछ लोगों के हितों की रक्षा के लिये । गवर्नमेंट रुपया इनवेस्ट करे और उसे एक वोट का भी राइट न हो, यह बात समझ में नहीं आती है ।

यह आलोचना की गई कि जहां सरकार का शेयर ६० फी सदी से ज्यादा है वहां गवर्नमेंट २/३ व्यक्तियों को नामीनेट करना चाहती है । सरकार की चूर्क सीमेंट फैक्ट्री है, उसमें कौन आदमी जनता का नामीनेटेड है ? इसी प्रकार से प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट्स फैक्ट्री है,

उसमें कौन आदमी जनता का नामीनेटेड है ? लेकिन अगर बाजपुर की शुगर फैक्ट्री हम १,१।। करोड़ रुपये से बनावें तो क्या आप यह चाहते हैं कि जिस तरह से वहां के लोग मशीनों को चाहें चलावें ? क्या आप यह चाहते हैं कि कोई कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री न लगे ? श्रीमन्, मैं समझता हूं कि वह पूंजीवादी विचारधारा का प्रतीक है, वह नहीं चाहते हैं कि सहकारी क्षेत्र में कोई फैक्ट्री लगे, या तो सरकार लगाये अथवा पूंजीपति लगायें। मुझे तरीका बता दीजिये कि डेढ़ करोड़ की पूंजी कौन और किस प्रकार से लगाये। माननीय भीखालाल जी और माननीय माधवप्रसाद जी कोई फैक्ट्री खड़ी करें और ५५ प्रतिशत पूंजी इकट्ठी कर लें, गवर्नमेंट केवल एक ही आदमी नामीनेट करेगी। लेकिन आप तो केवल यह चाहते हैं कि कोआपरेटिव सोसाइटीज खाली क्रैडिट का ही काम करें, कोई स्पिनिंग की फैक्ट्री न लगे, दूध चीनी की फैक्ट्री न लगे क्योंकि उसमें डेढ दो करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। महाराष्ट्र में और पंजाब में तो ५ साल के लिए पूरा सरकारी नियंत्रण रहता है, किन्तु हम यहां नान-आफीशियल को नामीनेट करते हैं और उसके साथ ही साथ हमने यह शर्त भी रखी है कि अगर सरकार इस बीच में ५० फीसदी हिस्से लोगों को नहीं दे पाती या उसका संचालन करने में असफल रहती है तो उसके मैनेजमेंट को जनता के सुपुर्द कर देगी चाहे उस समय ६० फीसदी और ४० फीसदी शेयर ही सरकार और जनता के क्यों न हों। यह तो हमने कोआपरेटिव आन्दोलन को प्रोत्साहन देने के लिए ही रखा है। आप चाहते हैं कि सरकार ही कारखाने लगाये, लेकिन हम चाहते हैं कोआपरेटिव के द्वारा वे लगाये जायं। माननीय भानुप्रतापसिंह जी, विजयसिंह जी ने यह दलील दी और माननीय भीखालाल जी भी, जो अपने को प्रगतिशील कहते हैं, उसके शिकार हो गये। माननीय भीखालाल जी उन्नाव के अन्दर ऐसी कोई फैक्ट्री खड़ी करें, हम उसमें दो-तिहाई मेम्बर नामीनेट नहीं करेंगे।

सरचार्ज के लिये भी एतराज किया गया। वह तो म्युनिसिपैलिटीज में भी दिया गया है। एक तरफ तो आप इलेक्शन कमीशन और राष्ट्रपति के यहां अपील करते हैं और दूसरी तरफ यहां एतराज करते हैं और कहते हैं कि डैमोक्रेटिक कदम नहीं है। इस प्रकार के नियंत्रण को आप नहीं चाहते हैं, इसके माने यह हैं कि आप कोआपरेटिव मूवमेंट को करप्ट ही देखना चाहते हैं। एक दूसरे को टकराने का मौका देना ही डैमोक्रेसी की निशानी है और जो जनतंत्र में यकीन नहीं करता वह अराजकता में यकीन करता है।

कहा गया कि हमको नियंत्रण करना चाहिये। अब वह धारा १२१–१२२ में किस तरह से रिक्रूटमेंट हो, उनकी कंडीशन्स आफ सर्विस क्या हों ? चाहे डिसिप्लिनरी कंट्रोल हो वह नियमों के अन्तर्गत होना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि यह आन्दोलन जो गांव-गांव में व्याप्त है आप चाहते हैं कि बैंक के मैनेजर की कोई परिभाषा न हो, जो आदमी एकाउन्टेंसी नहीं जानता उसको नियुक्ति कर दें। आप जानते हैं कि शिक्षा विभाग में टीचर्स की नियुक्ति लिए नियम बने हैं तो यहां क्यों नियुक्तियों के लिये नियम न हों। एकाउन्टेंट कौन हो, मैनेजर कौन हो, क्या किस की ट्रेनिंग हो क्या न हो यह सब निश्चित न होगा तो जिस तरह से चार आदमियों का बहुमत होगा, क्वालिफिकेशन हो न हो वह ५०० रुपये पर रखना चाहते हैं तो वह रख लेंगे, वह कम नहीं किया जा सकता। क्या इस तरह की पूरी छूट दे दी जाय ? प्रदेश सहकारी बैंक वाले या पी०सी०एफ० के लोग मनमाने ढंग से जिसको चाहें जितना वेतन देकर रख लें। अभी एक सहकारी बैंक में एक मैनेजर की नियुक्ति हुई और फैसला खिलाफ हुआ तो हाई कोर्ट में रिट पहुंच गई। आप यह भी चाहते हैं कि सहकारिता से भ्रष्टाचार दूर हो और चाहते हैं कि यह आन्दोलन एक विशुद्ध लाइन पर चले तो सहकारिता में जो लोग रहें उन पर कहीं किसी प्रकार का कोई नियंत्रण न रहे यह उचित नहीं है और हम ने धारा २१–२२ में यह चाहा है कि सहकारिता में जो काम करने वाले लोग हैं उनके चेक के लिये एक मशीनरी हो। इस का मतलब यह नहीं है कि रजिस्ट्रार कोई उनका चुनाव करेंगे, उसमें सहकारी व्यक्ति ही होंगे, उसमें स्टाफ के भी व्यक्ति हो सकते हैं। हम कोटा निर्धारित करेंगे, वेतन और कंडीशन्स आफ सर्विस निर्धारित करेंगे और उन की डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स

[श्री बनारसीदास]

के नियम भी तय करेंगे आप अगर यह चाहते हैं कि यह सब कुछ न हो तो आप यही क्यों नहीं कहते कि किसी कानून की, रजिस्ट्री की या रजिस्ट्रार की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन की या कोआपरेटिव आन्दोलन की जरूरत नहीं है... (व्यवधान) ।

श्री अधिष्ठाता--

आप लोग बातें कम करें, शांति रखें ।

श्री बनारसीदास--

तो फिर आप साफ इस बात को क्यों नहीं कहते कि राजनीतिक कारणों से हमारा यकीन सहकारिता आन्दोलन में नहीं है, उसके सिद्धांतों में नहीं है। इस पूरे विधेयक में कोई ऐसा खंड नहीं है जिसमें किसी समिति को सरकार से कर्ज लेने को मजबूर किया गया हो, अगर कोई कर्ज नहीं लेता तो सिवा आडिट और इंसपेक्शन के रजिस्ट्रार का कौन सा नियंत्रण है। मुझे स्वयं को भी थोड़ा सा सहकारिता का अनुभव है। मैंने भी एक कोआपरेटिव सोसाइटी चलाई है जिसकी पूंजी २ लाख की है और जिसने कोई कर्ज नहीं लिया है। मैं सदन का सदस्य भी हूं और विभाग का मंत्री भी हूं मैं नहीं जानता कि रजिस्ट्रार कहां रहता है, इंस्पेक्शन की क्या व्यवस्था है। हमने एक पैसा सरकार से नहीं लिया, मैं भानुप्रताप जी से कहना चाहता हूं कि जो इन सहकारी समितियों का संचालन करे वह क्यों न ऐसी सोसाइटीज का निर्माण करे जो संचय करे जैसा कि ऋषिनारायण जी कह रहे थे कि वह स्वयं जनता की सेवा करें। रजिस्ट्रेशन के बाद कौन बाध्य करता है कि कर्जा लो। माननीय भीखालाल कह रहे थे कि मजबूर किया जाता है खाद लेने के लिये। मैं कहता हूं कि आप शेयर होल्डर से पैसा लीजिये, पैसा जमा कीजिये, चाहे जैसे उसे बांट दें कोई बाधा कानून में नहीं है, लेकिन अगर रिजर्व बैंक का पैसा लेना चाहते हैं तो वह एक निश्चित कार्य के लिये है, पैदावार बढ़ाने के लिए और रिजर्व बैंक उन शर्तों पर ही पैसा देने को तैयार है। ५० प्रतिशत वह बिना शर्त के देता है और बाकी ५० प्रतिशत आप लेना चाहते हैं तो उसकी खाद लीजिए। आप कहते हैं कि सोसाइटी बाध्य करती हैं, रजिस्ट्रार बाध्य करते हैं उस कानून में भी लिखा है और कह दिया है कि कितना खाद के रूप में लिया जायगा। ५० प्रतिशत जो कर्जा है वह बिना रजिस्ट्रार के नियंत्रण के ले सकते हैं।

तो आप यह कहते हैं कि शर्त लगाते हैं। आप किसी आदमी से मकान पर कर्ज लेंगे तो वह उसे मार्गेज नहीं रखेगा ? आप फिर उसे कर्जा मत कहिए बाउंटी कहिए। अगर कर्जा है तो कर्ज की शर्तें माननी होंगी। मैं तो यह कहता हूं कि आदर्श दिन वह होगा जब हर एक जगह इतनी मात्रा में सोसाइटी की पूंजी होगी कि यू० पी० कोआपरेटिव बैंक, स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए मैं माननीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि वे सहकारी आन्दोलन में पूंजी का संचय करायें और रिजर्व बैंक से रुपया न लें।

कहा गया कि तकावी का दर बढ़ा दिया गया। सहकरिता का आन्दोलन बढ़ाने के लिए एक तरफ यह कहा जाता है कि यह जो सहकारी आन्दोलन है यह सरकार के नियंत्रण से मुक्त हो। तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि कोआपरेटिव बैंक ६ फीसदी ब्याज पर रुपया देता है और रिजर्व बैंक शेडयूल्ड बैंक्स को साढ़े ५ परसेंट पर रुपया देते हैं तो यह सदन ब्याज की दर को कम करने के लिए रेवेन्यु की हेड से उस कमी को मेकअप करने के लिये तैयार हो जाय, जितना रुपया रिजर्व बैंक हमको देता है ६ फीसदी पर देता है और हमारे उसमें तीन टायर हैं। यू० पी० कोआपरेटिव बैंक, फिर जिला कोआपरेटिव बैंक और फिर गांव। तो मैं यह कहता हूं कि गांव इतना मजबूत हो जाय कि उसे जिला कोआपरेटिव बैंक से लेने की जरूरत न रहे। ऐसी हालत में उसमें कोई ओवरहेड चार्ज नहीं होगा। इसलिये आज शेडयूल्ड बैंक यहां पर व्यापारियों को ११,१२ परसेंट पर रुपया कर्जा देते हैं।

ठाकुर फूलसिंह साहब शिकायत कर रहे थे कि आज भी कोआपरेटिव बैंक किसान की जो आवश्यकता है, उसकी पूर्ति नहीं करता है। हमारे प्रदेश में जितने में जितने परिवार

हैं उनमें केवल ४६ फीसदी की हम पूर्ति करते हैं। तमाम देश में राजस्थान और मद्रास को छोड़कर हमारे यहां यह संख्या सबसे अधिक है, लेकिन इसमें शक नहीं की फी व्यक्ति हमारे यहां कर्जे का औसत १७५ रुपये है। मैं ठाकुर फूलसिंह जी से सहमत हूं अगर कृषि को फायनेंस करने के लिए ५० रुपए पर एकड़ की जरूरत हो तो कम से कम २ अरब रुपया प्रदेश में चाहिए और आपकी शिकायत है कि हम ज्यादा ब्याज लेते हैं। तो कम सूद पर रुपया मिले और प्रगतिशील सहकारी आन्दोलन चलाने के नाते आप इस बात की व्यवस्था करें। आज तो बुन्देलखण्ड के अन्दर जाकर मैंने देखा कि ५० फीसदी लोग ब्याज पर रुपया लेते हैं।

ट्रांस्फर एंट्री की बात यह कही गयी कि ६ परसेंट महीने के हिसाब से लेकर ट्रांस्फर एंट्री कर दी जाती है तो हम १२ आने ही लेते हैं। इस प्रकार आप परस्पर विरोधी बातें कहते हैं। किसान को कर्जा पहले ३ रुपये २ आने सैकड़े पर मिलता था और आज भी ५, ६ फीसदी पर एक महीने के हिसाब से ट्रांसफर एंट्री हो जाती है तो यदि ९ फीसदी के हिसाब से किसान को कर्जा मिल जाय तो क्या नुकसान है? आपके सामने चौथी पंचवर्षीय योजना विचारार्थ पेश होगी। हमारी सीमा उसमें निर्धारित है। जिम्मेदारियां अधिक हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि प्लान सीलिंग के ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें। अगर इर्रीगेशन के लिए आप प्लान सीलिंग के अन्दर पैसा रखना चाहेंगे तो आप पावर को दूसरे कामों पर नहीं दे सकेंगे। हम चाहते हैं १०० करोड़ रुपया हम लम्बी मुद्दत के लिए सहकारिता के माध्यम से कर्जा दें तो आपको ७, ८ अथवा ९ फीसदी से कम नहीं मिलेगा। आप क्या चाहते हैं कि प्लान कम कर दिया जाय? माननीय विजयसिंह जी ने शिकायत की कि यह पूंजीपतियों की मदद करने के लिए है। हाउसिंग के लिए जो लोन देते हैं उसमें ६ परसेंट लेते हैं और किसान से ९ परसेंट लेते हैं। मेरी समझ में नहीं आया कि कहां से उन्होंने पढ़ लिया। हाउसिंग के कर्जे साढ़े पांच परसेंट, लम्बी मुद्दत के कर्जे ६ परसेंट और अभी चूंकि बैंक का रेट बढ़ गया है इसलिए उसका सूद अब साढ़े नौ परसेंट हो गया है।

यह कहा गया कि सरकार शोषण करना चाहती है, लेकिन सरकार शेयरहोल्डर है तो वह वही डिवीडेंड लेना चाहती है जो अन्य को मिलेगा। मुझे दुख है कि माननीय सदस्य ने उस धारा को नहीं पढ़ा जिसमें लिखा है कि सरकार केवल ३ परसेंट ब्याज लेगी और बाकी को क्रेडिट इस्टेबलाइजेशन फंड और गारंटी फंड में निहित कर देगी ताकि उसकी स्थिति मजबूत हो। इस फण्ड से हम किसान की मदद कर सकें। सरकार ३ परसेंट लेगी, ९ परसेंट पर दूसरे लोगों को मिलेगा और ६ परसेंट क्रेडिट इस्टेबलाइजेशन फण्ड और गारंटी फण्ड में ट्रांसफर यदि कर दिया जाय तो गवर्नमेंट की नीति इस बात की द्योतक है और इस ओर संकेत करती है कि हम कोआपरेटिव आन्दोलन को मजबूत बनाना चाहते हैं।

एक तरफ माननीय ऋषिनारायण जी ने सुपरवाइजरों की चर्चा की और दूसरी तरफ यह कहा कि वह ऐसा व्यक्ति है जिस पर कोई नियंत्रण नहीं है। हम उसकी व्यवस्था करना चाहते हैं। मैं सोचता हूं कि उसको बैंक के मातहत कर दिया जाय। कुछ लोग कहते हैं कि इसको गवर्नमेंट सरवेंट बनाया जाय। यह सोचने की बात है और हम जल्दी ही इसकी व्यवस्था करना चाहते हैं।

माननीय फूलसिंह जी तथा अन्य सदस्यों ने सुझाव दिया कि चुनाव की निष्पक्ष प्रणाली होनी चाहिए, कांस्टीटुएंसी निर्धारित हों और चुनाव बैलट द्वारा हों। हम नियमों में इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। सेलेक्ट कमेटी में भी मैंने यह बात कही थी और आज यहां भी कह रहा हूं। हम यह चाहते हैं कि रोटेशन पीरिएड खत्म कर दिया जाय और एक निश्चित मुद्दत हो। हम यह करने जा रहे हैं कि तीन साल का टर्म हो और बैलट द्वारा चुनाव हो और सरकारी अधिकारियों को चुनाव को प्रभावित करने का मौका न हो। यह सोचने की बात है कि प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से करें या खण्डों में जैसे चुनाव होता है उस तरह से करें। ऐसे सहकारी बैंक्स हैं जिनका ८-८ साल से चुनाव नहीं हुआ है। कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में रिट दायर

[श्री बनारसीदास]

कर दिया। हमने व्यवस्था की है कि हम निश्चित टर्म मुकर्रर करेंगे। अगर चुनाव न हो सकेगा तो रजिस्ट्रार आदेश देगा कि तीन महीने में किए जायं। अगर इनमें नहीं हो सके तो उसका मैनेजमेंट खत्म हो जायगा और रजिस्ट्रार ६ महीने में चुनाव की व्यवस्था करेगा। हम चाहते हैं कि कोआपरेटिव आन्दोलन को स्वार्थों से निकाला जाय और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार किया जाय और इसको प्रगति की ओर ले जाया जाय।

श्रीमन्, मुझे माननीय भानुप्रतापसिंह जी जैसे गंभीर सदस्य से यह सुनकर आश्चर्य और दुख हुआ कि हमारा सहकारी आन्दोलन कांग्रेस के हारे हुए लोगों के लिए एक चरागाह है। आज माननीय बैकुंठलाल मेहता इस दुनिया में नहीं हैं। उनको इस आन्दोलन का फादर कहा जाता है। उन्होंने मंत्रि परिषद् से त्याग-पत्र देकर इसका संचालन किया था। हार जाने पर अगर कोई स्टिगमा रहता हो कि वह व्यक्ति अयोग्य हो जाता है, वह परिवार का हेड नहीं रह सकता है, खेती का प्रबंध नहीं कर सकता है और बिजनेस का इंतजाम नहीं कर सकता है तब तो मैं भानुप्रताप जी की दलील समझ सकता हूं। अगर भानुप्रताप जी ईश्वर न करें कल हार जायं, तो लोग कहने लगें कि यह असेंबली में हार गए, लिहाजा फार्म का इंतजाम नहीं कर सकते, अपने परिवार का इंतजाम नहीं कर सकते। यदि हारा हुआ सदस्य खेती का, अपने परिवार की व्यवस्था कर सकता है, बैंक की व्यवस्था कर सकता है, कारखाने की व्यवस्था कर सकता है तो कोआपरेटिव अनुभव का लाभ उठाने के लिए अगर किसी को नियुक्त कर दिया जाय तो कहा जाता है कि वह चरागाह बन गया। यह चरागाह नहीं है, बल्कि कुछ लोग चाहते हैं कि कोआपरेटिव के अन्दर हरी-हरी घास है उनको बे रोकटोक चरने का मौका दे दिया जाय। जो सुरक्षित चरागाह हैं उसमें हरियाना की गायों और जंगली जानवरों को चरने का मौका नहीं दिया जा सकता।

न्यायाधिकरण के संबंध में बड़ी शिकायत की गयी। प्रभुनारायणसिंह जी ने नोट आफ डिसेंट दिया कि हमने इसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के बाहर ले लिया। कोआपरेटिव आर्बिट्रेशन के सिद्धांत पर आधारित है। जब कोआपरेटिव सोसाइटी का विवाद आर्बिट्रेशन में जाता है तो क्या वजह है कि कोआपरेटिव कर्मचारियों का विवाद न्यायाधिकरण के द्वारा तय न हो? आप कहते हैं कि अगर पंजाब नेशनल बैंक की तनख्वाह ट्रब्युनल तय करती है, तो कोआपरेटिव बैंक की तनख्वाह वह क्यों न तय करे? कोआपरेटिव बैंक का मालिक एक गरीब किसान है। दोनों में बड़ा अन्तर है। मैं चाहता हूं कि कोआपरेटिव के कर्मचारियों का वेतन सरकारी कर्मचारियों से कम न हो। साथ ही यह गरीब लोगों की सोसाइटी है। उसको स्टेट बैंक के समकक्ष ला कर कार्य करना न कर्मचारियों के हित में होगा, न सहकारिता आन्दोलन के हित में होगा। इसलिए हमने इसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट से बाहर निकालना उचित समझा। मैं जानता हूं कि एक एक बैंक का २५, २५ हजार रुपया खर्च हुआ है। कोआपरेटिव के जो डाइरेक्टर और शेयरहोल्डर हैं, उनके पास दस-सद, पांच-पांच बीघे जमीन हैं। स्टेट बैंकों के स्तर पर ला कर उनको बरबाद कर दिया जाय इससे बड़ा अहित होगा। इसलिए हमने इस कोआपरेटिव को इंस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट से बाहर निकालने का प्रयास किया है। इसका यह मतलब नहीं है कि कोआपरेटिव कर्मचारियों के झगड़ों के निपटारे के लिए कोई इंतजाम नहीं होगा। उसके लिए मशीन होगी। आप शिकायत करते हैं कि सरकारी कर्मचारी का झुकाव सरकारी कर्मचारी की तरफ होता है। एक तरफ आप कहते हैं कि रजिस्ट्रार राजा है। तो आपके शब्दों में राजा के रहते हुए सरकारी कर्मचारियों को क्या खतरा हो सकता है कि उनको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट की शरण में जाने की कोई जरूरत पड़े।

मुझे बड़ा आश्चर्य है कि माननीय भोखालाल जी ने संशोधन रखा। जबकि मैंने उनकी ८० प्रतिशत बातों को मंजूर किया था उसके बाद भी यह कहना कि इसे ३ महीने के लिए फिर भेज दिया जाय, ३ महीने के लिए इसकी प्रगति को फिर रोक दिया जाय और १९१२ के कानून के अनुसार हम चलते रहें। माननीय कमलासिंह का संशोधन का प्रस्ताव कि इसे संयुक्त प्रवर समिति के पास फिर भेज दिया जाय, इस पर भी मुझे बड़ा आश्चर्य है। मुझे कोई

एतराज नहीं है कि यदि आप इस पर ३ दिन तक बहस करते रहें। मैं तो इसके लिए तैयार हूं। माननीय फूलसिंह ने शुगर कन कानून तब्दीली के अन्दर जो कहा था, मैं उसके बारे में उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूं कि इससे वर्तमान व्यवस्था में कोई फर्क आने वाला नहीं है। उसमें केवल वहां की कोआपरेटिव यूनियन्स आती हैं, कौंसिल नहीं आती हैं और न दूसरी चीज आती है। जो रखा गया है यदि यह न रखा गया होता तो उसमें वैक्यूअम ही हो जाता। इसलिए कोई कहीं इस स्थिति में बाधा होने वाली नहीं है। केन कमीश्नर उसका संचालक रहेगा, वही सारी चीजें देखता रहेगा, केवल बेहतर बनाने के लिए इसको रखा गया है। श्रीमन्, यह प्रतिवेदन जो कि संयुक्त प्रवर समिति से इतने दिनों विचार के बाद संशोधित रूप में रखा गया है और जो ६१ की रिपोर्ट है, उसके मुकाबले में यह जो हमारी रिपोर्ट है इसमें बड़ा सुधार किया गया है और जितने भी हमारे देश के अन्दर आज विधेयक प्रचलित हैं, अधिनियम प्रचलित हैं, उन सबसे ज्यादा हमने इसको डेमोक्रेटिक बनाने का प्रयास किया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा भीखालाल जी से कि वह अपना संशोधन वापस ले लें और फिर इसकी धाराओं पर विचार किया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४ पर नियुक्त संयुक्त प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक राय जानने के लिए तीन महीने के लिए परिचालित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४ जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को पुनः प्रेषित किया जाय जो अपना प्रतिवेदन १ माह के भीतर दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति विधेयक, १९६४, जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(श्री कमलासिंह यादव का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रक्षपालसिंह--

कल कमलासिंह जी ने कहा था कि कल मैं नहीं रहूंगा। मंत्री जी को १५ मिनट ५ बजे तक बोलते रहना चाहिए था। खण्डों पर कल विचार होगा।

श्री बनारसीदास--

अब आज सदन स्थगित कर दिया जाय और कल से खण्डों पर विचार शुरू किया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

अच्छा, अब हम उठते हैं, कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२५ अगस्त, १९६५।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २०८ पर)

वर्ष १९६३–६४ में सब्जी प्रतियोगिता के अवसर पर युवक मंगल दल की प्रतियोगिताओं पर कृषि अनावर्तक मद से वितरित किये गये पुरस्कारों की सूची

क्रम सं०	फर्म का नाम जिससे सामान खरीदा गया	वस्तु का नाम	वस्तु की मात्रा	वस्तु की दर	कीमत
				रु० पै०	रु० पै०
१	फैन्सी जनरल स्टोर, बदायूं	बनियाइन	९	१.५०	१३–५०
		तौलिया	९	१.००	९.००
					२२.५०
२	कपूर स्टोर, बदायूं	फावड़ा	२५	४.७५	११८.७५
		खुर्पी	२५	१.७५	४३.७५
		हजारा	५	१३.००	६५.००
			परिवहन व्यय	..	३.००
					२३०.५०
३	राम निवास कैलाश चन्द्र, मुरादाबाद	प्लेट	२	१.७५	३.५०
		कप चाय	४	२.१३	८.५२
		कप आइसक्रीम मय चम्मच।	२	१.७५	३.५०
		प्लेट	८	१.२५	१०.००
		गिलास	८	१.७५	१४.००
		लोटे	४	३.००	१२.००
			बिक्री कर	..	१.५६
					५३.०८
४	सहायक कृषि निरीक्षक, दहगवां।	सिंघहैंड प्ले	५	३.५०	१७.५०
		केयर पिलाऊ	१	२७.००	२७.००
				सेल्स टैक्स ..	०.४५
					४४.९५
			कुल योग मद एक से चार तक	..	३५१.०३

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २१७ पर)

उत्तर प्रदेशीय औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त महासंघ तथा उनसे संबंधित यूनियनों की संख्या व सदस्य संख्या

क्रम० संख्या	मान्यता प्राप्त महासंघ	महासंघ द्वारा सूचित की गयी सम्बद्धता	यूनियनों के वार्षिक विवरण पत्रों के आधार पर सत्यापित सम्बद्धता	सत्यापित सम्बद्धता के आधार पर सदस्यता (अन्तिम उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर)
१	२	३	४	५
१	इन्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (यू० पी०), लखनऊ ..	२४९	१९२	९३,३८९
२	भारतीय मजदूर संघ, यू० पी० ब्रांच, कानपुर	१०३	८५	१२,६०९
३	यू० पी० ट्रेड यूनियन कांग्रेस, कानपुर	९३	७५	१७,९८८
४	इन्डियन नेशनल शुगर मिल्स, वर्क्स फेडरेशन, लखनऊ ..	६९	६८	३४,६७१
५	हिन्द मजदूर सभा, यू० पी०, कानपुर	५७	४८	४६,११५
६	यूनाइटेड ट्रेड यूनियन, कांग्रेस, यू० पी० ब्रांच, लखनऊ	३१	२२	११,४९२
७	इन्डस्ट्रियल मजदूर फेडरेशन, कानपुर	२१	७	१,१३८
८	हिन्द मजदूर पंचायत, यू० पी०, कानपुर	१७	१०	९९८
९	यू० पी० इन्डस्ट्रियल मजदूर फेडरेशन, कानपुर	१२	७	४,४४२
१०	इन्डस्ट्रियल वर्कर्स फेडरेशन, यू० पी० मेरठ	११	१०	१,७२५
११	यू० पी० एलेक्ट्रिक वर्कर्स फेडरेशन, लखनऊ	१४	९	३,३७९
१२	उत्तर प्रदेश डिस्टलरी वर्कर्स फेडरेशन, लखनऊ	१२	३	२३७
१३	यू० पी० टेक्सटाइल वर्कर्स फेडरेशन, कानपुर	५	२	७,१२६
१४	यू० पी० केन यूनियन्स इम्प्लाईज फेडरेशन, लखनऊ	२	२	६४

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ २२१ पर)

सहकारी संघ लि०, सिंधोरा ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी के बकायादार सदस्यों की सूची

क्रम सं०	नाम बाकीदार		नाम		बकाया रकम
	सर्वश्री				रु० पै०
१	मनावत उपाध्याय	..	सिन्दौरा	..	१६०.४०
२	विद्यानिवास मिश्र	..	बसई	..	६२.००
३	रमापति उपाध्याय	..	गड़ेसरा	..	४०.००
४	वंशनारायण	..	गड़ेसरा	..	२००.००
५	जग किशुन पांडेय	..	गड़ेसरा	..	१५४.४०
६	भमाराम	..	बरवार	..	२४०.००
७	राधेश्याम पांडे	..	सराय शेख लाड	..	७७.२०
८	राम लखन उपाध्याय	..	करोनापुर	..	७७.२०
९	गनपत उपाध्याय	..	गड़ेसरा	..	११.५०
१०	जानबली ..	..	सराय शेख लाड	..	१८६.००
११	शारदा पांडेय	..	सराय शेख लाड	..	३८६.००
१२	पूरन सिंह ..	..	सराय शेख लाड	..	३८६.००
१३	सदाफल मिश्र ..	..	महलौत	..	७७.२०
१४	शिवमूरत तिवारी	..	शाहपुर	..	१९३.००
			कुल योग	..	२,२५०.९०

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २२८ पर)

कार्य-स्थगन प्रस्ताव

सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कल २४ अगस्त, १९६५ को गोरखपुर जिला में स्थित रासायनिक खाद के कारखाने में काम करने वाले मजदूरों और उन किसानों पर जिन की भूमि अर्जित कर ली गयी है पुलिस ने निर्दयता पूर्वक लाठी चार्ज किया और तदुपरान्त गोली भी चलायी। फलस्वरूप दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी और दर्जनों बुरी तरह से घायल हैं। पुलिस इस समय भी आस-पास के किसानों में आतंक फैला रही है और लोगों की धुंआधार गिरफ्तारियां हो रही हैं।

पुलिस के आतंक के कारण पूरे जिले में रोष व्याप्त है।

अतः इस सार्वजनिक महत्व के आवश्यक प्रश्न पर विचार हेतु सदन कार्य स्थगित करता है।

२५ अगस्त, १९६५।

चन्द्रजीत यादव, एम० एल० ए०,
ऊदल, एम० एल० ए०,
सुरजनराम, एम० एल० ए०,
रघुवीरराम, एम० एल० ए०,
रामसुन्दर शास्त्री, एम० एल० ए०,
ब्रह्मदत्त मायर, एम० एल० ए०।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २८८ पर)

कामरोको प्रस्ताव

कल दिनांक २४-८-६५ को फर्टीलाइजर कारपोरेशन शाखा, गोरखपुर के फाटक पर मजदूरों एवं भूमिधारियों की शान्तिपूर्ण सभा हो रही थी। मजदूर यनियन के कार्यकर्ता सर्वश्री सुभाषचन्द, रमाकान्त पांडेय आदि भाषण दे रहे थे। कारपोरेशन के मैनेजर ने अभी हाल में २०० मजदूरों की छटनी अकारण कर दी है तथा समझौते में तय शुदा मुआवजे की रकम का १ लाख ३९ हजार रुपया अभी भी जमीन के मालिकों को नहीं मिला। इसके विरोध में आयोजित सभा पर एकाएक बन्दूकधारी पुलिस टूट पड़ी और अंधाधुंध गोली चलायी। फलस्वरूप ३ व्यक्ति घटनास्थल पर मर गये। २ दर्जन से अधिक गोली से घायल हुये हैं, ४ मरणासन्न घायलों का पता नहीं है और ३० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं। इससे यहां का वातावरण अत्यन्त क्षुब्ध हो उठा है और इससे विषम स्थिति उपस्थिति हो गयी है। अशान्ति की चिनगारी प्रदेश के विभिन्न स्थानों में फैलने की सम्भावना है।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के निश्चित विषय पर विचार करने के लिए यह सदन आज की अपनी कार्यवाही स्थगित करता है।

रामसुन्दर पांडेय,

२५-८-६५।

उग्रसेन,
केशरीप्रसाद पांडेय,
गयाप्रसाद,
शिवनाथसिंह,
दौलतलाल,
चन्द्रबलीसिंह।

उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये पीछे पृष्ठ २२८ पर)

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से आज की कार्यवाही स्थगित कर कल दिनांक २४-८-१९६५ को गोरखपुर खाद कारखाने के सामने पुलिस द्वारा गोली चलाय जाने के सम्बन्ध में चर्चा उठाना चाहता हूं :—

"कल दिनांक २४-८-६५ के सुबह करीब ७ १/२ बजे गोरखपुर खाद कारखाने के सामने दक्षिणी गेट पर किसानों का शान्तिपूर्ण जुलूस इस बात का प्रदर्शन कर रहा था कि खाद के कारखाने में ली गयी जमीन का तत्काल मुआवजा दिया जाय तथा खाद के कारखाने में बाहरी लोगों की नियुक्तियों को बन्द किया जाय व चतुर्थ श्रेणी और नान टेक्निकल जगहों पर स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाय। इस प्रदर्शन के बीच ही में संयुक्त समाजवादी दल के कार्यकर्ता भी शामिल हुये और बाद में पुलिस ने भीड़ को बढ़ते हुये देख कर कुछ किसानों को गाली गुफ्ता देना शुरू किया जिससे वे घटना स्थल से हट जायं। परन्तु भीड़ बढ़ती गयी। इसी बीच श्री चौधरी पुलिस अधीक्षक आ गये तथा उन के निर्देश पर लाठी चार्ज तथा बाद में गोली चलायी गयी जिसके परिणामस्वरूप ३ व्यक्ति तत्काल घटना स्थल पर मर गये तथा आधे दर्जन व्यक्तियों की दशा चिन्ताजनक है। यह पहली ही घटना गोरखपुर की नहीं है। इसके पहले भी भूतपूर्व सभा सचिव श्री इस्तफा हुसैन को कोतवाली में बन्द कर स्थानीय पुलिस ने पीटा था। इस प्रकार के पुलिस के अधिकारी आये दिन गोरखपुर में अव्यवस्था तथा अशान्ति का वातावरण पैदा कर रहे हैं जिससे सरकार के प्रति दिन-प्रतिदिन असन्तोष बढ़ता जा रहा है तथा इन घटनाओं से सारे जनपद में चिन्तनीय स्थिति व्याप्त हो गयी है।

(१) नरसिंहनारायण पांडेय,
एम० एल० ए०,
२५-८-६५।

(२) दुर्योधन प्र०,
एम० एल० ए०,

(३) सोहनलाल धुसिया,
एम० एल० ए०,

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २२८ पर)

कामरोको प्रस्ताव

गोरखपुर शहर से ५ मील दूर राजकीय उर्वरक कारखाने के प्रवेश द्वार पर पुलिस ने शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर २४ अगस्त को लाठी चार्ज किया और गोली वर्षा की है। जिसके फलस्वरूप २० घायल हुये हैं और ५ व्यक्ति जान से मारे गये हैं।

इससे प्रदेश में घोर असन्तोष और क्षोभ व्याप्त हो गया है।

इसलिए महत्वपूर्ण विषय पर विचारहेतु सदन अपना कार्य स्थगित करता है।

(१) झारखंडे राय,
(२) रघुनाथराम,
(३) सुरजनराम,
(४) रामसुन्दर शास्त्री।

२५ अगस्त, १९६५।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ २२८ पर)

नियम ५२

सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

दिनांक २४–८–६५ को सुबह के वक्त गवर्नमेंट फर्टिलाइजर फैक्टरी, गोरखपुर के पश्चिमी दरवाजे पर पुलिस और जनता में मुठभेड़ हुई। वहां के गरीब किसानों के जमीन को कारखाने की हद में उनकी मर्जी के खिलाफ लिये जाने की कोशिश की जा रही थी, उन गरीब किसानों के पास बहुत थोड़ी-थोड़ी जमीन होने के कारण वह सरकार की इस फैसले का विरोध कर रहे थे। जिस पर पुलिस ने वहां पहुंच कर गोली चलायी। जिसके फलस्वरूप किसानों की ओर के कई आदमी जान से मारे गये और बहुत से घायल हुये। इस घटना के कारण जिला गोरखपुर और आस-पास की जनता में एक बैचैनी फैली हुई है।

अतः मैं गृह मन्त्री का लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर दफा ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित करने की अनुज्ञा चाहता हूं।

रियासत हुसैन,
स० वि० स०।

२८ अगस्त, १९६५।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'झ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २२८ पर)।

नियम ५३

सचिव,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश,

महोदय,

गोरखपुर में निर्मित होने वाले उर्वरक खाद कारखाने पर कल पुलिस द्वारा गोली चलायी गयी। इसके फलस्वरूप २ व्यक्ति मरे और कई घायल हुये हैं। इस घटना से गोरखपुर के नागरिकों में उर्वरक कारखाने के प्रबन्धकों के विरुद्ध क्रोध एवं असन्तोष की भावना और उग्र हुई है। वैसे तो असन्तोष की भावना इस के पूर्व से ही व्याप्त थी, क्योंकि कारखाने के अधिकारियों ने न केवल इस जिले के बल्कि इस क्षेत्र के उन किसानों को भी काम देने में कोताही की जिनको आश्वासन दिया गया था।

अतः इस लोक महत्व, निश्चित एवं अविलम्बनीय विषय पर विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियम ५३ के अन्तर्गत सदन में चर्चा उठाने के लिए माननीय अध्यक्ष की अनुमति चाहता हूं।

टिप्पणी

(१) कारखाने के अधिकारियों ने स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार देने में उपेक्षा दिखायी।

(२) जिन व्यक्तियों की भूमि ली गयी है और जिन्हें काम देने का आश्वासन दिया गया था, उन्हें भी काम देने में कोताही की गयी।

(३) कारखाने के अधिकारियों में प्रान्तीयता की भावना बलवती पाई गयी।

(४) कारखाने के अधिकारियों में आपसी गोलबन्दी रही और उसी के परिणामस्वरूप अपने प्रिय और विश्वासपात्र लोगों को छोटी बड़ी सभी नौकरियों में रखने का प्रयत्न रहा।

(५) अधिकारियों ने अदूरदर्शिता से काम लिया।

(६) पुलिस ने भी संयम से न तो काम लिया न दूरदर्शिता ही दिखायी।

रघुनाथ सिंह,

स०, वि० सभा,

समर्थिक हस्ताक्षर :

(१) रामलालसिंह, एम० एल० ए०,

(२) अक्षयबरसिंह, एम० एल० ए०,।

नत्थी 'ञ'

(देखिये पीछे पृष्ठ २३१ पर)

OFFICE OF THE REGISTRAR CO-OPERATIVE SOCIETIES, U. P.

No. C-1/VIII-2/Seed/G *Dated Lucknow, July* 2, 1965.

(FOR PERSONAL ATTENTION)

All Assistant Registrars (By Name).
Co-operative Societies,
Uttar Pradesh.

I WRITE to you about the awkward situation that has arisen on account of shortage of fertilizers in districts. It is reported that loan applications of members for cash and fertilizers have heen sanctioned and in many cases the portion set apart for fertilizers has been transferred to the P. C. F. Fertilizer Account though the members have not been able to get the fertilizers owing to non-availability of stocks. It is true that acute shortage of fertilizers exist in most of the districts. In order to avoid any financial loss and disaffection among members it is hereby ordered:

(1) that, in those cases in which it has not been possible to issue fertilizer to members owing to non-availability of stocks the pronotes should he cancelled, in so far as they relate to fertilizer loan, but loan in cash in lieu thereby must not be given;

(2) that, if a common pronote for cash and fertilizer has been executed it should he modified by striking off the amount shown against the supply of fertilizers.

2. You are requested to get into touch with the Bank immediately and make a thorough study of the extent of funds involved in the matter. These funds which have been transferred to the P. C. F. account will have to be got back for being adjusted to the accounts of societies and members. On hearing from you further instructions will be issued.

3. In those cases in which the funds have not been transferred to the P. C. F. account, there should be no difficulty in setting things right at the Bank level.

4. What I am anxious about is that in the matter of linkage, members of Co-operative Societies should not in any way be harassed or stand to lose due to the situation created by the acute shortage of fertilizers in districts.

5. Your report should contain in following information and submitted within 10 days positively:

Sl. no.	Name of district	Total amount of loan advanced	Amount earmarked for fertilizer	Amount for which Fertilizers actually lifted against the total amount (in Col.4)	Fertilizers not lifted	Out of Column 6, amount transferred to PCF A/c	Amount retained by Bank out Col. 6.	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(Sd.) G. S. CHOORAMANI,
Registrar,
Co-operative Societies, U. P.
Lucknow.

No. C-1/VIII-2/Seed/G of date

COPY forwarded for information and necessary action to:

(1) All Managing Directors of District/Central Co-op. Banks in U. P.
(2) General Manager. U. P. Co-operative Bank Ltd., Lucknow.
(3) All Agents of U. P. Co-operative Bank in districts.
(4) All Secretaries, District Cooperative Federations in U. P.
(5) Secretary, U. P. Co-operative Federation Ltd., Lucknow.
(6) All Deputy Registrars/Assistant Registrars, Incharge of Divisions Co-operative Societies, in U. P.
(7) All Officers at Headquarters.

(Sd.) G. S. CHOORAMANI,
Registrar,
Co-operative Societies, U. P.
Lucknow.

GRAMS: "MARKFED" PHONES:24852, 23563, 25864, 27710.

UTTAR PRADESH CO-OPERATIVE FEDERATION LTD.

Post Box. no. 77 6 Capper Road,
Lucknow.

No. PCF/Dev/F/12 (65-66) *Dated July* 12, 1965.

COPY forwarded for information and necessary action to:

(1) All O. (Fertilizers) Hony. Superintendent, PCF in the Districts.
(2) All P. C. F. Representatives in the Districts.
(3) All Regional Superintendents/O. S. Ds, P. C. F.

C. P. SHUKLA,
Joint Secretary.

ORDER

In persuance to Secretary. P. C. F. circular no. P. C. F./F/197 (64-65), dated June 25, 1965, it is hereby ordered that the amount of Fertilizer linkage will be got deposited in the account of the Union concerned instead of P.C.F. Remittance account. This order will come into force with immediate effect. Amounts from this account will he withdrawn only on permission from this office.

(Sd.)V. N. SINGH,
Assistant Registrar.
Co-operative Societies, U. P.,
Deoria.

OFFICE OF THE DISTRICT PLANNING OFFICER (CO-OPERATIVE), DEORIA.

No. 4146/ *Dated, Deoria, July* 7, 1965.

COPY forwarded for necessary action and compliance to:

(1) General Manager and all Branch Managers of the Deoria Kasia Co-operative Bank Ltd., Deoria.
(2) Secretary, District Co-op. Federation, Deoria.
(3) All Assistant Dev. Officers (Co-op.) of the District.
(4) C. O. (F).
(5) All Block Development Officers.
(6) D. P. O., Deoria.
(7) All Supervisors.
(8) Deputy Registrar, Co-op. Societies, U. P., Gorakhpur.
(9) Secretary, P. C. F., U. P., Lucknow.

(Sd.) V. N. SINGH,
Assistant Registrar,
Co-operative Societies, U. P.,
Deoria.

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० ११२ एल० ए०--१९६५--८६२।